राजस्थान विधान सभा

३५ वीं बैठक, शनिवार, दिनांक—५ जून, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में ७ बज कर ४४ मिनट (मध्यान्हपूर्व) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रातःकालीन बैठक)

राजस्थान भूमि-सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri TanSingh.

(सदन में कोई भी मन्त्री उपस्थित न होने के कारण)

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—मिनिस्टर्स वाक आउट कर गए हैं क्या ?

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा क्लॉज़ २ में यह संशोधन है—

(1) Insert the following sub-clause (ii-a) after sub-clause (ii) of the Clause:—

"(ii-a) The word 'cultivation' shall be substituted for the word 'supervision' occurring at the end of the proviso to clause (k) of section 2 of the principal Act."

इस संशोधन के विषय में मुझे यह निवेदन करना है जो कि डेफिनिशन ओरिजिनल प्रिन्सिपल एक्ट की सेक्शन (२) के सब सेक्सन (K) में है "Land cultivated personally with its grammatical variations and cognate expressions means land cultivated on one's own account."

तो इसी पार्ट (के) के सब पार्ट (३) में :—

"By servants or wages payable in cash or in kind......"

[श्री तनसिंह]

"Provided that in the case of a person who is a widow or a minor or is subject to any physical or mental disability or is a member of the Armed Forces of the Union, or who. being a student of an educational institution recognised by the Government is below the age of twenty five years, land shall be deemed to be cultivated personally even in the absence of such personal supervision."

तो यह जो 'Supervision' है उसकी जगह मैंने शब्द 'Cultivation' लगाया है।

इससे सब सेक्शन को पढ़ने से मालूम पड़ता है कि—

"land shall be deemed to be cultivated personally even in the absence of such personal cultivation"

'कल्टीवेशन' ही होना चाहिये। पर्सनल कल्टीवेशन नहीं हो और उन सूरतों में कि विधवा हो, कोई विद्यार्थी हो या फौजी नौकरी में हो या मानसिक या शारीरिक दृष्टि से अयोग्य हो तो उनके द्वारा न काश्त की हुई भूमि भी काश्त की हुई मानी जायगी।

मैं इसके सम्बन्ध में इसका जो हिन्दी अनुवाद है उसको पढ़कर सुनाता हूँ—

"परन्तु शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि कोई विधवा हो या जो किसी शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य हो या भारत की सशस्त्र सेना का कोई सदस्य हो या जो कि सरकार द्वारा मान्य किसी शिक्षा संस्था का पच्चीस वर्ष से कम की अवस्था का विद्यार्थी हो भूमि, ऐसे व्यक्ति की खुद की निगरानी न होने पर भी स्वयं काश्त की हुई समझी जायगी।"

तो इसमें भी 'कल्टीवेशन' शब्द है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जागीर पुनर्ग्रहण के लिए रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके चेप्टर V में पेज़ १७ पर यह है—

"The Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act defines Khudkasht as land cultivated either pesonally or through hired labour; provided that in the case of a person who is a widow or a minor or is subject to any physical or mental disability or is a member of the Armed Forces of the Union, or who, being a student of an institution recognised by the Government is below the age of twentyfive years, land shall be deemed to be cultivated personally even in the absence of personal cnltivation."

[श्री तनसिंह]

तो जो पन्त रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें भी "Personal supervision" नहीं किन्तु "personal Cultivation" है, हिन्दी अनुवाद में भी "स्वयं काश्त" है। इसलिए 'supervision' की जगह 'Cultivation' होना चाहिये।

यदि सुपर्विजन है तो इस क्लॉज़ की मंशा इस 'सुपर्विजन' शब्द के रहने से हल नहीं होती। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि पर्सनल सुपर्विजन की जगह "परसनल कल्टीवेशन" कर दिया जाय"।

दूसरा मेरा जो अमेंडमेंट है वह टेक्निकल है—

"Add the following new clause after the Clause 2—

"2A. Amendment of section 3, Act VI of 1952-in Section 3 of the principal Act the words 'of the Central Legislature' be inserted between the words, figures and bracket '(X of 1897)' and 'shall'.

निवेदन यह है कि प्रिन्सिपल एक्ट की धारा ३ इस प्रकार है :

"Unless the context otherwise requires, the General Clauses Act, 1897 (X of 1897) shall apply for the interpretation of this Act as it applies for the inter-pretation of an Act of Parliament."

मेरा संशोधन बढ़ाने के बाद यह संशोधित क्लॉज़ इस तरह हो जायगा :

"Unless the context otherwise requires, the General Clauses Act, 1897 (X of 1897) of the Central Legislature, shall apply for the interpretation of this Act as it applies for the interpretation of an Act of Parliament."

तो यह जो एक्ट (जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट) है इसे विधान सभा द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा पास नहीं किया गया, यह जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट सेंटर का है। यहाँ सेंट्रल लेजिस्लेचर होने से स्पष्ट हो जायगा।

ये दोनों संशोधन बिल्कुल स्पष्ट हैं और मेरा विश्वास है कि ये मान लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—Yes. Reply

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)— अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर कल बहुत एमेंडमेंट्स आये और सदन के समक्ष उन पर काफी विचार हुआ। मैं समझता हूँ कि आम बहस के दौरान में जो "खुदकाश्त" शब्द है उसके सम्बन्ध में काफी चर्चाएं हुई थीं और खुदकाश्त

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

की जो व्याख्या इस बिल में रखी गई है वह सारी बातों को ध्यान में रख कर रखी गई है । सबसे ज्यादा बहस इस बात पर हुई कि हमने "Land recorded as Khudkasht" शब्द जो रखे हैं उसके लिये यह कहा गया कि किसानों को बहुत अहित होगा और इसलिये इस धारा को हटा दें । जोधपुर से आने वाले और दूसरी जगह से आने वाले सदस्यों ने इस बारे में चर्चाएं कीं ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया, मैं यह मान कर चलता हूँ कि एक काश्तकार को जो अधिकार होता है वही अधिकार काश्तकार को उसकी जमीन पर होना चाहिये, दोनों के बीच में किसी प्रकार का भेद-भाव करना उपयुक्त नहीं होगा । जागीरदार भी खेती करता है तो वह काश्तकार हो जाता है, पर्सनली कल्टीवेटेड (Personally Cultivated) में वह जमीन आवेगी जिस पर वह काश्त करता हो और दूसरी वह जमीन आवेगी जिसको सब-लेट करने का जागीरदार को हक हो सकता है; जो कुछ भी हो सकता है इसमें परिवर्तन करने के बाद ही हो सकता है ।

एक संशोधन श्री बृजसुन्दरजी ने पेश किया कि 'Revenue records' की जगह 'Settlement Records' कर दिया जावे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि सेटलमेंट रेकर्ड्स में सब चीजें, जाँच पड़ताल होकर दर्ज की जाती हैं, पार्टी को भी सुना जाता है, रेवेन्यु रेकर्ड में तो गलत-शलत दर्ज हो जाती है । इसलिये मैं 'Revenue Record' की जगह 'Settlement record' की बात को स्वीकार कर सकता हूँ । रेवेन्यु रेकर्ड में जाँच-पड़ताल नहीं होती है इसीलिये मैंने पहले भी बात-चीत के दौरान में कहा था और अब भी इसको स्वीकार करता हूँ ।

दूसरी बात यह कही गई कि इसमें यह जोड़ दिया जावे कि खुदकाश्त के लिये जो जमीन दी जावेगी, वह सीलिंग जो गवर्नमेंट मुकर्रर करेगी उससे ज्यादा नहीं दिया जावे । मैं नहीं समझता कि आगे कौनसा कानून बनने वाला है जिसके आधार पर आप इस प्रोविज़ो को रख सकते हैं । जब वह कानून पास हो जावेगा तो उस पर अमल किया जावेगा । मगर इसके साथ-साथ आपको यह मान कर चलना चाहिये कि सीलिंग से आपका जो अर्थ है वही सिद्धान्त आम तौर से अमल में लाया जाता है और ज्यादा जमीन देने की कल्पना करना उचित नहीं हो सकता । इसलिये मैं इन चर्चाओं में पड़ना अपने आपको आवश्यक नहीं समझता और न इस बात को स्वीकार ही किया जा सकता है कि सीलिंग जैसी बात इस धारा के साथ जोड़ी जावे ।

एक बात सिरोही से आने वाले मित्र ने कही कि "Land held as Khudkast, Sir, or Hawala at the Commencement of this Act" जोड़ा जावे । जब हमने श्री बृजसुन्दर के एमेंडमेंट "Revenue Record' की बजाय 'Settlement record' को मान लिया तो यह बात पैदा ही नहीं होती । माननीय मित्र यह आशंका करते हैं कि जहाँ सेटलमेंट नहीं हुआ होगा वहाँ पर इस प्रकार का सवाल ही पैदा नहीं होता । मगर मैं यह कहूँगा कि जब सेटलमेंट हो जावेगा और जमीन दर्ज हो जावेगी तो उनका यह शक भी नहीं रहेगा ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक संशोधन भीलवाड़े से आनेवाले सदस्य ने रखा जो इस प्रकार है :

"lands other than recorded as Khudkasht but in use and occupied by Jagirdars"

मैं समझता हूँ कि "in use and occupied by Jagirdars" की बात पर्सनल कल्टीवेशन में आ जावेगी और जो जमीन यूज में है उसको अलग रूप से लेने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि जो एमेंडमेंट माननीय सदस्य ने रखा है वह वापिस ले लेंगे और इस पर बहस नहीं करेंगे।

एक संशोधन श्री मथुरादास माथुर द्वारा रखा गया है। वह टेक्निकल संशोधन है जिसे स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं।

एक एमेन्डमेंट परबतसर से आनेवाले सदस्य ने मूव किया 'Any land Recorded' के बजाय 'Any undisputed land occupied by the Jagirdars and recorded' लिख दिया जावे। 'Undisputed' या 'disputed' शब्द लाना बहुत वेग बात है। कोई भी व्यक्ति यह कहेगा कि रेकर्ड कानून के माफिक नहीं है, यह कह कर कोई भी ऐतराज कर देगा। कानूनन उस चीज पर ऐतराज है। उसके इतना कहने से ही एक डिस्प्यूट खड़ा हो जायगा और उस व्यक्ति का हक झगड़े में पड़ जावेगा। बहुत सी दफा यह कहा जाता है कि यह रेकर्ड गलत दर्ज किया गया है। मैं यह कहूँगा कि अगर रेकर्ड गलत दर्ज है तो कानून में बहुत से तरीके उसे ठीक करने के लिये दिये हुये हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है।

ये जो खास-खास बातें थी वे मैंने आपके समक्ष रख दी हैं। माननीय तनसिंह जी ने भी संशोधन पेश किया। इन सब पर मैं अधिक विस्तार में न जाकर माननीय सदस्यों से यही अपील करूंगा कि श्री माथुर और श्री बृजसुन्दर के संशोधनों को मैं स्वीकार करता हूँ और दूसरे सदस्य अपने संशोधन वापिस ले लें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ। क्या हम यह समझें कि रेवेन्यू रेकर्ड गलत होते हैं और सेटलमेंट के रेकर्ड ठीक होते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि संशोधन बहुत साफ है, रेवेन्यू रेकर्ड में तो लगान वसूल किया जाता है और सेटलमेंट में सेटलमेंट होने के बाद रेकर्ड बनता है। इस चीज को हमने पन्त रिपोर्ट में भी स्वीकार किया है कि रेवेन्यू रेकर्ड के बजाय सेटलमेंट रेकर्ड रखा जावे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—उसमें एक डिफिकल्टी रायज होगी। एक मिनट के लिये आप ख्याल करें कि एक जगह १५ वर्ष पहले सेटलमेंट हुआ और किसी जागीरदार ने कायदे के माफिक जमीन रेवेन्यू रेकर्ड में लिखा ली या वह जमीन रेवेन्यू रेकर्ड में गलती से आ गई तो उसकी क्या स्थिति होगी ?

Page No.6

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसमें दो बातें हैं। एक पर्सनल कल्टीवेशन और दूसरा सेटलमेंट रेकर्ड्स दोनों को माना है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सीलिंग के बारे में आपने क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष—आप उपस्थित नहीं थे। जवाब दे दिया गया है।

रावत श्री शंभुसिंह—माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्रीजी ने मेरे एमेन्डमेंट के बारे में जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें दो बातें रह जाती हैं। एक तो यह कि मेवाड़ में पहले जो सेटलमेंट हुआ था उस वक्त तालाबों की पालें कई जगह खुदकाश्त में दर्ज नहीं की गईं और इसके लिये जागीरदारों ने कोशिश की कि वे खुद काश्त में दर्ज की जावें मगर उस समय यह कहा गया कि ये तो बिलानाम में दर्ज होंगी। बिला नाम में और खुद काश्त में कोई भेद नहीं है। यह विश्वास दिलाया गया था, इसलिये अब उनका खुदकाश्त में दर्ज होना आवश्यक है। इसलिये जब कानून में जागीरदारों के ओक्युपाइड एरिया का एकीकरण किया जा रहा है तो इसका भी एकीकरण हो जाना चाहिये। इसके अलावा कई जगह जो बीड़ हैं वे भी बिना नाम रखे गये हैं। उस समय कहा गया कि वे पर्सनल कल्टीवेशन में आ जाते हैं।

श्री बृजसुन्दर—माननीय अध्यक्ष, क्या दुबारा बहस हो रही है ?

श्री शंभुसिंह—मैंने, संशोधन का जो स्पष्टीकरण दिया है उसका जवाब दे रहा हूँ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह क्या दुबारा बहस हो रही है इसी क्लॉज़ पर ?

श्री शम्भूसिंह—दुबारा बहस नहीं हो रही है। मेरे संशोधन के बारे में जो स्पष्टीकरण दिया गया है उस सम्बन्ध में मुझे जवाब देने का हक है और उसका जवाब दे रहा हूँ।

मैंने निवेदन किया कि मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमको विश्वास दिला दें कि जो जमीन बिलानाम दर्ज हो गई है और पर्सनल कल्टीवेशन नहीं हो तो भी वह मान लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—क्या इसका जवाब देंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—It is very unfortunate.

श्री शम्भूसिंह—बीड़ की जमीन खुदकाश्त में दर्ज होगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—बीड़ की जमीन जो मेवाड़ में है खुदकाश्त में दर्ज होगी या नहीं ?

श्री शम्भूसिंह—बीड़ में घास होता है और इसी तरह से तालाब की पालें; उन पर कोई कल्टीवेशन नहीं होता है। ऐसी जमीनों को महकमा सेटलमेन्ट ने जोर देकर बिला-नाम रखवाया था, तो क्या वे खुदकाश्त में दर्ज होंगी या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, यह खुदकाश्त की बात हो रही है। तालाब की पालों को खुदकाश्त में सम्मिलित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, यह बहुत स्पष्ट है। जो आप कह रहे हैं कि खुदकाश्त में तालाब की पालों को सम्मिलित कर लिया जाय; इसमें नहीं आती हैं।

श्री अध्यक्ष—Should I put all these amendments to vote ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—What about reply ?

श्री अध्यक्ष—If it is very necessary. The Hon'ble Members have a right to reply, but if it is at all necessary to reply, then they should reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ एक बात......

("सुनाई नहीं देता" की सदन में आवाज)

श्री अध्यक्ष—The voice will reach. The Hon'ble Members should keep patience, Even if the microphone fails, the voice will reach.

श्री मथुरादास माथुर—Should we take that the microphones haae failed for permanent purpose ?

श्री अध्यक्ष—No, no, no.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं इस संशोधन पर सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन एक बात जिस पर मेरे माननीय मित्र ने दूसरी ओर गंभीरता का दुर्लक्ष्य दिखाया है उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उन्होंने अभी फरमाया कि आखिर सेटलमेंट रेकर्डस की सेन्क्टिटी (sanctity) होती है और उसमें संशोधन करने के कानूनी जरिये मौजूद हैं और वे इस्तेमाल किये जाने चाहियें। लेकिन वे इस बात की ओर अपना ध्यान देना भूल गये कि सेटलमेंट रेकर्डस के बारे में सेन्क्टीटी तब हो जब कि सेटलमेंट रेकर्डस तैयार करने के लिए भी सेन्क्टिटी हो राजस्थान में जहाँ कि सेटलमेंट रेकर्डस की इतनी दुहाई देते हैं, वहाँ हालत तो यह है, माननीय अध्यक्ष कि सेटलमेंट मेन्युअल भी मौजूद नहीं है, सेटलमेंट का प्रोसीजर भी मुकर्रर नहीं है। तो वस्तुस्थिति से क्यों इन्कार किया जाय ? क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि राजस्थान के बहुत बड़े इलाके में जो खेती आज किसान कर रहा है वह जमीन सेटलमेंट रेकर्डस में खुदकाश्त के रूप में दर्ज

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है और ऐसी हालत में दरअसल जागीरदार काश्त नहीं करता है तो क्या उस जमीन को जागीरदार को भेंट करने का तात्पर्य नहीं होगा ? मुझे यह समझ में नहीं आया कि कौनसा बड़ा नुकसान हो जायगा, अगर परिभाषा में से इस अंग को निकाल दिया जाय ? अगर दरअसल जागीरदार खुदकाश्त कर रहा है तो उसके लिए यह मौका मौजूद है कि वह चाहे तो खुदकाश्त कमिश्नर से अर्ज करे, कलेक्टर से अर्ज करे और दूसरे अधिकारियों से अर्ज करे कि मैं खुदकाश्त कर रहा हूँ, मुझे यह जमीन खुदकाश्त के लिए दर्ज कर दें। आम काश्तकारों के लिए माननीय मित्र का कहना है कि कानून का रास्ता खुला हुआ हैं, तो जो जागीरदार खुदकाश्त करता है उसके लिए भी तो कानून का रास्ता खुला हुआ है। मैं फिर से चेतावनी देना चाहूँगा कि इस परिभाषा का तात्पर्य यह होगा कि एक नहीं, हजारों की तादाद में ऐसे बेदखली के मामले हमारे सामने आवेंगे और कहीं ऐसा न हो कि फिर दूसरी कार्यवाही करने की नौबत आये और बीच में कितने ही लोगों का नुकसान हो जाय। इसलिए फिर से, खास करके सेटेलमेंट रेकर्डस में जो जमीन जागीरदारों के नाम दर्ज है उसको सेन्क्टिटी न दी जाय और यदि जागीरदार खुदकाश्त करता है तो उसको सेन्क्टिटी दी जाय और वह जमीन उसके नाम दर्ज की जाय। आगे जो परिस्थिति पैदा हो जायगी उसको ध्यान में रखकर माननीय मन्त्रीजी इसको स्वीकार करेंगे, ऐसी आशा है। यदि स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप किसी समझौते से बन्धे हुए हैं, तो कम से कम सदन के सदस्य तो इसको स्वीकार करेंगे। मैं उनसे विरोध जाहिर करने के लिए दरख्वास्त करूंगा। बाकी अमेंडमेंट ८७ हैं वह मैं मतदान के लिए प्रेस नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—श्री मेहता।

श्री चाँदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जिन बातों का जवाब दिया है, उनमें से मेरा यह खयाल है कि मेरी कुछ बातें छूट गई हैं और जिनका जवाब दिया है वह जवाब भी सिर्फ एक ही बात बताता है कि सेटलमेंट रेकडर्स में जो कुछ दर्ज हो गया है वह सारा सही है और गलत नहीं है। उसके ऊपर सरकार को मोहर लगानी है। जहाँ तक मेरा खयाल है माननीय मन्त्री महोदय ने यह फरमाया कि किसानों को बेदखल नहीं किया जायगा। टिनेन्सी एक्ट में ऐसा हो सकता है। किन्तु जहाँ तक इस एक्ट का सवाल है, खुद-काश्त-दर्ज करने का सवाल है सारी जमीनें खुदकाश्त में दर्ज हो जाती है, जो कि सेटलमेंट के रेकडर्स में दर्ज हैं चाहे व जागीरदार के कब्जे में हो या किसान के। अगर ऐसी ही स्थिति होगी तो करप्शन बढ़ेगा। हो सकता है कि माननीय मन्त्री महोदय की विशेष कृपा वकीलों पर हो, कानून का रास्ता बन्द नहीं है और उसके जरिये से बेदखल नहीं होंगे। लेकिन मुझे दुख है कि आज मशीनरी को देखते हुए, हुकुमत को देखते हुए सही माने में कानून का फायदा पैसे वालों को मिला है और दूसरों को नहीं। एक महत्वपूर्ण मिसाल मैं माननीय मन्त्री महोदय के सामने पेश करना चाहूँगा और वह यह है कि भँवाड़ा ग्राम के लादू जाट ने काश्त की। जमीन में जो खेती की उसकी ६-७ गाड़ी मक्का पड़ी हुई थी। जागीरदार आते हैं और जबरदस्ती उसको उठा ले जाते हैं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है किन्तु नतीजा यह होता है कि वे लोग तो ६-७ गाड़ी मक्का का रुपया देकर भी मुकदमा चलवा सकते हैं किन्तु किसानों

[श्री चाँदमल मेहता]

के पास पैसा कहाँ ? पुलिस हुक्म देती है कि झूठी रिपोर्ट करने के अपराध में मुकदमा किसान पर चलाया जाय। मैं असेम्बली में आकर इसके सम्बन्ध मे सवाल उठाता हूँ, कट मोशन रखता हूँ कि पुलिस के अधिकारी, पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी अपने मातहत अधिकारियों के अपराधों को छिपाने की कोशिश करते हैं और जो गलत काम किया है उस पर एक तरह से मोहर लग जाती है। आई. जी. पी. का हुक्म होता है कि उस किसान पर मुकदमा चलाया जाय ? उल्टा उस किसान पर मुकदमा चलाया जाता है। ऐसी गवाइयाँ भी मौजूद हैं कि उस किसान को पुलिस अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि तू जमीन पर से अपना हक छोड़ दे, मक्का के रुपये ले ले। जहाँ की मशीनरी (machinery) ऐसी हो, जहाँ कि स्थिति यह हो कि इस तरह से आई. जी. पी. जैसा अफसर भी अपने नीचे वाले अफसरों की कार्यवाही पर मोहर लगाकर उल्टे उस किसान पर मुकदमा चलाये जाने के लिये कहे, तो न्याय की क्या आशा है ? किसान अपनी पैदावार का क्लेम करे, उसके बजाय यह कि उस पर मुकदमा दायर करके उसके हौंसले पस्त कर दिये जाँय। माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि आज वे न्याय से सोचें। यदि आप इस प्रकार क्लॉज़ रखेंगे तो न्यायपैसों के हाथ बिकेगा। इसलिये माननीय मन्त्री महोदय से कहूँगा, उनको इसे स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जागीरदारों ने इस बीच क्या किया है, जितनी भी बिना नाम की जमीन थी, चारागाह आदि थे उन सबको अपने नाम लिखा लिया है। मैं किशनगढ़ सब डिवीजन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा......

श्री अध्यक्ष—आप जो पहले बातें कह चुके हैं उनको मत दोहराइये।

श्री चांदमल मेहता—जिन बातों का जवाब नहीं दिया गया उन पर थोड़ा-सा कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह से भूमिहीन किसानों के पास किसी भी तरह की जमीन नहीं रहेगी, अगर रेकर्ड में जो दर्ज है उनको मान लिया गया तो, सिर्फ इस बात को मानकर कि पन्तजी के सामने यह निर्णय हो गया है। अतः अब बदल नहीं सकते; किन्तु आपको इस आधार पर नहीं सोचना चाहिये, आपको वर्तमान दृष्टि से सोचना चाहिये, जिसमें किसानों का हित हो ऐसी बात करनी चाहिये। हमारे राजस्व मन्त्री हमेशा से किसानों के हितैषी रहे, अतः इस पर न्याय की दृष्टि से और सहानुभूति से विचार करेंगे तथा और किसी प्रकार कहे वादे का ख्याल न करते हुए समान नीति से विचार करेंगे, तो उचित होगा।

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि मेरे अमेंडमेंट पर माननीय मन्त्री ने कुछ भी विचार नहीं किया। शायद माननीय मन्त्री ने उस पर दो शब्द कहने का भी कष्ट नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member will not repeat the same thing which the Hon'ble member said at the time of moving his amendment.

श्री तनसिंह (अपना भाषण जारी रखते हुए)—No, Sir.

[श्री तनसिंह]

जब लाखों-करोड़ों रुपये आप इस मुआवजे में खर्च कर रहे हैं तो मैंने जो संशोधन रखे हैं कम से कम उन पर एक-दो शब्द भी खर्च कर दिये जाते तो मैं समझता कि आप खर्च की मर्यादा जानते हैं।

श्री अध्यक्ष—एहसान तो इनको मानना चाहिये जो आप राय दे रहे हैं।

श्री तनसिंह (जारी)—अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तथ्य की बात कह रहा हूँ। शब्द 'cultivation' रखा जाय जहाँ कि शब्द 'सुपरवीजन supervision' है। यह ओरीजिनल ड्राफ्ट में मिस प्रिन्ट हो गया था, इसलिये मैंने निवेदन किया है; किन्तु इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया गया।

दूसरा मेरा संशोधन है कि 'Central Legislature' जोड़ दिया जाय। आम तौर पर जितने भी एक्ट पास होते हैं उस वक्त यह बात आती है। इसलिये 'Central Legislature' जोड़ना उचित है। यह एक टेक्निकल अमेंडमेंट है और आशा है, माननीय मन्त्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—(संबंधित मन्त्री महोदय से) This you can accept? I think courtesy demands it.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— Regarding 'Central Legislature' I have got no objection.

श्री तनसिंह—(जारी) माननीय अध्यक्ष, मेरे इस संशोधन को जो स्वीकार किया है तो यह मुझ पर कोई एहसान नहीं है। किन्तु हम तो अपना कर्तव्य समझ कर जो कुछ उचित समझते हैं गवर्नमेंट को सुझाव देने की कोशिश करते हैं और यह सुझाव दिया है।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं इस चीज़ को बराबर देखता आ रहा हूँ और कह सकता हूँ कि जो भी संशोधन भूतपूर्व मन्त्रियों द्वारा रखे जाते हैं उनको स्वीकार कर लिया जाता है, किन्तु इससे मेरे अमेन्डमेन्ट का महत्व कम नहीं हो जाता, मैं अपने अमेन्डमेन्ट को प्रेस करूंगा।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह सोच रहा था कि मन्त्री इस पर फिर से सोचें किन्तु ऐसा लगता है कि फिर से उनकी सोचने की इच्छा नहीं है। इसलिये मैं अपने अमेंडमेंट को वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री चाँदमल मेहता को अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री वेदपाल त्यागी ने जो संशोधन पेश किया है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

अमेंडमेंट ड्रॉप हो गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री मथुरादास माथुर द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री मथुरादास माथुर द्वारा प्रस्तुत अमेंडमेंट स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि रावत श्री शम्भूसिंह द्वारा प्रस्तुत अमेंडमेंट स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

अमेंडमेंट गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री बृजसुन्दर शर्मा द्वारा प्रस्तुत अमेन्डमेंट स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री एच० के० व्यास का अमेन्डमेन्ट लिस्ट नं० ४, सीरियल नं० १४ पर जो है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि श्री जवानसिंह द्वारा प्रस्तुत अमेन्डमेंट स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

The amendment is defeated.

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री तनसिंह द्वारा प्रस्तुत अमेन्डमेंट नम्बर २, सेन्ट्रल लेजिस्लेचर वाला स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

यह संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री तनसिंह द्वारा प्रस्तुत पहला अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

The amendment is defeated.

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री एच० के० व्यास का दूसरा अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

प्रश्न यह है कि खण्ड २, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड दो, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Now, clause 3. Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास— Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 3 :—

"In the proposed proviso to be inserted in section 4 of the Principal Act :—

(1) the words 'or for the performance of any religious service' occurring in line 3 of part (a) of the proviso be deleted and the following be inserted in their place :—

"if such institution or place of religious worship is run and managed by a public trust."

माननीय अध्यक्ष, यह जो खण्ड हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उस सिलसिले में कुछ ऐसे भूस्वामियों की जागीरें होंगी कि जिन पर इस एक्ट के अनुसार शर्तें लागू नहीं होंगी, ऐसा इस प्रोविजो में कहा गया है। मसलन :

"Provided that no such land revenue shall be payable in respect of."

इसमें भाग (अ) में अगर आप देखेंगे तो यह कहा है कि "any jagir land the income of which is utilised for the maintenance of any educational institution or any place of religious worship or for the performance of any religious service."

इसमें जो आखिरी शब्द है "or for the performance of religious service;" तो ये शब्द न सिर्फ वेग (vague) हैं, ये ऐसे शब्द हैं कि जिनका कुछ भी अर्थ निकल सकता है। यह समझ में आने काबिल बात है कि कोई एजूकेशनल इन्स्टीटयूट है तो वह एक वेल डिफाइन्ड (well defined) चीज है। 'place of religious worship' भी काफी कॉन्क्रीट चीज है, पर 'Performance of religious service' बहुत वेग है। कोई अगर घर में यज्ञ करे, कोई दावत करे तो इसमें तो किसी भी चीज का ताल्लुक religious service से जोड़ा जा सकता है। इसलिये यह समझ में आने काबिल बात नहीं है। मेरा ख्याल है माननीय अध्यक्ष, कि दुनिया में यह बड़ा कठिन है, यह डिमार्केट (demarcate) करना कि अमुक चीज religious service से ताल्लुक रखने वाली है और अमुक चीज ऐसी नहीं है। शादी-विवाह में भी शुरू में ठाकुरजी की पूजा की जाती है तो वह भी Religious service करार दे दी जावेगी। कानून में इतनी वेग टर्म का इस्तेमाल करना बहुत नुकसान देह होगा।

इसलिए मेरा पहला संशोधन है "or for the performance of any religious service." के शब्द इस भाग (अ) में निकाल दिये जावें। इसके बदले में मैंने इसमें और कुछ शब्द जोड़ने के लिए भी अपने संशोधन में सुझाव दिया है और वह यह है कि यदि

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

एक्सेप्शन करना है तो कोई स्टेन्डर्ड के आधार पर करना चाहिये और अगर एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट के लिए या प्लेस आफ रिलीजस वर्शिप के लिये एक्सेप्शन करना है तो एक शर्त लागू करनी चाहिये और वह यह हो कि पब्लिक ट्रस्ट (public trust) द्वारा चलाई जानेवाली वे संस्थाएं हों। यदि कोई एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट बनावे और एक अपना प्राइवेट ट्रस्ट बना दे तो उसकी नीति के बारे में किस उद्देश्य के लिये वह संस्था चलाई जा रही है, समाज में उस संस्था का क्या उपयोग है अथवा सामाजिक तौर पर इसको कितना प्रोत्साहन सरकार की ओर से या पब्लिक की ओर से मिलना चाहिये, यह निर्धारित करना मुश्किल हो जावेगा। इसी प्रकार से कोई प्लेस ऑफ रिलीजस वर्शिप है लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाओं की कदर करते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि केवल रिलीजियन के आधार पर इतना बड़ा एक्सेप्शन दे देना, यह ठीक नहीं। इसके लिए एक ट्रस्ट होना चाहिये और वह पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिये जिससे कि प्लेस का और उस फेसिलिटी का उपयोग हो रहा है या या दुरुपयोग हो रहा है, इसका पता चल सके। सारे से सारे समाज का इस पर कुछ न कुछ कन्ट्रोल हो इस कार्य पर जिस पर कि हम एक्सेप्शन दे रहे हैं। अतएव यह आवश्यक है कि माननीय अध्यक्ष, प्रत्येक एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट अथवा प्रत्येक प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप को इस प्रकार की रियायत देने के बजाय पब्लिक ट्रस्ट के मार्फत इन पर कुछ कन्ट्रोल होना जरूरी है। कल यह भी मुमकिन है कि अगर ऐसी रियायत देंगे और किसी प्लेस ऑफ वर्शिप के नाम पर दुरुपयोग किया गया, किसानों से पैसा लिया गया, उसका दुरुपयोग किया गया तो क्या कर सकेगी राज्य सरकार इस में। इसमें तो एक बन्धन डालना पड़ेगा और वह बन्धन यही हो सकता है कि पब्लिक ट्रस्ट द्वारा मेनेज की हुई और इसके द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाएं होनी चाहिये, जिन्हें लैण्ड रेवेन्यू से सेस करना है, उन पर यह बन्धन हो जावेगा। वे तुरन्त से तुरन्त पब्लिक ट्रस्ट बनावेंगे और अगर नहीं बनावें तो उसको प्राइवेट चीज समझ कर इस प्रकार की सहूलियतें नहीं दी जानी चाहिये। इसलिए मेरे संशोधन को पहले भाग का ताल्लुक इस प्रोपोज्ड प्रोविजो (ए) से है।

दूसरा भाग जो है उसका ताल्लुक प्रोपोज्ड प्रोविजो के पार्ट बी से है। इसमें मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि—

पार्ट बी

"Part (b) of the proviso be deleted."

इसमें यह लिखा है कि "any jagir land, the rental income of which as determined under section 6 or 7, is less than Rs. 500/—"

मुझे, यह क्यों रखा गया प्रोविजो इसका कुछ तात्पर्य समझ में नहीं आया और इसलिए नहीं आया कि पाँच सौ रुपये से कम आमदनी जिस जागीर की है उसकी भविष्य में क्या स्टेटस रहेगी? क्या उसे एक विशेष केटेगरी बनाया जा रहा है? यदि उसे भी रिज्यूम किया जा रहा है तो फिर वह जो जमीन है तो उस जमीन का और राज्य का एक दूसरे से क्या सम्बन्ध होगा? आप कहते हैं कि राज्य-लैंड रेवेन्यू उस पर नहीं लेगी तो फिर कौन लैंड रेवेन्यु लेगा? जागीरदार लेगा रेन्ट के रूप में? इसका

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कोई खुलासा नहीं है कहीं। होना तो यह चाहिये कि एक बार जागीर रिज़म्पशन कानून पास हो जाने के बाद जो भी छोटी मात्रा में हो अथवा बड़ी मात्रा में हो, कोई भी व्यक्ति जमीन के सिलसिले में किराया ले सके, ऐसी परिस्थिति या जागीर प्रथा का कुछ भी अवशेष रखने की आवश्यकता नहीं है। आप, ऐसे छोटे भूस्वामी हैं उनको रियायत दें, दी है, यह ठीक है। पाँच सौ से कम आमदनी है उनसे १२॥ प्रतिशत कम लैंड रेवेन्यु वसूल की जावेगी, यह जुदा बात है; पर यह कह देना कि उनसे नहीं ली जावेगी इसका तात्पर्य यह हुआ कि छोटे-छोटे माइनर ड्रॉप्स जागीरी प्रथा के हम कायम रखना चाहते हैं अब भी और इस प्रकार के ड्राप्स कायम रखने का क्या तात्पर्य हैं, यह मेरी तो समझ में नहीं आया। इससे तो और रेवेन्यु के कानून जितने हैं वे कॉम्प्लीकेटेड होंगे और यह उनको, किसानों को और दूसरे लोगों को परेशानी का बायस खड़ा कर देगा। इसलिए मैंने अपना अमेंडमेंट जो प्रस्तुत किया हैं उसमें यह सुझाव दिया है कि इस प्रोविज़ो का पार्ट 'बी' जो है वह हटा दिया जावे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और चूंकि ऐसे छोटे-छोटे भूस्वामियों का प्रश्न अलग से बाद में लिया गया है और उनको क्या सहूलियतें दी जावे क्या मुआवजा रहना चाहिये, आदि के बारे में क्या सहूलियतें दी जावें बाद में क्लॉज में आई हैं इसलिए उन्हें यहाँ लाने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। इसलिए इन शब्दों के साथ अपने इस अमेंडमेंट को प्रस्तुत करते हुए मेरी सदन से प्रार्थना है कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने का प्रयत्न करे।

श्री चाँदमल मेहता—मेरा भी प्रस्ताव बिल्कुल इसी किस्म का था। पर चूँकि प्रस्ताव मूव किया जा चुका है, तो मैं इसके सपोर्ट में ही कहने का प्रयत्न करूँगा।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, यह जो एमेंडमेंट है वह प्रिन्सिपल एक्ट के सेक्शन ४ का एमेंडमेंट है:—

"4. All lands liable to pay land revenue:—

'Notwithstanding anything contained in any existing jagir law or any other law, all jagir lands shall, as from the commencement of this Act, be liable to payment of land revenue to the Government; and as from such commencement the liability of all jagirdars to pay tribute to the Government under any existing jagir law shall cease."

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मैं इसका मतलब समझा हूँ उसका यह मतलब समझा हूँ कि सरकार पाँच सौ से नीचे की जागीरों से तब तक लेन्ड रेवेन्यु वसूल नहीं करेगी जब तक कि उन जागीरों पर सरकार का कब्जा न हो। इससे पहले जो प्रिन्सिपल एक्ट है उसके अन्दर सारी जागीरों से चाहे उनकी कितनी ही आमदनी हो वह पावर ले लिए गये थे। इसके पहले भी मैं माननीय राजस्व

[श्री चाँदमल मेहता]

मन्त्री महोदय को याद दिलाऊंगा कि भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने भी एक कानून बनाया और उस कानून के अन्तर्गत दो सौ से ज्यादा वाली जितनी जागीरें थीं उन सब से वह रेवेन्यु के अधिकार ले लिये और वह अधिकार लेने वाला जो मंत्री-मण्डल था उसके माननीय राजस्व मन्त्री भी एक सदस्य थे। आज जब कि यह एमेंडमेंट सामने आ रहा है तो हम यह सोचते हैं कि आज से ५ साल पहले भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने जिस चीज को महसूस किया कि रेवेन्यु पॉवर जागीरदारों के हाथ में रहना खतरनाक है उनको आज फिर से दिये जाने के बारे में यह अमेंडमेंट आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जागीरदार रेवेन्यु वसूल करता है तो वसूल करने के जो कुछ भी कानून-कायदे बनते हैं वे सही मायने में उपयोग में नहीं आते हैं। जैसे छठे बाँटे का कानून बना है तो राज्य के अधिकारी जागीरदारों का साथ देकर छठे बांटे की बात की बात को अमल में नहीं ला रहे हैं। जहाँ नकदी सेटलमेंट किया गया वहाँ भी अमल में नहीं आ रहा है। उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ कि नाडू ग्राम में सेटिलमेंट हुआ......

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member will not go out of the scope of this particular amendment.

श्री चाँदमल मेहता—वही एमेंडमेंट मैं सामने रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष—So many things are relevant to this.

श्री चाँदमल मेहता—मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो चीज एक मर्तबा आज से ५ साल पहले भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने तय कर दी थी तो उससे ऊपर के जागीरदारों से लेन्ड रेवेन्यु के अधिकार छीन लिए थे, रेवेन्यु पॉवर छीन ली थी किन्तु वे आज इसके जरिये से तब्दील करने की कृपा नहीं करें।

श्री मथुरादास माथुर—अध्यक्ष महोदय, मेरी तरमीम इस प्रकार है:—

"In clause 3 of the Amendment Bill, the proviso to section 4 shall be substituted by the following:—

Provided that nothing contained in this section shall apply to any jagir land—

(a) The income of which is utilised for the maintenance of any educational institution or any place of religious worship or for the performance of any religious service, or,

[श्री मथुरादास माथुर]

(b) the rental income of which as determined under section 6 or section 7 is less than five hundred rupees,"

वास्तव में यह तरमीम लफ्जों में सुधार है और जो भाषा इस एमेंडमेंट बिल में लिखी गई है उसके ऊपर एक सुधार रखा गया है । मैं यह भी इस मौके पर अर्ज करना चाहूँगा कि खुदकाश्त में जहाँ तक प्रोवीजों के सेक्शन (ए) का सम्बन्ध है वहाँ तक तो कोई तरमीम नजर नहीं आती। जहाँ तक (बी) का सम्बन्ध है उसका मतलब हमारे बहुत से साथियों ने इस प्रकार से लिया है कि पाँच सौ से कम की आमदनी यानी उनकी रेन्टल इन्कम है उनकी जागीरें चालू रहेंगी - इस सेक्सन का यह कतई मतलब नहीं है । मतलब इतना ही है कि किसी जागीर की रेन्टल इन्कम जो कि दफा ६ और ७ में शुमार की गई है वह पाँच सौ से कम है और जब तक उस जमीन का ऐसेसमेंट (assessment) नहीं हो जाय तब तक उन लोगों से लेन्ड रेवेन्यु वसूल नहीं की जायगी, यानी आज एसेसमेंट नहीं होता है तो लेन्ड रेवेन्यु वसूल नहीं की जायगी, सिर्फ इतना ही मतलब है । यह उन लोगों के बारे में है जो छोटे जागीरदार हैं और जिनकी आमदनी ५०० रु० से कम है, उनको फायदा दिया गया है । जब तक कि जागीर का एसेसमेंट नहीं हो जाय तब तक लेन्ड रेवेन्यु नहीं लेंगे । यह इसका मतलब है और ज्यादा पढ़ना और यह कहना कि वे जागीरें कायम रहेंगी, यह मेरे माननीय मित्र का भ्रम है । इसलिए मैं यह तरमीम इन लफ्जों के साथ पेश करता हूँ ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय मथुरादास जी ने अभी कहा था कि कुछ साथियों का ऐसा खयाल है कि इसके मायने शायद यह निकाले जांय कि पाँच सौ रुपये से कम की जागीर पर कोई किसी किस्म का असर होगा ही नहीं। इसके मायने इस हालत में हो सकते थे कि यह "Provided that no such land revenue shall be payable in respect of any land the rental income of which as determined under section 6 or 7 is less than five hundred rupees." मेरे खयाल में यह बिल्कुल foolproof है । अगर बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी जानबूझ कर गलती करना चाहे तो वह दूसरे मायने उसके निकाल ही नहीं सकता । फिर मैं नहीं समझा कि मेरे साथियों के दिमाग में यह शंका क्यों हुई कि इसके मायने यह होंगे कि ५०० से कम की जागीरें तो फिर भी कायम रह जाँयगी। यह मतलब नहीं निकल सकता है, लेकिन फिर भी संशोधन के रूप में इसको लाये तो इसके मायने यही हैं कि दोनों के मतलब में फर्क नहीं है। यह माननीय मन्त्रीजी के लिए है कि वह भाषा के हेरफेर को पसन्द करें, लेकिन जहाँ तक मतलब है और जो मकसद है और जो इस बिल का इन्टेन्शन है उसमें किसी हालत में दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूँ ।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय अध्यक्ष, तीसरी धारा के सम्बन्ध में जो संशोधन मेरे माननीय मित्र श्री एच० के० व्यास ने रखा है उसके विरोध में मैं उपस्थित हुआ हूँ। संशोधन विधेयक की तीसरी धारा जो इस प्रकार इस रूप में रखी गई है मैं उसे यथावत् मानने को तैयार हूँ। ऐसा ही दृष्टिकोण मेरा है, क्योंकि यह धारा इसलिए ठीक रखी गई है और श्री एच० के० व्यास जो

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

यह कह रहे हैं कि धार्मिक जायदादों पर ट्रस्ट हो जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके ५० बीघा ही जमीन है और २५) रु० उसको मिलते होंगे तो उनका क्या ट्रस्ट बनाया जायेगा। क्या वह चाहते हैं कि मन्दिरों में पूजा बन्द हो जाय ? क्या वह चाहते हैं कि गरीबों को कुचल दिया जाय ? मैं इसको मानने को कदापि तैयार नहीं हूँ। वह जिस दृष्टिकोण से रखा गया है वह उसी प्रकार से रहना चाहिए, यही मेरी राय है; उसमें बिल्कुल रद्दोबदल नहीं हो और वह यथावत् रहे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में, इस बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जो मूल में इसकी धारा है उसमें श्री मथुरादास जी ने जो एमेंडमेंट पेश किया है वह भाषा का है। उससे वह ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, उससे कोई अन्तर नहीं होता है इसलिए उसे स्वीकार करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन श्री एच० के० व्यास ने जो एमेंडमेंट मूव किया है पांच सौ से नीचे की जागीरों के बारे में कि जो लेन्ड रेवेन्यू हो वह १।८ के हिसाब से दूसरों से एसेस होगी उससे ऊपर करने की बात कही गई है। पहले की धारा को हटाने का जो एमेंडमेंड रखा गया है उसके लिए यह दलील दी गई है कि इसके रखने में हमारी यह मन्शा जाहिर होती है कि उसको इसमें करेंगे या नहीं। लेन्ड रेवेन्यू वह कहाँ पे (pay) करेंगे, इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया है। मैं समझता हूँ कि उसका प्रश्न इसलिए नहीं खड़ा होता है, क्योंकि यह क्लेम जब तक उन जागीरों को रिज़्यूम (resume) नहीं किया जाय तब तक के लिए यह कन्सेशन है। पहले यह कन्सेशम नहीं दिया गया था क्योंकि पाँच हजार से नीचे की जागीरों के रिज़्यूम करने की बात नहीं थी, धीरे-धीरे लेन्ड एसेस बढ़ाने की बात थी। लेकिन सारी जागीरों को लेने की बात कर रहे हैं। पाँच सौ से नीचे की जागीरों की आमदनी को एसेस करने में और सारी चीजों को तैयार करने में और दूसरी बहुत सी रियायतों की दृष्टि से इस धारा का रखा गया, जिससे इन लोगों को रियायत मिलेगी और उनसे १।८ वसूली की बात नहीं रहे। इससे ज्यादा मतलब लगाने की बात उपयुक्त नहीं है।

दूसरी बात रिलीजियस वर्शिप की या सर्विस की, जो कि पब्लिक ट्रस्ट के जरिये कन्ट्रोल की जाती है, ऐसी संस्थाओं या धार्मिक संस्थाओं को रियायत होनी चाहिए। धार्मिक संस्थाओं को पब्लिक ट्रस्ट के जरिये कन्ट्रोल किये जाने के बारे में एक और अलग से कानून बनाया जा रहा है। जब वह कानून आयेगा तब उसके अनुसार उस पर अमल किया जायगा। इस वक्त तो कोई कानून नहीं है और कानून नहीं होने की हालत में यहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट की बात को छोड़ दिया गया है। तो जिस राहत को हम देना चाहते हैं, जो रियायत देना चाहते हैं धार्मिक कार्यों के लिए और संस्थाओं के बारे में, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए इनका क्लेम रखा गया है, उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो बात रखी गई है वह धार्मिक संस्थाओं के लिए है या शैक्षणिक संस्थाओं के लिए है या पाँच सौ से नीचे की जागीरों के लिए है। मैं समझता हूँ कि यह वाजिब है कि इनको रियायत दी जाय, तो सदन की इन्कारी नहीं होनी चाहिए।

मेरे माननीय मित्र ने कहा कि फॉर्मर राजस्थान में दो सौ से ऊपर की सारी जागीरें ले ली गई थीं, उन पर क्या असर होगा ? जहाँ तक फोर्मर राजस्थान के कानून का प्रश्न है, वैधानिक रूप

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

से वह कानून आज अमल में नहीं रहा है और उस प्रश्न को इसके साथ जोड़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। वह एक अलग प्रश्न है। उसके अन्तर्गत लेंड रेवेन्यू और ट्रिब्यूट पहले अलग-अलग लिया जाता था। ट्रिब्यूट के बजाय लेंड रेवेन्यू के बारे में यह धारा रखी जाती है। वह प्रश्न खुद में अलग सवाल है। उसका इस पर कोई असर पड़ता नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि वे अपना संशोधन वापिस ले लेंगे। श्री एच० के० से भी यही आशा की जानी चाहिये कि वे अपना संशोधन वापिस ले लेंगे, नहीं तो हाउस उसे रद्द करेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Or for the performance of any religious service.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जैसा यह क्लॉज़ रखा गया है उसके अन्दर श्री मथुरादासजी ने जो भाषा रखी है उसको मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—श्री मथुरादासजी की भाषा भी यही है।

श्री भैरोंसिंह (वि० स० १६)—माननीय अध्यक्ष...

श्री अध्यक्ष—अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह—मैं दो मिनिट लूंगा। माननीय अध्यक्ष, अमेन्डमेन्ट पर जो जवाब दिया है...

श्री अध्यक्ष—जब जवाब दिया गया था उस समय आप हाउस छोड़ कर चले गये थे, अब आप नहीं बोल सकते।

श्री भैरोंसिंह—मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष—आपको उपस्थित रहना चाहिये। मैं बोलने का पूरा मौका दूँगा लेकिन आप बाहर चले जायेंगे और फिर आकर बोलना चाहेंगे तो यह सदन के साथ अन्याय होगा। अब आपको बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री भैरोंसिंह—मुझे केवल १ ही मिनट का समय चाहिये।

श्री अध्यक्ष—No, it is a matter of rule and not a matter of concession.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो मैंने अमेन्डमेंट दिया है अध्यक्ष महोदय, वह है तो बहुत काम का लेकिन नहीं मानते मेरे मित्र तो मैं इन्हें वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ। I don't want to press it, Sir.

श्री अध्यक्ष—You have not moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I also want to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Vyas to withdraw his amendment.

(स्वीकृत)

अमेन्डमेंटस वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपने अमेन्डमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो सन्शोधन श्री मथुरादास माथुर ने पेश किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३, सन्शोधित रूप से, विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४, अमेन्डमेंट बाई श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 4 :—

"In part (i) of the clause, the proposed part (ii) sought to be inserted in clause (a) of sub-section (3) of section 6 of the Principal Act be deleted."

श्री अध्यक्ष—Very complicated.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is the difficulty. The number also is very complicated. One and two recur every time.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट का तात्पर्य यह है कि खण्ड ४ अमेन्डिंग बिल का जो है और जिसका ताल्लुक प्रिन्सिपल एक्ट के सेक्शन ६ से है उस खण्ड ४ के मुतल्लिक कुछ तब्दीलियें सेक्शन ६ सब सेक्शन (३) क्लॉज़ (ए) में लाने का प्रयत्न किया गया है और ये तब्दीलियें करने का प्रयत्न किया गया है कि २ भाग इससे लिये गये हैं।

"Be the total of......

(i) the rents assessed on the jagir lands (other than khudkasht lands which have not been so assessed) as entered in the revenue records of the village, and.

(ii) the rents which would have been payable in respect of Khudkasht lands (which have not been so assessed) if they had been let out to tenants on the prevailing rent rates in the locality;"

अब यदि हम प्रिन्सिपल एक्ट की सेक्शन ६ की ओर गौर करें तो वह सेक्शन अध्यक्ष महोदय, है 'Determination of rental income from jagir lands' और उसमें यह कहा गया कि :

"For the purpose of assessing the land revenue payable in respect of the jagir lands of a jagirdar the Collector shall first determine the rental income from such lands in the manner hereinafter provided."

तो यह रेन्टल इन्कम (rental income) जो सेक्शन ६ के मातहत निर्धारित की जायगी उसी रेन्टल इन्कम को २ चीजों के लिये इस्तेमाल में लिया जा रहा है। एक तो लैंड रेवेन्यू को मुकर्रर करने के लिए और दूसरा आगे चलकर उस जागीरदार की ग्रोस इन्कम और नेट इन्कम मुकर्रर करने के लिए। मेरे माननीय मित्र ने जब यह अमेन्डिंग बिल रखा तब शायद उनके ख्याल में एक ही बात थी और यह थी कि सेक्शन ६ केवल लैंड रेवेन्यु डिटर्मिन करने के लिए ही काम में आनेवाला है। वे शायद यह भूल गये कि आगे चलकर क्लॉज़ ६ ग्रोस इन्कम और नेट इन्कम को तय करने के लिए भी काम में आनेवाला है और जो अमेंडमेंट अब मूव किया है उसका तात्पर्य यह होगा कि किसी भी जागीर की रेन्टल इन्कम तय करते समय जो लगान लेते हैं उससे होने वाली आमदनी और जो खुदकाश्त में जमीन दर्ज है यदि वह किसी को दी जाती तो उससे जितना किराया या रेन्ट मिलता और उससे जो आमदनी होती उसको मिलाने से सारी की सारी आमदनी की मिकदार बढ़ गई। चाहे खुदकाश्त जमीन पर करता हो या न करता हो, चाहे वह जमीन किसी को दी गई है या नहीं, चाहे उसने उससे फायदा उठाया हो या नहीं, चाहे उसने उस जमीन को पड़ा ही रहने दिया है लेकिन टोटल रेन्टल वेल्यू के फिगर्स बढ़ गये हैं और इससे आगे चलकर कंपेन्सेशन देने का अब मौका आया तो यह आमदनी ग्रोस इन्कम में बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि लगान के रूप में जो आमदनी वसूल की है वह तो आमदनी बढ़ी है खुदकाश्त के रूप में काश्त की तो धान घर में

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

भरा लेकिन जमीन बेकार पड़ी रही तो यदि किसी को दी जाती और उससे आमदनी होती। वह आमदनी भी इसके साथ जोड़ दी गई और उस पर टेन टाइम्स कंपेन्सेशन (ten times Compensation) बढ़ गया। रेन्टेड रेवेन्यु एसेस करने के लिए सारी की सारी जमीन को काम में लिया जाय। सेक्शन ६ में इतनी बड़ी तादाद में आमदनी हुई है या नहीं और यदि वह जमीन बेकार भी पड़ी है तो भी कंपेन्सेशन की रकम तो ज्यादा बढ़ ही जायगी जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसलिये इस फ्रेज़ को ३ (२) में से हटा दिया जाय और सेक्शन (६) में जो तब्दील करने का प्रोविजन किया जा रहा है उसमें इस प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है।

श्री जवानसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा संशोधन श्री एच० के० व्यास ने प्रस्तुत किया है उसके जरिये वे सरकार की आमदनी को लोस (loss) पहुँचाना चाहते हैं। यदि यह संसोधन मन्जूर कर लिया जाय तो जागीरदारों की खुदकाश्त की जमीन पर कोई लैंड रेवेन्यु न तो बढ़ पायगा और न सरकार जागीरदारों की खुदकाश्त की भूमि पर लगान वसूल कर पायगी, इसलिये इस कदर का अमेंडमेंट जिससे सरकार की आमदनी को नुकसान पहुँचता हो, मन्जूर नहीं किया जा सकता। यह संशोधन एक वक्त के लिये नहीं है। सन् ५२ के बाद भविष्य में किस कदर मालगुजारी सरकार की भूमि से वसूल की जायगी, उस पर इसका असर पड़ता है।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह किसी प्रकार मन्जूर नहीं किया जाये।

प्रस्तावक महोदय कहते हैं कि कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन जागीरदार को मिलता है तो जो दूसरी भूमि उसके कब्जे में है, जो भूमि उसके खुदकाश्त के नाम से दर्ज है उसकी इन्कम को कम्पेन्सेशन की रकम में नहीं मिलाया जाय। जब कि दोनों भूमियें एक सी हैं और दोनों भूमियों से सरकार लैंड रेवेन्यु वसूल कर सकती है तो सरकार को दोनों ही तरह की भूमियों को इन्कम के हिसाब से कम्पेन्सेशन देना चाहिये।

अतः अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को अस्वीकार किया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय संशोधन में यह कहा गया है कि जागीरदारी की जो लैंडस हैं उनमें खुदकाश्त की जमीन की इन्कम को, जिस इन्कम पर जागीरदार को कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है उसमें जोड़ना स्वीकार करेंगे तो इससे कम्पेन्सेशन अधिक देना पड़ेगा, इससे सरकार को लोस (loss) होगा और यह उचित भी नहीं है इसलिये इस खुदकाश्त की जमीन की इन्कम को उस इन्कम से दूर कर दिया जाना चाहिये, उसमें जोड़ना नहीं चाहिये।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

यह सही चीज है कि कम्पेन्सेशन में खुदकाश्त की इन्कम को माना गया है, पर एक तरफ जो खुदकाश्त की जमीन उसके पास होगी, मान लीजिए कि एक जागीरदार ने आज २००० बीघा जमीन खुदकाश्त की रख ली और कम्पेन्सेशन को बढ़ाने का प्रयत्न किया तो इसका असर यह पड़ने वाला है कि २००० बीघा जमीन का उसको लगान देना पड़ेगा, २५ प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज देने पड़ेंगे, और दूसरे चार्जेज़ कटेंगे वह भी कटेंगे और दूसरी तरफ खुदकाश्त का लगान जो असेस किया जायगा वह सरकार को देना पड़ेगा।

आपके कहने का तात्पर्य यह है कि खुदकाश्त की इन्कम को गिना नहीं जाय, इस दृष्टि से तो फरक पड़ता है। सरकार को कम्पेन्सेशन की रकम ज्यादा देनी पड़ेगी। परन्तु जो जमीन उनके नाम पर दर्ज है उसको न मानना उचित नहीं होगा। अगर इस दृष्टि से आप चलना चाहते हैं कि जागीरदार की खुदकाश्त की इन्कम को जोड़ने से ज्यादा कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा तो साथ ही यह मान कर भी चलना पड़ेगा कि असेसमेंट जो किया जायगा और असेसमेंट के अनुसार जो लगान उनसे लिया जायगा और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ जो उनसे वसूल किए जायेंगे उनको मानने से सरकार को कोई घाटा नहीं होने वाला है।

सौराष्ट्र में यह किया गया है कि कम्पेन्सेशन की रकम को केल्कुलेट करने के लिए खुदकाश्त की रकम को नहीं माना है। जहाँ खुदकाश्त की इन्कम को अलग कर दिया है वहाँ-वहाँ खुदकाश्त की जमीन के लगान को कुछ वर्षों तक बिल्कुल नहीं लेकर व इसके कुछ वर्षों बाद १।८ लेकर फिर १।४ करके बढ़ाते गये है। ऐसी सूरत में हमने जो यहाँ रखा है वह उचित ही है। जागीरदारों की तरफ से तो जब दोनों में आपस में बात-चीत हुई तो यह कहा गया था कि हमें सौराष्ट्र की तरह दे दिया जाय। पर हमने आर्थिक दृष्टि से यह ज्यादा लाभप्रद है इसलिए इसे स्वीकार किया।

श्री अध्यक्ष—(श्री एच० के० व्यास से) You want to withdraw.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, I want to make it clear.

श्री अध्यक्ष—It is very clear.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not clear exactly, Sir.

मेरे मित्र जवानसिंहजी ने इस अमेंडमेंट का विरोध करके मेरी बहुत इमदाद की है। आप पूरी की पूरी सेक्शन्स ठीक तौर से देखेंगे तो यह सारा एक्ट जिस ढंग से बनाया गया है वह गलत है। होना तो यह चाहिये था कि लैंड रेवेन्यु के लिए आप असेस करायें, कम्पेन्सेशन के लिए मत कराइये। मेरे मित्र कह रहे हैं कि करायें, क्यों नहीं करायें। लगान ले रहे हैं इसलिए कम्पेन्सेशन दे रहे हैं, वह तो वाजिब चीज होती है। पर मेरे माननीय मित्र रेवेन्यु मन्त्री ने कहा कि कुल मिलाकर कम्पेन्सेशन दिया

[श्रीहरिकृष्ण व्यास]

जाय इससे राज्य को नुकसान नहीं होगा। आगे भी मैंने एक संशोधन रखा है और वह जहाँ एमाउन्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन देना है उससे ताल्लुक रखता है।

माननीय अध्यक्ष, वह बोझा राज्य पर बढ़ाना और आम लोगों पर बढ़ाना यह हमारे लिए नुकसान की चीज होगी।

इतना बड़ा भू-भाग लेन्ड रेवेन्यु से वंचित नहीं रह जाय इसका उपाय यही है कि क्लाज़ ६ में जो १/६, १/८ रखा है वह आप बढ़ा दीजिये। इस तरह लेंड रेवेन्यु में भी नुकसान नहीं होने वाला है और कम्पेन्सेशन में डबल पेमेंट नहीं होने वाला है। खुदकाश्त की जमीन का लगान भी नहीं देते और कम्पेन्सेशन भी लेते हैं, इस तरह से डबल पेमेंट होता है।

डबल पेमेंट को रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि इसे स्वीकार कर लें तो उचित होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I am sorry.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री एच. के. व्यास का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

श्री एच. के. व्यास का संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ बिल में अंग रूप से स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड ५, श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरे संशोधन इस क्लॉज ५ में दो हैं। पहला यह है:—

[श्री तनसिंह]

"(1) Renumber the Clause as sub-clause (1) and add the following new sub-clause (2) :—

'(2) Add the words "for the time being in force" at the end of the sub-section (4) of Section 7 of the Principal Act.'

दूसरा अमेन्डमेंट यह है—"(2) Add another new sub-clause after the proposed sub-clause (2) as follows :—

'(3) Add a new sub-section (5) after sub-Section (4) of Section 7 of the Principal Act :—

"(5) On the event of such village being settled, the rental income from Jagir lands of such village shall on application of the Jagirdar concerned, be redetermined in accordance with the provisions of section 6."

पहला जो मेरा संशोधन है वह टेक्निकल है, जो धारा ७ सब क्लाज (४) के अन्तर्गत है। उपधारा (४) जो है वह इस प्रकार है—

"(4) The statement furnished by a jagirdar under sub-section (1) may be used against him for the purpose of determining the compensation payable to the Jagirdar if the jagir lands are resumed under this Act or under any other law."

मैंने आगे बढ़ाया है "For the time being in force." जब हम किसी अन्य कानून का जिक्र करते हैं तो वह उस समय लागू होना चाहिए। यह तो एक टेक्निकल संशोधन है जिसको मानने में कोई ऐतराज नहीं होगा।

दूसरा संशोधन यह है कि ६ और ७ में इतना ही फरक है कि रेन्टल इनकम गिनी जायगी वहां सेटल्ड एरिया और अनसेटल्ड एरिया में इस पर जो लैंड रेवेन्यु जागीरदार को देनी पड़ेगी वह इसके अनुसार होगी। किसी गाँव का सेटलमेंट हो जाय, पहले पहल तो असेसमेंट हो जाय; इस दौरान में एक दो साल में जागीर रिजम्पशन होना है, आगे हो, यह संभव हो तो रिजम्पशन हो जाने पर जागीरदार की दरख्वास्त पर जो असेसमेंट हो, उसका नक्शा सेटलमेंट आफिस में हो। उसके अनुसार ६ के अनुसार यही असेस कर दिया जाय, महज इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है और इस पर विशेष कहने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। आशा है इन्हें स्वीकार किया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 5 :—

Page No.26

[हरिकृष्ण व्यास]

The following may be substituted for clause 5 :—

'5. **Amendment of Section 7, Act VI of 1952:**

In Section 7 of the Principal Act, in sub-section (1), clause (b) shall be omitted.'

अभी इस एमेन्डमेंट पर काफी देर तक बहस हुई थी, उसी का यह कौन्सीक्वेन्शियल एमेन्डमेंट (Consequential amendment) है। सेक्शन ७ में भी अनसेटल्ड एरिया (unsettled area) के बारे में जिक्र आया और ओरिजिनल एक्ट में भी इसका जिक्र किया गया है। इससे यही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि खुदकाश्त के रूप में जो जमीन नहीं रही हो तो लगान की जितनी आमदनी हो चुकी हो वही समझी जावेगी। क्लॉज़ में साफ है। इसलिये मैंने अपना एमेन्डमेंट रखा है। मैं इस पर ज्यादा कहना उचित नहीं समझता।

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना एमेन्डमेंट मूव करना नहीं चाहता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर ज्यादा चर्चा में पड़ना नहीं चाहता। मुझे श्री तनसिंहजी के पहले अमेन्डमेंट को, जो एक टेक्नीकल एमेन्डमेंट है स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं।

श्री अध्यक्ष—Which ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—"Renumber the clause as sub-clause (1) and add the following new sub-clause (2) :—

'(2) Add the words 'for the time being in force' at the end of sub-section (4) of Section 7 of Principal Act" और जहाँ तक उनके दूसरे एमेन्डमेंट का प्रश्न है मैं यह कहूँगा कि वह आगे जाकर कवर अप (Cover up) हो जावेगा। इसलिये इसको चेन्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिये मैं समझता हूँ कि मूल क्लॉज़ को मन्जूर किया जावे।

श्री तनसिंह—कौनसी जगह यह कवर अप हो जावेगा, यह नहीं बताया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Sub-clause (3)—it will come in Section 6—I mean in clause 6.

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना दूसरा अमेन्डमेंट वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री तनसिंह को अपना दूसरा अमेन्डमेंट वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री तनसिंह—मैं अपना एमेन्डमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं भी अपना एमेन्डमेंट वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री एच० के० व्यास को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना एमेन्डमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री तनसिंहजी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का भाग (१) स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन का भाग (१) स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि खण्ड ५, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड ५, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड ६, श्री चाँदमल मेहता।

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना एमेन्डमेंट मूव नहीं करना चाहता।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, मैं जो अपनी तरमीम पेश करता हूँ वह इस प्रकार है—

[श्री मथुरादास माथुर]

"In clause 6 sub-clause (i) (b)—

'(i) the words and figures 'section 6 and' shall be replaced by the words and figures 'section 6 or';"

"(ii) the word 'is' occurring before the words 'determined under' shall be replaced by the word 'as'."

श्री अध्यक्ष (श्री सुखाड़िया से)—Very technical. You accept these ?

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा पहला एमेन्डमेंट तो एक्सेप्ट हो गया है, इसलिये इसको मूव करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा एमेन्डमेन्ट इस प्रकार है -

"Add the following new sub-clause :—

(ia) between sub-clauses (i) and (ii) of the clause, viz.

(ia) for clause (c) the following shall be substituted namely :

(c) for the agricultural year 1957-58 and subsequent years :—

(1) In the case of Jagir lands, the annual rental income of which as determined under section 6 or 7 exceeds five hundred rupees but does not exceed five thousand rupees one eighth of such rental income or the amount of the tribute which was payable by the Jagirdar for the agricultural year 1950-51, whichever is greater.

(2) In case of Jagir lands the rental income of which as determined under sections 6 or 7 exceeds five thousand rupees, one fourth of such rental income on the amount of the tribute which was payable by the Jagirdar for the agricultural year 1950-51, whichever is greater."

निवेदन करने का मेरा तात्पर्य यह है कि यह जो डिस्क्रिमिनेशन छोटे और बड़े जागीरदारों में रखा गया है या रखा जा रहा है वह अन्त तक रखा जाना चाहिये। यह लेन्ड रेवेन्यू के पेमेन्ट का सवाल है। इसमें यह रखा गया है कि जिसकी आमदनी ५००) रुपयों से ज्यादा और ५०००) रुपयों से अधिक नहीं हो १।१६ भाग लगानी आमदनी का और जिसकी आमदनी ५००० से ज्यादा हो वह १।८ भाग होगा। ऐसी सूरत में १९५२-५३ में १।१६ हो और बाद में १।८ हो। अगर हम इसको पहले स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद १९५७-५८ का प्रश्न आता है। इसलिये मैंने यह

Page No.29

[श्री तनसिंह]

एमेंडमेंट रखा है कि अगर १।४ भाग लिया जाय तो अभी सब लोगों से लिया जावे। इसलिये मेरा यह ख्याल है कि १।१६ या दूसरे से १।४ लिये जाने की बात हटा दी जावे और अगर यह रखा जाता है तो बाद में भी रहना जरूरी है।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैंने अपना संशोधन बिल के क्लॉज़ ६ के उपखण्ड (१) (बी) को डिलीट करने के लिये निवेदन किया है और दूसरा "but does not exceed five thousaud rupees" व 'whichever is greater' और उपधारा (२) है, उसको डिलेट करने के लिये निवेदन किया है।

इन संशोधनों को प्रस्तुत करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार के सामने जब जागीरदारी रिज़म्पशन का सवाल है तो अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग आधार पर नहीं मानना चाहिये। किसी को ज्यादा फायदा हो, किसी को कम फायदा हो और ज्यादा नुक्सान हो, इस तरह की नीति सरकार की नहीं रहनी चाहिये। जब उनके सामने जागीर रिज़म्पशन का प्रश्न है तो उन्हें एक ही सिद्धान्त को मानना है कि जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन किया जावे। जब उन्होंने इस एक सिद्धान्त को माना है तो जागीरदारों से लेन्ड रेवेन्यू वसूल करने का जो प्रश्न है वह भी एक ही प्रकार से हल होना चाहिये। यह सिद्धान्त कि कुछ जागीरदारों से १।१६ और कुछ जागीरदारों से १।८ है तो मेरा ख्याल है कि एक दूसरे जागीरदार में सरकार को किसी तरह का भेद-भाव नहीं रखना चाहिये। मैंने यह ठीक समझा कि जो छोटे जागीरदार और दूसरे बड़े जागीरदार हैं उन सब के साथ एक प्रकार का बर्ताव किया जावे और एक ही दृष्टि से वे देखे जावें। जैसा कि ज्यादा फायदा और किसी को नुक्सान पहुँचाने का कानून में प्रोविजन किया है। इस सिलसिले में मैं एक और बात जो निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि जहां पर ये शब्द रह जाते हैं उनका अर्थ यह है कि सन् ५०-५१ में हम जो ट्रिब्यूट दिया करते थे वह यदि ज्यादा हुआ तो देते रहें और भविष्य में देते रहेंगे।

मैं इस सिलसिले में सिरोही के कुछ जागीरदारों के सामने जो एक समस्या पैदा हो गई है उसके निस्बत निवेदन करना चाहता हूँ। उन्होंने सन् १९२२ और २३ के वक्त में जागीरों के हिस्सों को सरकार को दिया और उसके एवजाने के फलस्वरूप लेन्ड रेवेन्यू कम कर दी गई। यानी जो लेन्ड रेवेन्यू वाजिब वसूल होती थी उसके एवजाने में जागीर के हिस्सों को सरकार को उन्होंने दिया और लेन्ड रेवेन्यू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दूसरे जागीरदार जो राजस्थान के दूसरे हिस्सों के हैं उन जागीरदारों पर वैसी परिस्थितियां नहीं आई और वे हमेशा से वैसे ही रहे। तो एक जागीरदार वे हैं जिन्होंने कि जागीरों के हिस्सों को सरकार को दिया और हमेशा के लिए लेन्ड रेवेन्यू को खत्म किया और एक जागीरदार वे हैं जिनके पास जागीरें रहती आई हैं और जो लेन्ड रेवेन्यु अदा करते रहे हैं और अब भी अदा कर रहे हैं। इस प्रकार दो भिन्न परिस्थितियां राजस्थान में मौजूद हैं। अब सरकार के सामने प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या जिन जागीरदारों ने जागीरों के हिस्सों को सरकार को दिया और लेन्ड रेवेन्यू को हमेशा के लिए खत्म कराया वे भी उतनी लेन्ड रेवेन्यू अदा करें जितनी कि उन जागीरदारों ने, जिन्होंने कि अपनी जागीरें कायम रखी हैं, जिन्होंने लेन्ड रेवेन्यू सरकार को दिया है।

[श्री जवानसिंह]

अब इस चीज़ को इस विशेष परिस्थिति में मैं माननीय राजस्व मंत्री के सामने रखकर निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन जागीरदारों ने जागीरी के हिस्सों को सरकार को दे दिया और सरकार ने पूरी तरह से ट्रिब्यूट जागीरदार पर रख दिया उसके अलावा १।८ और १।१६ किसी कदर सरकार वसूल नहीं कर सकती है; अगर उनके साथ न्याय करना है, किसी जस्टिस के साथ पेश आना है तो उनको भी न्याय देंगे, जैसा कि दूसरे जागीरदारों को आप दे रहे हैं। अगर उनसे भी उतना ही वसूल किया जायगा जितना कि दूसरे जागीरदारों से, जिन्होंने कि अपनी जागीरों के हिस्सों को सरकार को नहीं दिया, तो यह तो उनके प्रति एक डिफ्रेन्शियल ट्रीटमेन्ट होगा और ऐसा ट्रीटमेन्ट नहीं होना चाहिए। आपने यह सवाल रखा है कि "Whichever is griater". १।८ या १।१६, जो भी हो अदा किया जाय। इस प्रकार आप अगर इसको रखते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जिन्होंने जागीरों के हिस्सों को दे दिया, लेन्ड रेवेन्यू हमेशा के लिए अदा कर चुके हैं, जमीनों के हिस्सों की सूरत में और उसके बाद १।८, १।१६ उनसे फिर वसूल करने जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि इस कदर दोनों चीजें वसूल नहीं की जायं। अगर एक दफा आपको जागीर सौंप दी, लेन्ड रेवेन्यू खत्म कर दिया तो फिर १।८, १।१६ वसूल नहीं होना चाहिए।

दूसरी चीज़ यह है कि उपधारा (२) को डिलीट करने के लिए मैंने निवेदन किया है। उसके लिए मैंने वजूहात अर्ज कर दिये हैं कि सरकार को एक नीति अपनानी चाहिए, जैसे छोटे जागीरदारों के लिए हो वैसी ही बड़े जागीरदारों के लिए भी होनी चाहिये। मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ कि १।८ हिस्सा ही रखना है तो कोई फर्क नहीं आयगा। इस सम्बन्ध में किसी ने कोई अमेन्डमेन्ट मूव नहीं किया है इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए मैंने निवेदन किया कि १।१६ सब के लिए लागू किया जाय ताकि एक नीति सब जागीरदारों के लिए हो। अतः सब क्लॉज़ (१) और (२) में जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं आशा करता हूँ कि सरकार उसको मंजूर करेगी।

श्री **अध्यक्ष**—श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—Mr. Speaker, Sir, I take my amendment as moved.

माननीय अध्यक्ष, सेक्शन आठ जो है वह यह तय करता है कि लेन्ड रेवेन्यू कौनसा जागीरदार कितना देगा, सन् १९५२-५३ में और उसके बाद के वर्षों में। हकीकतन उस सेक्शन में जो अमेन्डमेन्ट किये गये हैं उसमें दो फर्क किये गये हैं। पहला फर्क तो यह किया गया है कि पांच सो से लगा कर पांच हजार रुपयों तक की आमदनी वाली जागीरों में और पांच हजार से ऊपर की आमदनी वाली जागीरों में कुछ फर्क किया गया है। जहां तक कि फर्क किया गया है उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, माननीय अध्यक्ष। लेकिन झगड़ा मेरा इस बात पर है कि जो असेसमेन्ट रखा गया है वह किसी आधार पर हो; यह किसी स्टेन्डर्ड के आधार पर नहीं रखा गया है। पहले १।८ आफ दी रेन्टेल इन्कम (One eighth of the rental income) होगा, ऐसा ओरिजिनल में था। अब जो अमेन्डमेन्ट किया गया है उसमें कुछ तबके के लिए १।१६ कर दिया गया है और बाकी के लिए

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

१।८ रखा है। माननीय अध्यक्ष, मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि १।१६ की जगह १।६ किया जाय और १।८ की जगह १।४ किया जाय और इसके लिये मैं काफी महत्वपूर्ण कारण भी बताऊँगा। सबसे पहला कारण तो यह है कि अभी जो कानून प्रचलित है राजस्थान में और उस कानून के मुताबिक जो खेती से किसान को पैदावार है उसको ग्रोस प्रोडयूस (Gross produce) का १।६ रेन्ट के रूप में सरकार ने मंजूर किया है। ग्रोस प्रोडयूस में कोस्ट ओफ प्रोडक्शन भी आती है, उसमें उसके खाने का और भरण पोषण का खर्चा भी आता है। वह निखालस आमदनी नहीं है। तो ग्रोस प्रोडयूस का भी १।६ आपने रेन्ट के रूप में करार किया है और कल जब जागीरों का रिज़म्पशन किया जायगा तो उसके मुताबिक किसानों से उतना ही लिया जायगा, उसी स्टेन्डर्ड पर लिया जायगा। सारा का सारा ग्रोस प्रोडयूस का १।६ किसानों से लिया जायगा तो फिर उस हद तक तुरन्त न जायं तो नेट इन्कम का १।६ लेने में क्या ऐतराज हो सकता है। एक तरफ तो नेट इन्कम है उसमें कोई खास कोस्ट ऑफ

(श्री राज हिम्मतसिंह, सभापति पदासीन)

प्रोडक्शन का सवाल नहीं आता है। हां, थोड़ा सा कोस्ट ओफ कलेक्शन कभी-कभी जरूर हो जाता है। तो इस वजह से १।६ का मेरा सुझाव है कि १।६ रखा जावे। पांच हजार की आमदनी वालों के लिए और उससे ऊपर की आमदनी वालों के लिए १।४ रखा जाय। सौराष्ट की कई बार मिसालें मेरे माननीय मित्र ने यहां दीं। मैं उनको मध्य प्रदेश की मिसाल देना चाहूँगा; आज की नहीं, लेकिन सन् १९४६-४७ की मिसाल देना चाहूँगा। मेरा ख्याल है कि वे अटेन्टिवली इस बात को सुनेंगे क्योंकि काम की बात है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जब वहां के रेवेन्यु मंत्री श्री आर० के० पाटिल थे, फरवरी सन् १९४७ में एक कानून बनाया मालगुजारी के सिलसिले में और मालगुजारी खत्म करने में समय लगेगा, इस बीच में उस कानून के मुताबिक यह तय किया कि जितनी मालगुजारी वसूल की जाती है उसका २५ प्रतिशत काटकर राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। सन् ४७ में मध्य प्रदेश की सरकार ने मालगुजारी के सिलसिले में भी २५ प्रतिशत स्टेन्डर्ड मुकर्रर किया है। अगर हम जागीर पुनर्ग्रहण के बारे में भी यही स्टेन्डर्ड रखना चाहें तो कोई बात नहीं, जिसके अनुसार आमदनी का कुछ हिस्सा राजस्थान सरकार ले ले जिससे कि उसकी रेवेन्यु भी कम-ज्यादा होती रहती है, वैसे ही अब दो-एक करोड़ का फर्क रह गया है, ठीक हो जाय। मालगुजारी की दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान के जागीरदारों से वे बहुत भिन्न नहीं हैं। कुछ यहां के जागीरदार पिछड़े हुए हैं, कुछ ऐसा कह सकते हैं किन्तु जहां तक जमीन का सम्बन्ध है वहां भी इसी प्रकार है।

तो कोई कारण नहीं कि राजस्थान में इस प्रकार का स्टेंडर्ड बना लिया जाय। इसलिये मेरा अमेन्डमेन्ट का पहला भाग है वह यह कि १।१६ की जगह १।६ कर दिया जाय और १।८ की जगह १।४ कर दिया जाय।

दूसरा जो भाग है उसका ताल्लुक प्रिन्सिपल एक्ट से है। अगर संशोधन करना था तो इसके सेक्शन आठ में संशोधन की कहीं आवश्यकता है। सेक्शन आठ के प्रोविजो में डिलीट करने की आवश्यकता है। वह प्रोवीजो इस प्रकार है :

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"(1) where no tribute was payable by the jagirdar before the commencement of this Act, or where the whole of the tribute has been paid before such commencement, the jagir lands shall be deemed to be exempt from the payment of land revenue for the agricultural year 1951-52; and"

पुराने जमाने में कोई स्टेन्डर्ड नहीं था, मर्जी का राज्य था और राजाओं के दिल में जैसी जची उसको तो माफ कर दिया और जिस पर नाराज हो गये उस पर फाइन कर दिया। ऐसा hotch potch, reckless, arbitrary, without any conscience or without any justification—ऐसा सिस्टम चलता आया है। अब हमारे इस बिल में जो प्रोवीजो रखा जा रहा है अगर उस गपड़-चौथ के अन्दर किसी को फायदा मिल गया तो एक साल का मिल गया........

श्री जवानसिंह--ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या गपड़-चौथ पार्लियामेन्टरी शब्द है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब धूम, धचक्का, धिक्कार आदि शब्द प्रयोग किये जा सकते हैं तो मैंने भी सोचा कि गपड़-चौथ भी पार्लियामेन्टरी होगा, इसलिये प्रयोग कर दिया। अगर यह पार्लियामेन्टरी न हो तो मैं वापिस लेने को तैयार हूँ। किन्तु इतना अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यह प्योर राजस्थानी शब्द है, इस वजह से यह अनपार्लियामेन्टरी नहीं कहा जा सकता।

श्री सभापति--Carry on.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए) Thank You. मैं यह अर्ज कर रहा था बगैर किसी नियम, बगैर किसी कारण के किसी को फायदा मिल गया। अब क्या पड़ी है राजस्थान सरकार को कि वह फायदा अब भी एक साल के लिये उन लोगों को दे। यह बिल किस ढंग से बनाया गया है, मालूम नहीं पड़ता। आप इसमें प्रोवीज़ो रखते हैं कि किस तरह से रेन्टल इन्कम मुकर्रर हो गया है कि बटाई का आधा लेन्ड रेवेन्यू के रूप में दे। फिर प्रोवीजो क्यों ?

आप मान लीजिये एक पांच हजार की जागीर है। रेन्टल इन्कम कुल शुदा इसी के लगभग आती है। उसको एक साल के लिये १।१६ माफ है, इस प्रकार का जो प्रोवीजो है वह हटा दिया जाना चाहिये। यह संशोधन प्रिन्सिपल सेक्शन में आवश्यक है।

मेरे अमेन्डमेन्ट का दूसरा भाग यह है कि ये दोनों प्रोविजो सेक्शन आठ में जो हैं वे हटा दिये जायं। अब तो कम से कम इस प्रकार का कोई कारण नजर नहीं आता। इसलिये नहीं आता कि आपने रेन्टल इन्कम मुकर्रर कर दी है। रेन्टल इन्कम तय करने के बाद उसका शेयर मुकर्रर कर दिया और कह भी दिया कि "Which ever is greater" देना पड़ेगा। ऐसी हालत में यह एबसर्ड प्रोवीज़ो क्यों रखा गया ? ट्रिब्यूट मुकर्रर नहीं। Tribute shall be treated equal to zero, "Which ever is greater" १।६ लेन्ड रेवेन्यू में ग्रेटर ट्रिब्यूट जरूरी है। Every thing is greater than

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

Zero. Which ever is greater, he shall have to give; इस तरह सेक्शन आठ के दोनों क्लॉज़ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। चूँकि लेन्ड रेवेन्यू देनी है, रेन्टल इन्कम मुकर्रर हो गयी, उसका १।१६ डिटर्मिन्ड है। अब ट्रिब्यूट पालने का जमाना नहीं, इसलिये इसका मतलब यह है कि no tribute shall be payable; the tribute amount is equal to zero, इन दोनों में से ज्यादा होगा वह देना पड़ेगा व १।१६ देना पड़ेगा। प्रोवीज़ो का यह अर्थ है कि ट्रिब्यूट मुकर्रर नहीं है, इसलिये नहीं देना पड़ेगा। इतना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कानून पास करके बेकार की सहूलियतों का नक्शा बना रहे हैं। दुनिया के अन्दर ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी कानून कहीं नहीं होगा। यदि हमारे यहां से यह पास कर दिया तो राजस्थान विधान सभा की हँसी होगी कि आधा सेक्शन एक बात कहता है और दूसरा सेक्शन दूसरी बात। इसलिये मैं यह दरख्वास्त करूँगा कि मेरे अमेन्डमेन्ट के जो दो अलग-अलग अंग हैं उन दोनों पर गम्भीरता से विचार किया जाय और वे स्वीकार किये जायं। १।१६ की जगह १।६ और १।८ की जगह १।४ कर दिया जाय तथा प्रिन्सिपल एक्ट के जो सेक्शन आठ हैं उसके दोनों प्रोवीज़ो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एब्सर्ड हैं, हँसी उड़ाने के काबिल हैं इसलिये वे हटा दिये जायं। आशा है सदन के माननीय मित्र मेरा इसमें सहयोग देंगे। राजस्व मंत्री भले ही अनुमति न दें किन्तु बाकी के मित्र जरूर जोर लगायेंगे।

श्री गोपीलाल यादव--माननीय सभापति जी, मैंने सेक्शन ८ और सेक्शन ९ में अपने संशोधन भेजे हैं। इन संशोधनों के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। वे संशोधन यह हैं ::

श्री सभापति—You have not tabled any amendment.

श्री गोपीलाल यादव— मैंने संशोधन भेज दिये थे। आप सेक्रेटरी साहब से कहिये, वे निकलवा देंगे। मैं कुछ उनके जवाब में निवेदन कर देना चाहता हूँ। जागीरी प्रथा को समाप्त करने के लिये जो प्रोवीज़ो इस एक्ट में दिया गया है उस लेजिस्लेशन की यह मन्शा प्रतीत होती है कि for the agricultural year 1952-53 and each of the four succeeding agricultural years—सम्पूर्ण जागीरें दस साल के पहले रिज्यूम होने वाली नहीं है। इसलिये जो चार साल का समय रखा गया है उसकी जगह २ किया जाय।

दूसरा यह है कि १।१६ लगान लिया जाय जागीरदार से उसकी जगह १।४ कर दिया जाय।

तीसरा अमेंडमेंट मेरा यह है कि ५०००) वाली जागीरों पर जो १।८ लेने का है उसकी जगह १।२ कर दिया जाय।

माननीय सभापति इस सम्बन्ध में कुछ बातें मुझे सदन के सामने निवेदन करनी हैं, जिनसे यह निश्चित हो जायगा कि यह अमेन्डमेन्ट्स निहायत जरूरी है। सब से पहली चीज यह है कि जागीरी

[श्री गोपीलाल यादव]

रिज़म्प्शन में दस साल का पीरियड कवर करना गलत है। इस सेक्शन के अन्दर ५७-५८ के बाद दो साल तो ऐसे निकल जायेंगे। उसके बाद भी दो साल का पीरियड और ले सकते हैं। जागीरें रिज्यूम करने के लिये इस प्रथा की समाप्ति के लिये आगे चार साल देना उचित नहीं। इस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, आप इसको मान लें।

इसके अलावा १।१६ की जगह १।८ करने का निवेदन है। लेन्ड रेवेन्यू और लेन्ड रेन्ट में हमने कानूनी तौर पर जो माना है उसके अनुसार हमको चलना चाहिये। आपने एक कानून पास किया है, केश रेन्ट रेगुलेटिंग एक्ट पास कर चुके हैं, जिसकी तहत यह तय हुआ है कि एक लेन्ड लॉर्ड अपने किसान से लेन्ड रेन्ट ले सकता है। इसका मतलब यह है कि जितना एक लैण्ड लॉर्ड लेता है उसका ५० प्रतिशत तो गवर्नमेंट के खजाने में जावेगा और ५० प्रतिशत लैण्ड लॉर्ड के पास रहेगा। या इसको यों कहिये कि लैण्ड लॉर्ड दूना ले लेता है या यों कह लीजिये कि लैण्ड लॉर्ड जो कुछ वसूल करेगा उसका ५० प्रतिशत अपने पास रक्खेगा और ५० प्रतिशत गवर्नमेंट को देगा।

तो मैं यह नहीं समझ सका माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो जमीनदार हैं, जिन्होंने अपनी जमीन अपने पैसे से खरीदी हैं उनसे तो ५० प्रतिशत लेना चाहते हैं आप बतौर लैण्ड रेवेन्यू के और जो जागीरदार हैं, जिनके पास हमने ऐसे ही सर्विस के बदले में जागीरें दे रक्खी थीं या यों नहीं रक्खी अपने प्लेज़र पर रक्खी थीं, उनको इतनी बड़ी रियायत आप देना चाहते हैं। पहले बिल में १।८ था और अब कर दिया आपने १।१६ और कायदे के अनुसार यह होना चाहिये १।२। मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी बड़ी रियायत देने के बाद फिर हम यह समझते हों कि इतनी कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट की जरूरत इनको पड़ सकती है। अगर निगोशियेटिंग कमेटी (negotiating Committee) में सरकार की ओर से मैं होता तो जागीरदारों को इस बात पर रजामन्द करा देता कि चार साल अपने पास १।४ बटाई पर रहने दीजिये और इसके बाद हमें कोई कम्पेन्सेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि इन चार सालों में वे इस तरह से इतना पैसा कमा लेंगे कि आगे चलकर कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती। जब कि आप एक जागीरदार, मैं छोटा जागीरदार ले लेता हूं जिसकी १६ हजार रुपयों की इन्कम है, आप उससे आठवां हिस्सा यानि २०००) रुपया लेना चाहते हैं सरकारी रेवेन्यू के तौर पर और १४,०००) रुपया छोड़ना चाहते हैं उसकी जेब में।

दूसरी तरफ आप यह कर रहे हैं कि एक भरतपुर अलवर का जो किसान है उसकी आमदनी १६,०००) रुपया है उससे आप लेना चाहते हैं ८०००) रुपया सरकारी खजाने में और ८०००) रुपया छोड़ना चाहते हैं उसकी जेब में। यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, यह मैं आपसे पूछना

[श्रीगोपीलाल यादव]

चाहता हूँ ? आपने लैण्ड रेवेन्यू के जो रूल्स बनाये हैं वे ठीक हैं; तो यहां पर भी उन्हें लागू करिये, यहां उनके लिए न छोड़िये। इसके बाद अगर आपको इन्हें रियायत ही देनी है तो कम्पेन्सेशन में दे दीजिये, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट में दे दीजिये, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। पर जो रियायत देना चाहते हैं उसे छिपाइये तो नहीं। इन्हें एक जगह इकट्ठा कर दीजिये। कम्पेन्सेशन २० गुना देना है, दीजिये; पर इसके विपरीत आज आप कर यह रहे हैं कि १५ गुना कम्पेन्सेशन तो इसमें दे दिया और इसके बाद सात गुना वह रख दिया; फिर और चीज में कुछ रख दिया, फिर किसी जगह कुछ रख दिया और इस तरह यह सब करीब ४० की संख्या के करीब में पहुंच जाता है। अगर आपको ४० टाइम उन्हें देना है, बीस टाइम देना है तो आनेस्टली बीस गुना कर दीजिये कम्पेन्सेशन को, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट को पर लैण्ड रेवेन्यू वसूली में अन्तर न करिये। क्योंकि इस अन्तर के बेसिस पर लोग हाईकोर्ट में पहुँचेंगे, तो या तो यह चीज रद्द हो जावेगी या भरतपुर-अलवर में जो आपका कानून है वह रद्द हो जावेगा। १।८ या १।१६ ही सरकार उनसे भी ले सकेगी, फिर आधा नहीं ले सकेगी। इसलिए इससे दोनों तरफ से गवर्नमेंट के लिये ट्रबल (Trouble) पैदा होने वाली है। तो मेरा कहना यह है कि इन्साफ के तौर पर, कायदे के आधार पर यह मुनासिब है कि आप इसमें यह कर दें कि जिन जागीरदारों की इन्कम ५ हजार से ऊपर है उनसे १।२ लिया जावे, जैसा कि आपका कैश रैन्ट रेगुलेटिंग एक्ट है और छोटे जागीरदारों के साथ रियायत करना चाहते हैं आप, तो उससे में भी सहमत हूँ। वहां १।१६ की जगह पर १।४ कर दिया जावे क्योंकि इतने पर भी वे बाकी जमीनदारों से तीन गुना फायदे में रहेंगे। वह जमीनदार एक रुपया लेगा तो ये जागीरदार ४ रुपया लेंगे और एक रुपया देंगे तो इसको तीन रुपया बच जावेगा।

इसके अलावा मैं एक चीज और निवेदन कर देना चाहता था। मेरे मित्र श्री एच० के० व्यास ने दो बातें कहीं ? एक तो यह कि पहले राजा लोग ऐसे ऊटपटांग कानून बनाया करते थे वैसे आजकल नहीं बनने चाहिये। मैं निवेदन करूँगा कि आखिर राजा बने रहते थे तो एक ही बेसिस था उनका कि वे ओटोक्रेटिक रूलर (autocratic ruler) थे। इसके माने तो यह हैं कि कॉम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो सारे ही ऊटपटांग कानून बनाती है क्योंकि वहां तो डिक्टेटरशिप चलती है, वहां तो प्योरली (purely) एक आदमी का रूल है। तो मुझे निवेदन यह करना है कि आज जब राजाओं का राज्य खत्म हो गया और वे डिफेन्ड करने के लिए मौजूद नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में उन पर इस तरह की बेबुनियाद छींटाकशी करना उचित नहीं है, बल्कि कुछ इन्सानियत की हद से भी यह गिरी हुई बात है। इन राजा लोगों में ऐसे भी थे जिन्होंने इतने ऊंचे दर्जे का शासन किया, जैसा आज भी नहीं है। उन्होंने कम रुपया लिया इससे जितने कि आजकल हम देख रहे हैं कि कितना रुपया एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च हो रहा है। उनके समय में सर मिर्जा इस्माइल सरीखे, पणिक्कर सरीखे आदमी एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं जिनके जैसे कि आजकल हिन्दुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलते और पंडित नेहरूजी की सरकार को

[श्री गोपीलाल यादव]

ऐसे लोगों को दूसरे देशों में ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। जिन लोगों ने अच्छा शासन चलाया, कुछ खराबी हो सकती है। ऐसी खराबियां डेमोक्रेसी में भी हो सकती हैं, तो उनको बुरा-भला कहना ठीक बात नहीं है।

दूसरी एक बात कही। जो एक प्रोविजो आया उसकी भी मजाक उन्होंने उड़ाई। मैं निवेदन कर दूँ कि वह बेबुनियाद नहीं है। उसका रखना जरूरी है क्योंकि कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट (retrospective effect) नहीं रखता। यह कानून सन ५२ में पेश हुआ है और वह जो चीज अगर पहले यहां नहीं थी इस बिना पर अब भी न ली जावे, यह ठीक नहीं। ५१-५२ के रेन्टल इश्यू को लिया है। कानून को बनाने से पहले जो परिस्थिति थी उस पर कायम रहना चाहिये। उससे पहले कैसे किसी का हक हम छीन सकते हैं? ऐसी रियायत जागीरदारों को देना चाहती है अगर सरकार तो वह निश्चय दी जानी चाहिये।

पर बाद में मैं जो निवेदन करता हूँ वह यह है कि ११६ को ११४ और ११८ को ११२ और ४ इयर्स को दो इयर्स कर दिया जावे। दो साल में भी यह तय नहीं कर सकते हम कि जागीरी खत्म होनी चाहिये या नहीं, तो फिर दसियों साल का भी ठिकाना नहीं है। इन शब्दों के साथ अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार करेंगे।

श्री शम्भूसिंह—माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री एच० के० व्यास व माननीय श्री गोपीलाल यादव के संशोधनों के विरुद्ध दो शब्द प्रकट करना चाहता हूँ और माननीय जवानसिंहजी के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

अभी जो माननीय श्री एच० के० व्यास और माननीय श्री यादव जी अपने संशोधनों पर बोल रहे थे उससे मुझे ऐसा ज्ञान पड़ा कि जैसे हाउस के सामने कोई लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पेश हो रहा है और उस लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पर वे अपने विचार प्रकट कर रहे हों।

मुझे अफसोस है कि दोनों माननीय सदस्यगण यह भूल गये कि हाउस के सामने इस वक्त लैण्ड रेवेन्यू एक्ट नहीं, पर एक ऐसा महत्वपूर्ण कानून विचारार्थ प्रस्तुत है जो जागीरों को खत्म करने वाला है।

तो माननीय सभापति, मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि इस वक्त हम जमीनदार के ऊपर लैण्ड रेवेन्यु इम्पोज नहीं कर रहे हैं बल्कि हम तो जागीरदार, जो कि आज एक इतना बड़ा बलिदान कर रहा है और देश-हित के वास्ते इतना बड़ा सेक्रिफाइस कर रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ, क्या और कैसे मिलना चाहिये और उनको अपने रिहेबिलिटेशन के वास्ते ज्यादा से ज्यादा क्या मिलना चाहिये, इस पर विचार कर रहे हैं।

[श्री शम्भूसिंह]

जागीरदार लोग १।१६ भी ज्यादा महसूस कर रहे हैं। उनसे तो इस वक्त लैण्ड रेवेन्यू या तो बिलकुल ही नहीं लेना चाहिये या इससे भी कम लेना चाहिये और जब कि एग्रीकल्चर इन्कम के ऊपर फिर हम टैक्स लगाने जा रहे हैं तो इस हालत में मेरे ख्याल से वे इतना भी बोझा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।

माननीय यादवजी ने जो भरतपुर का इन्स्टान्स रक्खा तो भरतपुर में तो वह जमीनदारों पर इम्पोज़ होने वाला है पर वह इन्स्टान्स वे यहां कैसे लागू कर रहे है, यह मैं नहीं समझ सका।

तो माननीय सभापति, मैं यह दलील देना चाहता हूँ कि जो माननीय यादवजी ने यह रक्खा कि १।१६ है वह सभी जागीरदारों पर इम्पोज़ होना चाहिये तो मैं इसको वाजिब समझता हूँ क्योंकि हमारे विधान के मुताबिक भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। जो मन्जूर करें उनसे तो १।८ ले लिया जावे और अन्य जागीरदारों से १।१६ ले लेवें यह डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं। तो इस वास्ते यह अधिक उपयुक्त होगा कि पांच हजार से ऊपर और नीचे वाले सभी जागीरदारों से १।१६ लिया जावे। इस बात को मद्दे नजर रक्खा जाना चाहिये कि त्याग और बलिदान करने वाले, देश-हित के वास्ते आत्मत्याग करने वालों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले, अच्छा कम्पेन्सेशन मिले, उनके रिहेबिलिटेशन के वास्ते चान्सेज़ मिलें।

इन शब्दों में माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से और माननीय मिनिस्टर महोदय साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जो माननीय श्री ज़वानसिंहजी ने संशोधन रक्खा हैं उसको वे स्वीकार कर लें और माननीय श्री व्यासजी और माननीय श्री यादवजी ने जो संशोधन रक्खे हैं उनको स्वीकार न करें और जो उन्होंने (सरकार ने) आप जो उद्देश्य स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स (statement of objects and reasons) में रक्खे हैं कि गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट बिल को लिबरलाइज़ (liberalise) टर्म्स में ला रही है तो मैं तो इसे लिबरलाइज तभी मानूँगा कि आप इस अमेंडमेंट को जो माननीय श्री जवानसिंहजी ने रक्खा है स्वीकार कर लें और इस तरह इसे अधिक लिबरलाइज करने की कृपा करें।

श्री भैरूँसिंह (वि० [illegible] १६)--माननीय सभापति महोदय, मैंने इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में अपना संशोधन प्रस्तुत किया था, लेकिन निश्चित समय से पूर्व नहीं देने के कारण वह शायद छपकर नहीं आया है। लेकिन मेरे संशोधन की मन्शा वही है जो संशोधन कि माननीय श्री तनसिंहजी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है। माननीय सभापति महादय अपने संशोधन में क्लॉज़ ६ में जो शब्द "whichever is greater" हैं उनके डिलीशन (deletion) के बारे में जिक्र किया है, उसका मुझे समर्थन करना है।

आज इस सारे बिल की मन्शा यह है कि जितने भी जागीरदार है उनकी जागीरें रिज़म्शन के बाद में उनको जिस तरह से उचित सहायता दी जा सके वह सहायता प्रदान की जाय ताकि उनका

[श्री भैरूं सिंह (१६)]

पुनर्वास हो सके और इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए इस क्लॉज़ के मातहत जिन लोगों की आमदनी पाँच सौ से कम हैं, पाँच सौ से ज़्यादा है और ५ हजार से कम है उनसे ५२, ५३ के बाद ४ साल तक १। १६ लेन्ड रेवेन्यू ली जाय, लेकिन इसके आधार पर यह आगे कर दिया जाय कि जो ट्रिब्यूट लेन्ड रेवेन्यू की १। १६ के हिसाब से होगी या जो ज्यादा है वह ज्यादा सरकार में जमा कराई जाय। माननीय सभापति महोदय, मुझे इसके सम्बन्ध में निवेदन करना यह है कि सन् ५२ और ५३ से लेकर सन् ५७-५८ तक जो यह ४ साल होते हैं उनमें से ५२-५३ और ५३-५४ के दो साल तो समाप्त हो गए, अब ५४-५५ और ५५-५६ का समय केवल रहा है। जिस समय कल इसी बिल के प्रिन्सिपल्स के बारे में विचार-विमर्श हो रहा था उस वक्त विरोधी दल के कई सदस्यों ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया कि जितने भी ५ हजार से कम की आय वाले जागीरदार हैं उनको ऐसा आभास नहीं था कि शीघ्र ही उनकी भी जागीरदारी समाप्त हो सकती है। वे इस बात को समझने से दूर नहीं थे कि आजकल जागीरदारों के रहने का कोई भी कारण नहीं हो सकता है और कोई न कोई दिन उसे समाप्त होना है। लेकिन जो कानून इस सम्बन्ध में उनके सामने आया तो उनको एक कॉन्सोलेशन (consolation) हो रहा था कि जब बड़े जागीरदार समाप्त हो जायेंगे तो उसके बाद में उनका भी शीघ्र ही नम्बर आने वाला है, तो आज यह मानकर चलने वाले हैं कि इसी आशंका के कारण जितने भी छोटे जागीरदार थे वे अपने आपको इस रूप में नहीं ला सके कि उनको किसी तरह रिहेबिलिटेट होना है, इसके लिए भी तैयार रहें। मेरा जो संशोधन है कि "whichever is greater" इस चीज को हटा दिया जाय। इसकी मन्शा यह है कि छोटे-छोटे जागीरदारों को जो जागीरें मिली हैं वे जागीरदारों को मिली है। जागीरदारों की तरफ से कई छोटे-छोटे जागीरदार हैं। ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें उनको ट्रिब्यूट देना पड़ता है, वह १। १६ से कम है लेकिन कई ऐसी जगहें भी हैं जिनमें ट्रिब्यूट ज्यादा है और १।१६ के हिसाब से जो लेन्ड रेवेन्यू देनी पड़ती है वह ट्रिब्यूट से कितनी ही कम है। एक तरफ तो ट्रिब्यूट की तरफ से यह कह रहे थे कि ट्रिब्यूट और १/१६ के हिसाब से जो लेन्ड रेवेन्यू होती है उन दोनों में से कोई ज्यादा हो वह सरकार में जमा करा दे लेकिन मेरा निवेदन इसमें यह है कि इससे कई ज्यादा उथल-पुथल होगी, कई जगह किसी आदमी को ट्रिब्यूट देनी पड़ती है, १०० रु० और लेन्ड रेवेन्यू होती हैं १० रु० और कई जगह इस बात की परिस्थिति आ सकती है कि इसके विपरित दृष्टिकोण सामने आये। इसलिए मुझे निवेदन करना है कि दरअसल छोटे जागीरदारों को राहत पहुँचाने के लिए एक-दो साल के लिए जो तजवीज कर रहे हैं तो इसमें से 'whichever is greater' हटा दिया जाय। इसके बाद में यह स्पष्ट रहेगा कि १।१६ या ट्रिब्यूट के हिसाब से जो कोई भी रकम जमा कराना चाहें वह जमा करा दें।

दूसरा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया था वह यह है कि ५७, ५८ से लेकर बाद में ४ साल तक इसमें किसी न किसी प्रकार को हेर-फेर होनी चाहिए और वह जब यह ४ साल समाप्त हो जाँय उसके बाद से सन् ५७-५८ के बाद से पाँच सौ से नीचे और पाँच सो से पाँच हजार वाले सभी जागीरदार एक तरह का लगान देंगे, जो कि १।४ होगा।

[श्री भैरूँसिंह (१६)]

मुझे निवेदन करना यह है कि जब कि बड़े जागीरदारों को कम्पेन्सेशन के रूप में या रिहेबिलिटेशन के रूप में, चाहे वह स्लाइडिंग स्केल में हो, मगर उसमें थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन यह मानकर चलना चाहिए कि उनको काफी तादाद में रकम मिलेगी और दूसरी ओर यह है कि छोटे जागीरदारों को रिहेबिलिटेट करना है तो उनको आगे चलकर किसी न किसी प्रकार की रियायत देनी पड़ेगी कि जिस रियायत के कारण से वह अपने आपको इस बदले हुए जमाने में एडजस्ट कर सके। रियायत देने का एक सुगम तरीका यह भी हो सकता है कि सन् ५८ के बाद ४ साल आगे आने वाले वर्षों के अन्दर १।१६ से एक दम १।४ पर पहुंचेंगे तो वह श्रेणी १।८ तक रखी जाय और दूसरी श्रेणी के लिए १।८ इस समय देने वाले हैं उनके लिए १।४ कर दिया जाय तो उन लोगों के लिए आगे चलकर किसी स्टेज के अन्दर रिहेबिलिटेट करने में सहूलियत होगी और वह रिहेबिलिटेट भी हो सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे कुछ पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इनको काफी रियायतें मिलने वाली है, लेकिन आज जिस क्लॉज़ ३ का जिक्र करने वाला था बदकिस्मती से मुझको नहीं मिला है, वह उसी आशय का है जिसका मतलब इस क्लॉज़ से है। क्लॉज़ तीन में माननीय श्री मथुरादासजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया था कि "Nothing contained in this section shall apply" उसके नीचे दो चीजें थीं। एक तो यह कि जिन जागीरों की आमदनी पाँचसौ से कम है या वे जागीरें जो चेरिटेबल परपजेज़ (charitable purposes) के काम में आती हों, जिनको कि माननीय मन्त्रीजी ने महज भाषा का हेर-फेर समझकर स्वीकार कर लिया, लेकिन इसका मतलब दूर पहुँचने वाला है कि पाँच सौ से कम वालों से लेन्ड रेवेन्यू तो नहीं लेंगे लेकिन ट्रिब्यूट उनको जमा करना पड़ेगा। पहले यह था कि पाँच सौ के नीचे की आमदनी वाली जितनी जागीरें हैं उनको लेन्ड रेवेन्यू नहीं देना होगा और ट्रिब्यूट भी नहीं देना होगा तो इस संशोधन से वह सारी की सारी जो मन्शा साफ हो गई है वह यह है कि लेन्ड रेवेन्यू तो अवश्य नहीं देनी पड़ेगी, मगर ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। क्लॉज़ ३ में यह साफ तौर से पहले तो यह था कि जिस दिन से जागीरें रिज़्यूम की जाँय उस दिन के बाद में हर जागीरदार को लेन्ड रेवेन्यू जमा करनी पड़ेगी।

दूसरा हिस्सा यह है कि जिस वक्त रिज़्युमिंग के आर्डर्स जारी हों उसके बाद में जितना ट्रिब्यूट स्टेट ग्रान्टी स्टेट को देता हो, सब ग्रान्टी जागीरदारों को देते होंगे, वह उसी दिन से लागू नहीं होंगे। इसमें आगे यह कर दिया जाय :

"Nothing contained in this section shall apply to :—

(1) any jagir land, the income of which is utilised for the maintenance of any educational institution or any place of religious worship .... or (2)..........."

[श्री भैरूँसिंह (१६)]

यह जो दोनों चीजे हैं वह उन दोनों चीजों पर एप्लाई नहीं करेगा। जो चेरिटेबल पर्पजेज़ के लिए जमीन काम में आ रही हो या जिसकी आमदनी पाँच सौ से कम हो, एक प्रकार से जिनका जिक्र किया है कि भाषा के हेर-फेर को मानकर किसी न किसी तरह से उस संशोधन को स्वीकार कर लिया, उसका उल्टा मतलब होगा। पहले से जो दिया हुआ है उसके अन्दर काटकर यह लाया गया है जिसका मतलब यह है कि उन्हें फिर ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। यह मानकर चलते हैं कि पाँच सौ से नीचे वालों को ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। भाषा के हेरफेर में पड़कर ट्रिब्यूट लगा दिया और ट्रिब्यूट लगा देने के बाद पाँच सौ से पाँच हजार के अन्दर के जितने थे उन्हें ट्रिब्यूट या १।१६ लेन्ड रेवेन्यू "whichever is greaters" हो वह देना पड़ेगा। यह जान-बूझकर या और कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ कि वैसे किया था, टेक्निकल बात या भाषा के हेरफेर में पड़कर उन्होंने किया। वह भाषा के हेरफेर में नहीं पड़ेंगे और उन्हें राहत पहुँचाने की आवश्यकता है तो उसमें इस प्रकार से संशोधन लाकर इस चीज को हटा दें तो ज्यादा उचित रहेगा। माननीय सभापति महोदय, मुझे निवेदन करना यह है कि अभी जो दृष्टिकोण रखा है उसी आधार पर माननीय श्री तनसिंहजी ने जो संशोधन रखा है कि ५७-५८ के बाद जो पाँच सौ से पाँच हजार तक के जागीरदार हैं और पाँच हजार से ऊपर वाले जो जागीरदार हैं उनका एक नम्बर हो जायगा। तो पाँच हजार से ऊपर वाले जागीरदारों में किसी प्रकार हेरफेर नहीं होना चाहिए। उनको १।४ लेन्ड रेवेन्यू देना पड़ेगा। इसमें मेरा कोई संशोधन नहीं है। लेकिन पाँच सौ से पाँच हजार वाले जो हैं उनके लिए इस प्रकार का संशोधन आवश्यक है कि उनको १।१६ से एकदम १।४ पर नहीं लाया जाय, स्टेज बाई स्टेज लाया जाय। १।४ से पहले लाया जाय उनको १।८ पर और फिर १।४ पर लाया जाय। यदि साधारण लगान लेने पर सरकार सोचे तो आवश्यक है कि लगान लेने के लिए सरकार उनको रिहेबिलिटेट करे, उसको स्टेप बाई स्टेप किया जाय, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे और उनके सामने किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं हो। इसलिए माननीय सभापति महोदय मैंने यह संशोधन जो माननीय तनसिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं माननीय मन्त्रीजी उन पर ध्यान देंगे और उसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)--अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूँ जैसा कि अभी माननीय भेरूँसिंहजी ने कहा कि पिछले क्लॉज़ के अन्दर जो संशोधन स्वीकार किया है उसमें ट्रिब्यूट लेने की जो बात आ जाती है; वह दरअसल में ट्रिब्यूट लेने की बात जानते हुए भी स्वीकार किया है, कोई अनजान में स्वीकार नहीं किया है।

मेरा मतलब यह था कि मूलरूप से जाहिर होता है कि उसकी पूर्ति नहीं होती थी इसलिये पूर्ति करने की बात कही गई है। यह बात कही गई है कि "whichever is greater" की बात को हटाने के बाद जो ५००) रु० से नीचे के छोटे जागीरदारों के बारे की बात गई है वह ठीक नहीं है। जो स्थिति उनकी आज है उससे ज्यादा खतरनाक नहीं करनी है, बल्कि loss advantageous position में न आ जायं और उनको नुकसान न हो इसके लिये यह किया गया है। ५०० से ऊपर वालों के लिये १/१६ की जो बात रखी गई है उसके लिये यह कहा जाता है कि ट्रिब्यूट को कम कैसे

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

करते हैं ? १/१६ की बात ५००) से ऊपर वालों के लिये लागू होती है। लेकिन नीचे वालों की जैसी स्थिति है उनको बढ़ाने की बात नहीं आती। ५००) से नीचे वालों से हम कुछ नहीं लेंगे, सिवाय इसके कि वे ट्रिब्यूट पे (pay) करें। ५००) से ऊपर वालों के लिए १/१६ पेश करें, यदि ट्रिब्यूट में ज्यादा पेश करें तो। दोनों में ज्यादा होगा इसलिए वाजिब है कि सरकार को किसी प्रकार भी देना है। यह उचित नहीं समझा और १/१६ को आवश्यक समझ कर किया। यह भी कहा गया कि १/८ जिनसे लिया जाना है उनके लिये भी १/१६ करदें और सब को बराबर कर दें। सरकार की यह मन्शा रही है कि छोटे-छोटे जो जागीरदार हैं उनको ज्यादा फायदा पहुँचे। इस बात को अन्त तक स्वीकार नहीं किया था और आज भी नहीं करते। १/८, ५ हजार से ऊपर की जागीर के लिये कायम रहना चाहिये।

इसके साथ ही दूसरा प्रश्न यह है और कइयों ने यह कहा है कि नीचेवालों के लिये १/६ कर दिया जाय और ऊपर वालों के लिये १/४ कर दिया जाय। मैं समझता हूँ कि यह वाजिब नहीं होगा क्योंकि यह जो लैंड रेवेन्यु लेने की धारा है वह बहुत स्पष्ट है। आप सन् १९५७ तक इसके कार्यान्वित नहीं कर सकने की कल्पना करके बात करते हैं और कुछ उससे भी आगे जाने की बात करते हैं। मैं समझता हूँ सन् १९५७ तक जाने की बात नहीं है। इसका इम्प्लीमेंटेशन सन् ५७ तक नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसे हमें कार्यान्वित जल्दी से जल्दी करना है इसलिये और आगे बढ़ने की बात का विचार करें, यह आवश्यक नहीं है। आप कहते हैं कि १/८ के बजाय १/४ करदें और कोई कहते हैं कि हाफ (half) करदें। न तो हाफ करने का प्रश्न आता है और न चौथाई करने का ही प्रश्न आता है। काफी सोच-समझ के बाद इसका समावेश किया गया है। अब इसमें परिवर्तन करने के लिये, रियायत करने के लिये या ज्यादा सख्ती करने के लिये मैं अनुमति नहीं दे सकता। जो धारा पेश की गई है उस धारा को मैं श्री मथुरादासजी के संशोधन के साथ स्वीकार पसन्द करूँगा।

एक साहब ने कहा कि ५१-५२ के लिये मूल वाक्य में जो बात रखी गई है वह एक दूसरे से कॉंट्राडिक्टरी है। वह इस एक्ट के लागू होने के पहले की बात है, आगे के लिए नहीं है। सन् ५१-५२ को धारा में विरोधाभास का प्रश्न नहीं आता। एक चीज तो ५१-५२ की है, दूसरी ५२-५३ से होगा। जिन पर ट्रिब्यूट नहीं है तो एसेस (assess) किया जायगा, रिट्रोस्पेक्टिवली (retrospectively) यह बात नहीं कही गई है। जो मूल धारा सदन के समक्ष है उसमें श्री मथुरादासजी का संशोधन स्वीकार करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, इस क्लॉज पर बहस का उत्तर देते हुए माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने केवल एक बात कही कि बहुत बात-चीत के बाद यह तय हो चुका है कि न तो इसमें रियायत करने के लिये संशोधन किया जा सकता है और न इसे स्पष्ट करने के लिये संशोधन किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि यदि कोई चीज गलत तय हो जायगी तो महज इस वजह से कि तय हो गई इसलिये इसमें संशोधन नहीं हो सकता, ठीक नहीं है। यह कहना कि हमने तय कर दिया है इसलिये इसको बदलेंगे नहीं तो यह कहना सदन के लिये और कुछ नहीं तो डिसकर्टियस

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(discourteous) तो जरूर है। ये जो कहना-सुनना चाहें कह लें, लेकिन हमने जो तय कर लिया उसको बदलेंगे नहीं क्योंकि हमारे पीछे जो लोग हैं वे हाथ उठायेंगे और हम जैसा चाहेंगे वैसा हो जायगा, यह दूसरी बात है। आप इसे तथ्य की दृष्टि से देखें। आप जागीरों को पुनर्ग्रहण करने का निर्णय ले रहे हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से शायद दो-तीन साल लग जाँय तो समझना यह चाहिये कि एक चीज जो सरकार लेने वाली है उसको टेक ओवर (take over) करने में समय लग रहा है और उस दरम्यानी अर्से में उसके मेनेजमेंट का काम सरकार की तरफ से किसी को सौंप दिया है। ऐसी पोजिशन जागीरदारों की हो जाती है, एक्ट पास होने के बाद कि मैनेजमेंट का काम उनको दिया गया है इसलिये कुछ आमदनी उनको मिले तो ज्यादा से ज्यादा मैनेजिंग एजेन्सी के जो रूल्स हैं उनके अनुसार आप उनको दे सकते हैं। मैनेजिंग एजेन्सी के मातहत जो देने के रूल्स हैं उनके अन्दर १५ प्रतिशत मैनेजिंग एजेन्टों को देने के लिये प्रोवाइड किया गया है। यह जो मैनेजिंग एजेन्ट्स मुकर्रर कर रहे हैं हम जब तक जागीर न ले लें तब तक आप इसे मेनेज करें तो मैनेजमेंट का खर्चा उनको दें और किसी हद तक यह खर्चा दिया जाना चाहिये। इसकी एवज में सारी की सारी आमदनी उनके पास रखी जाय और राज्य सरकार को १/१६ याने ६ प्रतिशत ही मिले, यह न्याय-संगत बात नहीं है। मेरा संशोधन यह है कि १/६ कम से कम राज्य को मिले और इससे नीचे नहीं मिले, यह नहीं समझ में आता कि कौन सी चीज पर आधारित होकर राज्य सरकार ने यह निर्णय दिया है। यह आप देखें कि एक इलाका है जो जागीरी इलाका है। एक्ट पास होने के बाद वह भी स्टेट में वेस्ट (vest) हो गया और कुछ दिनों के लिए मैनेजिंग एजेन्सी का काम जागीरदारों को दिया गया। दूसरी तरफ एक काश्तकार है, जो खातेदार के रूप में है। उसकी जमीन भी स्टेट में वेस्ट करती है। उससे भी लगान वसूल किया जाता है लेकिन उसकी वसूली और मैनेजिंग एजेन्ट से की जाने वाली वसूली में कितना अन्तर है। एक तो सरकार को ग्रोस इनकम का १/१६ भाग देगा और दूसरा नेट इनकम का १/६ भाग देगा, यह कहाँ तक न्याय-संगत है?

यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा क्या? रोज-रोज डिस्क्रिमिनेशन की बात कही जाती है तो यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा क्या? नहीं मन्जूर करना है तो बात दूसरी है। यह संशोधन मन्जूर करने लायक है। अगर नहीं मन्जूर किया जाता तो इस पर सदन की राय लेनी चाहिये।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमैन, कुछ समय पहले सदन में कहा गया था कि जिनकी जागीरें ५००) रुपयों से कम की हैं उनके लिये किसी किस्म का लैंड रेवेन्यु वसूल नहीं होगा। अभी-अभी माननीय रेवेन्यु मन्त्री ने फरमाया कि ५००) रुपयों से कम की आमदनी की जो जागीरें हैं उन पर ट्रिब्यूट लागू होगा।

मैं माननीय रेवेन्यु मन्त्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वे इस बात को खुलासा करें कि ५००) से कम की जागीर पर ट्रिब्यूट लागू होगा या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं जो कह चुका हूँ वह स्पष्ट है। रेवेन्यु नहीं लगेगा लेकिन जो ट्रिब्यूट पहले लगा करता रहा है वह लगेगा।

श्री भैरोंसिंह (दाँता रामगढ़)—On a point of information, Sir, मैं भी एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ। ५००) से लेकर ५०००) तक की आमदनी वाले जागीरदारों को १/१६ लैंड रेवेन्यु देनी पड़ेगी। ऐसी सूरत में ५००) से कम के जागीरदारों को यदि ट्रिब्यूट की रकम ज्यादा देनी पड़ती हो तो इसमें यह प्रोवीजन होना चाहिये कि "whichever is lesser"; क्योंकि यह फरक उन लोगों को राहत देने के लिये रखा गया है। यदि ट्रिब्यूट की रकम १/१६ ज्यादा पड़ती है तो उनको यह छूट होनी चाहिये कि वे कम रकम जो हो वह दें और अगर १/१६ से ट्रिब्यूट की रकम कम पड़ती हो तो वह दें। "whichever is lesser" रखने से उनको राहत मिल सकती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि इसमें बार-बार "whichever is greater" यूज़ किया है तो "whichever is lesser" हो नहीं सकता। पहले जो पे करते उससे कम करने का नहीं बढ़ाया जाय, तो कितना बढ़ाया जाय यह सवाल है?

रावत श्री शम्भुसिंह—५०० से कम की आमदनी वालों को लैंड रेवेन्यु नहीं देना पड़ेगा, ऐसा इस क्लॉज़ में लिखा गया है :

"all Jagirdars to pay tribute to the Government under any existing Jagir Law shall cease, and"

यह स्टेन्ड कर रही है तो क्यों देना पड़ेगा? यह क्लॉज़ अमेंड भी नहीं किया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैं समझता हूँ कि इतनी बहस हो चुकी है उसी को आप फिर से शुरू करना चाहते हैं, वहाँ आपके पास बैठे मित्र से मालूम कर लें कि क्या चर्चा चल चुकी है?

श्री सभापति—श्री चाँदमल मेहता ने तो अमेंडमेंड मूव नहीं किया इसलिये उस पर मत की आवश्यकता नहीं।

श्री मथुरादास माथुर का क्लॉज़ ६ के ऊपर जो अमेंडमेंट है वह मिनिस्टर इन्चार्ज ओफ दी बिल ने एक्सेप्ट कर लिया है इसलिये उस पर भी मत लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर—मत तो ले लिया जाय।

श्री सभापति—श्री तनसिंह के अमेंडमेंड के दो भाग हैं। पहला भाग उनका बिल्कुल टेक्निकल सा है, उसके ऊपर शायद कवर अप हो जाता है इसलिये इसको साथ ले लिया जायगा।

दूसरा भाग है उस पर मत लेने की आवश्यकता है, यदि विद्ड्रॉ करें तो दूसरी बात है इस पर मत लिये जाते हैं। क्या सदन को यह स्वीकार है?

(अस्वीकृत)

[श्री सभापति]

श्री तनसिंह का संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ

(विराम)

श्री तनसिंहजी के अमेंडमेंट का दूसरा भाग ड्रोप हो गया।

(विराम)

श्री जवानसिंहजी का अमेंडमेंट इस क्लॉज पर जो है उसको पास किये जाने के बाबत मत लिये जाते हैं। क्या सदन को वह स्वीकार है ?

(अस्वीकृत)

श्री जवानसिंहजी का संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री एच० के० व्यास का अमेंडमेंट इस क्लॉज़ पर है और वे उसे प्रेस करना चाहते हैं, इस पर मत लिये जाते हैं। क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(अस्वीकृत)

श्री एच० के० व्यास का अमेंडमेंट ड्रोप हो गया।

(विराम)

श्री गोपीलाल यादव का एक अमेंडमेंट है क्लॉज़ ६ के बाबत। वैसे तो यह आउट ऑफ ऑर्डर था पर कोई एतराज नहीं किया गया, इसलिये मूव किया गया। क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(अस्वीकृत)

श्री यादवजी का अमेंडमेंट ड्रोप हो गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री माथुर का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री माथुर का संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

[श्री सभापति]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६, एज़ अमेंडेड, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ एज अमेंडेड, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ७, इस पर कोई अमेंडमेंट नहीं है। हाँ, श्री गोपीलालजी यादव ने कल दिया है, पर वे यहाँ मौजूद भी नहीं हैं इसलिये इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ८, श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर—मेरा अमेंडमेंट बिल्कुल सिम्पल है :

"In clause 8 the words, the figures 'Sections 11, 12 and 13' shall be substituted by the words and figures 'Sections 11 and 12."

यहाँ इसमें प्रिन्सिपल एक्ट की दफा ११, १२ और १३ को ओमिट करने के लिये क्लॉज़ ८ में लिखा है। मैं इसकी जगह ११, १२ को ओमिट करवा रहा हूँ और प्रिन्सिपल एक्ट में जो १३ (ए) है उसको १३ कर दिया जायगा और फिर वही १३, १४, १५ सीरियल नम्बर मिल जायगा।

मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्रीजी इसे मन्जूर करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, माननीय चेयरमेन, चूँकि १३ (१) के सिलसिले में अलग क्लॉज है और उसमें एमेंडमेंट किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से इस पर इर्रेगूलर वोटिंग हो जावेगा क्योंकि इस पर दूसरे एमेंडमेंट और हैं। उन एमेंडमेंट्स की क्या पोजिशन होगी?

श्री मथुरादास माथुर—एमेंडमेंट में चेन्जेज़ हैं। पास हुआ, मन्जूर होगा। दूसरे एमेंडमेंट मूव किये जावेंगे। उन एमेंडमेंटस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

Page No.46

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि माथुर का संशोधन स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

Clause 8, as amended is added to the Bill.

(विराम)

क्लॉज ९.

श्री मथुरादास माथुर———माननीय, चेयरमेन, मेरा एमेंडमेंट निम्न प्रकार है:—

"Substitute Clause 9 by the following:—

'9. **Insertion of new Section 13 in Act VI of 1952:—**

For section 13 of the Principal Act the following Section shall be substituted in Chapter III, namely:—

'13. **Commissioner for Khudkasht land.**—The Government may by Notification in the Rajathan Rajpatra appoint a Commissioner for Khudkasht lands who shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed,"

श्री सभापति—चेप्टर ४ के बजाय चेप्टर ३ हो जावेगा और राजस्थान राजपत्र के बजाय राजस्थान गजट हो जावेगा।

श्री मथुरादास माथुर—Yes, Sir.

श्री सभापति—क्लॉज़ ९ के बाबत श्री मथुरादास माथुर का एमेंडमेंट है और उसको माननीय मन्त्री ने स्वीकार कर लिया है। इस एमेंडमेंट को पास करने के लिए मत लिए जाते हैं। क्या सदन को यह संशोधन स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

[श्री सभापति]

प्रश्न यह है कि क्लाज ९ संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ९, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लाज १०, श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—सभापति महोदय, यह जो क्लॉज १० है वह प्रिन्सिपल एक्ट के सेक्शन १४ को तरमीम करता है। सेक्शन १४ इस प्रकार है—

"A jagirdar or a zamindar who at the commencement of this Act does not hold any khudkasht or who at such commencement holds khudkasht less in area then the maximum area specified in section 18 may apply to the Collector within six month of such commencement for allotment of Khudkasht."

एमेंडमेंट इसमें यह है—

"For the words 'commencement of this Act' the words, brackets and figures 'commencement of the Rajasthan land Reforms, and Jagir Resumption (Amendment) Act, 1954 may be substituted."

यह सब्स्टीट्यूट करना चाहिये। उसूलन इस संशोधन के अनुसार ऐसा मालूम होता है कि यदि प्रिन्सिपल एक्ट के कमेन्समेंट के अनुसार उसी समय के अन्दर दरख्वास्त किसी कारण से नहीं दी गई तो खुदकाश्त की जमीन पर इसका बहुत असर पड़ेगा। लेकिन क्लॉज १० के द्वारा यह कहा जाता है कि यह ६ महीनों का समय कमेन्समेंट से है। "It shall be deemed to have come into force on the 18th February 1952" ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि मैंने जो एमेंडमेंट रखा है उसको मन्जूर करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस क्लाज में भी कमेन्समेंट भी उसी दिन से माना जावेगा जब यह एक्ट लागू होगा। Short Title, commencement and Marginal headings के मुताबिक Rajasthan land Reforme & Jagir Resumption Act, यह भी १८ फरवरी १९५२ से लागू माना जावेगा और अवधि होनी चाहिये कि ६ महीनों के अन्दर अन्दर खुदकाश्त के लिए दरख्वास्त करे। जिन लोगों के कायदे की माफिक दरख्वास्त नहीं है वे इस कानून के माफिक ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसलिए—

[श्री तनसिंह]

"Substitute the following sub-clause for sub-clause (iii) sought to be substituted in the principal Act, namely:—

(iii) for the words "at the commencement of this Act" the words and figures " on the first day of July 1954" shall be substituted and (iv) Substitute the word 'date' for the" word 'commencement' occurring in the third and fifth lines."

मैंने इसके लिये एक तारीख मुकर्रर की है जो एक जुलाई, १९५४ है; इसलिए मैं यह निवेदन करूँगा कि मेरे इस एमेंडमेंट को मन्जूर करने से क्लॉज १० एमेंडेड बिल जो है उसकी मन्शा पूरी हो जावेगी। १८ फरवरी, १९५२ तो रह नहीं सकता और ऐसी सूरत में कमेंसमेंट का तात्पर्य यही है कि जिस दिन से यह फोर्स में आये। उसी मन्शा से मैंने यह एमेंडमेंट रखा है और आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति—मथुरादासजी का एमेंडमेंट है वह बहुत ही उज्ज्वल है। क्लॉज १० में sub-clause (ii), sub-clause (iii) हो जावे और the present sub-clause (iii) sub-clause (ii) हो जावे। इसमें पहले तो deletion of the words "or Zamindar" है इसके बाद में Commencement of the Act" आया है और इसके बाद में "may apply to the Commissioner for Khudkasht" वहाँ होगा Read (iii) as (ii) and (ii) as (iii) पढ़ा जावे। This make the whole thing very clear.

श्री भैरूँसिंह—माननीय चेयरमेन, इस पर मेरा भी संशोधन है।

श्री सभापति—इस पर श्री भैरोंसिंहजी और श्री गोपीलालजी यादव के एमेन्डमेन्ट हैं जो कल शाम को दिए गए थे।

श्री गोपीलालजी यादव यहाँ उपस्थित नहीं हैं इसलिए उनका संशोधन अपने आप ड्रोप हो जाता है। दूसरा संशोधन श्री भैरोंसिंहजी का है। अगर हाउस की इजाजत हो तो एमेन्डमेन्ट मूव करने की इजातत दी जा सकती है।

(स्वीकृत)

प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—माननीय चेयरमेन, मेरा संशोधन इस प्रकार है:

(a) Insert the following new sub-clause after the sub-clause (iii): –

[श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)]

"(iv) Substitute the word 'six' by the word 'twelve' occurring in the fifth line of sub-section of the principal Act" and

(b) Substitute the words "the day of publication" for the word "commencement" occurring in second line and insert the words "in the Rajasthan Rajpatra" after the figure '1954' occurring in the third line of sub-clause (iii)."

माननीय सभापति, जिस समय कल मैंने इस बिल के सिद्धान्तों के बारे में चर्चा की थी उस समय मैंने इस बात पर विशेष तौर से माननीय मन्त्रीजी का ध्यान दिलाया था कि इस क्लॉज के मातहत खुदकाश्त की जावेगी वह सारी की सारी धरी रह जावेगी। यदि इस प्रकार का जो संशोधन आया है उसको स्वीकार नहीं किया गया तो बहुत मुसीबतें पैदा हो जावेंगी। इसका कारण श्री तनसिंह जी ने बतलाया है कि इस संशोधन की कितनी आवश्यकता है। जब यह संशोधित बिल १८ फरवरी १९५२ से लागू होगा तो उसका मतलब यही होगा कि खुदकाश्त को पाने के लिए १८ फरवरी १९५२ से लेकर ६ महीनों में दरख्वास्त दी जावेगी। मगर अब तक का समय बजाय ६ महिनों के २॥ साल का समाप्त हो गया है। इसलिए यदि यह संशोधन नहीं हुआ और जो बात क्लॉज में है वही रही तो यह सारी की सारी खुदकाश्त की योजना समाप्त हो जावेगी।

मेरा जो संशोधन है वह यह है कि खुद काश्त के लिए दरख्वास्त देने का पीरियड जो निर्धारित किया जाय वह उस तारीख से नहीं समझा जाय जिस तारीख से कि यह संशोधित बिल एक्ट के रूप में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होगा। किन्तु आइन्दा समय निर्धारित किया जाय जिसके अनुसार कि खुदकाश्त प्राप्त करने वालों को दरख्वास्त देनी चाहिए।

दूसरा संशोधन मेरा यह है कि छः महीने के पीरियड को बढ़ाकर १२ महीने कर दिया जाय। इस संशोधन को रखने का कारण यह है कि छः महीने की खुद काश्त पाने के लिए जो अवधि निर्धारित की है वह काफी नहीं है और उसमें काफी अड़चनें आवेंगी। जैसा कि इसमें है कि राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से छः महीने के अन्दर खुदकाश्त पाने के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है; इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से ही खुद काश्त पाने के लिये दरख्वास्त देना कई लोगों को मालूम नहीं हो सकेगा और जब उनको मालूम होगा तो काफी समय वैसे ही निकल जायगा। जो छोटे छोटे जागीरदार हैं और बेरोजगारी के कारण जिनको राजस्थान में काम धन्धा नहीं मिलता है, राजस्थान के बाहर चले गए हैं, राजस्थान के अलावा दूसरे प्रान्तों में चले गये हैं और वहां जाकर नौकरी या भरण-पोषण का जिन्होंने अपना साधन जुटा रखा है उनको यह मालूम नहीं होगा कि जागीरें रिज्यूम करली गई हैं और खुद काश्त पाने की दरख्वास्त वे कितने दिन में कर सकते हैं। अतः मैंने यह संशोधन रखा है कि छः महीने की अवधि के बजाय १२ महीने की अवधि करदी जाय ताकि सरकार ने खुद काश्त पाने की जो योजना बनाई है उससे सब का सहूलियत ही होगी और उस सहूलयत का लाभ उठा सकेंगे। सब लोगों को मालूम हो सके कि उनको यदि खुदकाश्त के लिए

[श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)]

दरख्वास्त देनी है तो वे दे सकें और हक हाँसिल कर सकें । राजस्थान में भी कई ऐसे छोटे-छोटे जागीरदार हैं जिनको मालूम नहीं है कि जागीरें रिज़्यूम हो रही हैं और खुदकाश्त पाने के लिए उनको दरख्वास्त देनी होगी । अगर उनको मालूम हो भी जायगा तो उन छोटे-छोटे जागीरदारों को जो कि राजस्थान से दूसरे प्रान्तों में उदरपूर्ति के लिए गये हैं; जो कलकत्ता, बम्बई, कानपुर की मिलों में नौकरी करते हैं, और छः महीने का जो खुद काश्त पाने के लिए समय निर्धारित किया गया है उस समय में छुट्टी नहीं मिलने के कारण व और किसी कारण से न आ सकें अथवा आर्थिक संकट के कारण भी उस अवधि में न आ सकें तो यदि यह अवधि बढ़ा दी जायगी तो उनके सामने बाधा उपस्थित नहीं होगी और उनको राहत भी मिल जायगी । अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन गरीब राजपूतों को राहत पहुँचाने के लिए, अशिक्षित लोगों को इस अवधि से कोई नुक्सान न हो, इस लिहाज से भी सोचें और छः महीने की अवधि के बजाय १२ महीने की अवधि निर्धारित करदें । इससे सब लोगों को सहूलियत हो जायगी ।

दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि आज-कल खुदकाश्त के सम्बन्ध में जागीरदारों और किसानों के बीच मनमुटाव चल रहे हैं । कई लोग राजनैतिक फायदा उठाने की दृष्टि से भी इसको आपसी संघर्ष के रूप में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं । जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया कि डिस्प्युटेड लेन्ड को खुद काश्त में न लिया जाय । इस प्रकार कई चीजें हैं । जिन राजपूतों को खुदकाश्त नहीं मिली है और जिनके खुदकाश्त के झगड़े एस० डी० एम० की और दूसरी अदालतों में काफी तादाद में चल रहे हैं, काफी केसेज़ चल रहे हैं और उनका डिस्प्यूट आज तो निपटने वाले हैं नहीं: एक साल लगे, दो साल लगे और रेवेन्यू बोर्ड में पहुँचते-पहुँचते तीन-तीन साल का समय लगे । मान लीजिये कि वह मुकदमा उसके खिलाफ फैसल हो जाय और दूसरी परिस्थितियां उत्पन्न हो जांय, उन लोगों को पहले मालूम न हो और उसके पश्चात् फिर मालूम पड़े तो ऐसे लोगों के लिए इसमें एक क्लॉज़ होना चाहिए; अगर मुकदमा फैसल होने के बाद उसके पास खुदकाश्त की जमीन नहीं रहती है ऐसा सूरत में वह दरख्वास्त दे सकता है । इस समय तो यहाँ हम यह नहीं कह सकते कि फैसला होने के बाद ही वह खुदकाश्त के लिए दरख्वास्त दे किन्तु अमुमन यह समझा जाता है कि १२ महीने म फैसला हो ही जायगा, वैसे डेढ़ साल में भी हो सकता है, दो साल में भी हो सकता है किन्तु ऐवरेज हम यह मान कर चल सकते हैं कि १२ महीने में फैसला हो जायगा । तो मेरा यह संशोधन है कि इस दृष्टिकोण से भी छः महीने की अवधि के बजाय १२ महीने की अवधि खुदकाश्त पाने के लिए दरख्वास्त पेश करने की करदी जाय ।

एक संशोधन के बारे में मुझे आश्वासन दिलाया गया था कि उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावेगा । तो मैं निवेदन करूंगा कि अब यह अवसर है कि वे उस सहानुभूति का परिचय दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इन अमेन्डमेंटस में यह शंका प्रदर्शित की गई है कि मूल एक्ट को कार्यान्वित करने की वजह से खुदकाश्त के लिए

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

दरख्वास्त देने का समय नहीं रहेगा। जो संशोधन रखे गये हैं वे नहीं माने जा सकते। जो यह अमेन्डिग बिल पेश किया गया है उसमें साफ यह कहा गया है कि "For the words 'commencement of this Act' the words, brackets and figures 'commencement of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Amendment) Act, 1954' shall be substituted" उसका मतलब स्पष्ट यह हो जाता है कि कमेन्समेन्ट की डेट ली जायगी। वही अमेन्डमेंट बिल की डेट है और उसका मतलब ऑटोमेटिकली दरख्वास्त करने के लिए छः महीने का समय मिल जाता है। अब उसमें परिवर्तन करने का सवाल नहीं आता है। इसको ५२ के बजाय ५४ से लागू करने के लिए इस अमेन्डमेंट बिल में धारा है और उसकी वजह से इसमें और संशोधन करने की आवश्यकता नहीं रहती है।

अब रहा दूसरा सवाल। वह यह है कि छः महीने की अवधि के बजाय साल भर की अवधि कर दी जाय। यह भी उपयुक्त नहीं है। खुदकाश्त के लिए जितना अधिक लम्बा समय रखा जायगा उतने ही अधिक कॉम्प्लीकेशन्स खड़े होंगे। छः महीने का समय कम नहीं रहता है। जिनका इन्ट्रेस्ट है इस एक्ट के पास होने के बाद जिनको खुदकाश्त के लिए एप्लाई करना है वे निश्चित रूप से कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उनको अपनी बातें रखने के लिए छः महीने का काफी समय है। अतः इन संशोधनों की आवश्यकता नहीं। जो बातें हुई हैं, कुछ और स्पष्टीकरण किया गया है, मैं समझता हूँ, उसके बाद जो संशोधन रखे गये हैं उन संशोधनों की आवश्यकता महसूस नहीं की जायगी और वे वापिस ले लिये जावेंगे।

श्री सभापति—श्री मथुरादासजी का संशोधन है वह आवश्यक है।

(विराम)

क्लॉज़ नं० १० पर श्री तनसिंहजी का जो अमेन्डमेंट है उस पर मत लेने हैं। क्या यह संशोधन स्वीकार है।

(अस्वीकृत)

श्री तनसिंहजी का अमेन्डमेंट ड्रोप हो गया।

(विराम)

क्लॉज़ १० में श्री मथुरादास माथुर ने जो संशोधन रखा है और जिसे मिनिस्टर इनचार्ज ने स्वीकार कर लिया है क्या सदन की यह अनुमति है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

अमेंडमेंट स्वीकार किया गया ।

श्री भैरोंसिंह (वि० स० १६)—माननीय चेयरमेन, मुझे इसका कुछ क्लेरिफिकेशन करवाना है "For the words 'commencement of this Act' the words, brackets and figures 'commencement of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Amendment) 'Act, 1954' 'shall be substituted."

तो इसमें यह है कि कमेन्समेन्ट की प्रिन्सिपल एक्ट में जो धारा है जो संशोधित रूप में यह होगी। किस तरह से यह लागू होगा ?

"It shall be deemed to have come into force on the 18th day of February, 1952"

इससे शुरूआत होगी। जब से यह लागू होगा छः महिने का पीरियड समझा जायेगा।

१९५२ से लागू हो गया तो १९५४ से यह मतलब नहीं होता कि संशोधित एक्ट १९५४ से लागू होगा, बल्कि यह कानून १ दिसम्बर, १९५२ से लागू होगा। इस कमेन्समेंट में परिवर्तन की आवश्यकता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ढाई साल का पीरियड देते हैं तो छः महिने की राहत मिल सकती है। कमेन्समेंट किस तारीख से शुरू होगा इस एक्ट के मातहत राजस्थान लेन्ड रिफोर्म्स एन्ड जागीर एबोलिशन एक्ट ५४ से लागू होगा। इसलिये लागू होने की डेट है १८ फरवरी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर ठीक ढंग से सोच-समझ कर विचार करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मथुरादास माथुर—बाकी तो सब एक्ट लागू समझा जायगा लेकिन कमेन्समेंट इस एक्ट का कब से होगा, यह स्पष्ट इस प्रोवीजन में आ जाता है; ५४ से लागू होगा। यह तो एक सीधी-सादी बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैं तो इस बारे में पहले ही अर्ज कर चुका हूँ।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, ऐसा मालूम होता है कि भूतपूर्व मन्त्रियों द्वारा प्रस्तुत अमेंडमेंट ही स्वीकार किये जाते हैं। इसके अलावा दूसरों ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनको माननीय मन्त्री स्वीकार नहीं करना चाहते।

श्री सभापति—क्लॉज़ १० में श्री भैरूंसिंहजी ने जो अमेंडमेंट रखा है क्या वह सदन को स्वीकार है ?

(अस्वीकृत)

[श्री सभापति]

अमेंडमेंट ड्राप हो गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ११, श्री माथुर।

श्री मथुरादास माथुर—क्लॉज़ ११ में मैं इस प्रकार की तरमीम पेश करता हूँ :

"In clause 11 :—

(i) The following words shall be added at the end of sub-section (1) of section 16 :—

"Having regard to the provisions of clause (a) of sub-section (2)."

(ii) In sub-section (2) of Section 16 the word 'may' shall be added after the words 'as he deems fit."

(iii) The word 'may' shall be omitted from clause (a) of sub-section (2).

(iv) The word 'may' occurring in clause (b) of sub-section (2) after the words 'exceed thirty acres' shall be omitted.

(v) In sub-Section (3) the word 'sub-section' shall be inserted after the word 'or'."

ऐसा करने से जो इस एक्ट की मन्शा है वह पूरी हो जायगी।

श्री भोलानाथ—यह सब टेक्नीकल अमेन्डमेन्ट्स है, जिन्हें मैं मन्जूर करता हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—चेयरमेन महोदय, मेरा अमेंडमेन्ट टेक्नीकल है। मेरा अमेंडमेन्ट क्लॉज़ ११ के सब क्लॉज़ (१) के लाइन तीन में है।

[श्री भोलानाथ]

"In sub-section (1) line 3 of section 16 sought to be substituted in the Principal Act, delete the word 'prescribed' occurring before the word 'inquiry' and insert the words 'in the prescribed manner' after the word 'inquiry.' "

यह क्लॉज़ इस तरह रीड करता है :

"where an application under section 14 is received by the Commissioner for Khudkasht lands, he shall after holding the **inquiry in the prescribed manner** pass such orders thereon as he deems fit."

इस तरह इन्क्वायरी नहीं दे रखी है। प्रेसक्राइब्ड इन्क्वायरी है। इस तरह से मेरा यह टेक्नीकल अमेंडमेन्ट है जिसको प्रस्तुत करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना अमेंडमेन्ट प्रस्तुत करने के पहले यह जानना चाहता हूँ कि श्री मथुरादास माथुर ने जो सब क्लॉज़ (५) का जिक्र किया है उनका अमेंडमेन्ट सब क्लॉज (५) में कौनसा है ?

श्री सभापति—अमेंडमेन्ट आपके सामने है।

श्री मथुरादास माथुर—मेरा अमेंडमेन्ट पाँच में है उसमें :

"in sub-section (3) the word 'sub-section' shall be inserted after the word 'or'."

श्री हरिकृष्ण व्यास—पाँच की जगह तीन है। इसलिए सब क्लॉज (५) को तीन पढ़ा जाय।

श्री मथुरादास माथुर—सब क्लॉज तीन ही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओरीजिनली (मूलतया) सब क्लाज (५) लिखा है।

मि० चेयरमेन सर, मैं निम्नलिखित अमेंडमेन्ड मूव करता हूँ।

"In the proposed new Section 16 sub-section (1) and the following provisos :—

'Provided that if the applicant holds more land than ceiling the Commissioner for Khudkasht lands shall reject the application.'

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"Provided further that the Commissioner for Khudkasht lands may refer the matter to the Collector for enquiry as provided under sub-section (2)."

अमेंडमेन्ट प्रस्तुत करने के पहले, हालां कि कुछ अमेंडमेन्ट्स मूव नहीं हुए हैं, चूंकि नोटिस आ चुके थे इस सम्बन्ध में मेरे अमेंडमेन्ट चलते आ रहे हैं। श्री बृजसुन्दर शर्मा ने भी अमेंडमेन्ट दिये हैं वे उसे मूव करने वाले हैं, उसका मैं समर्थन करता हूँ। इसमें रेस्ट्रिक्शन होना चाहिये। आप प्रिन्सिपल एक्ट का जो अमेन्डेड फॉर्म है, जो हमारे सामने आ चुका है उस पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि दो तरह के इसमें प्रोविजन आये हैं। एक प्रोविजो है कलेक्टर को अर्जी देने का और दूसरा प्रोसीजर है खुदकाश्त कमिश्नर को अर्जी देने का। इन दोनों परिस्थितियों में जहाँ कमिश्नर के पास अर्जी देने का प्रश्न है, जो आदेश दिया गया है वह मथुरादासजी के अमेंडमेंट के मुताबिक यह है :

"He must take into account the provisions of Sub-section (2).

यह ठीक है।

दूसरा आदेश जो अमेंडमेन्ट प्रस्तुत हुए हैं उसके मुताबिक यह हो जाता है कि अगर जिस दिन अरजी करने की नौबत आये तो उस दिन जागीरदार की फेमिली का मेम्बर जिसके पास सेक्शन १८ के मुताबिक जमीन होनी चाहिए टेक्निकल अर्जी कर सकता है, वास्तविक अर्जी नहीं होनी चाहिये। वास्तव में मेरा अमेंडमेन्ट स्वीकार करने से रेस्ट्रिक्शन हो जायगी।

और दूसरी रेस्ट्रिक्शन यह होनी चाहिए, माननीय चेयरमेन, कि यह सब कुछ होने के बाद भी सीलिंग से ज्यादा अगर जमीन पहले से उनके पास है तो यह स्पष्ट आदेश दिया जाना चाहिये कमिश्नर ऑफ खुदकाश्त को कि, He shall reject the appilcation.

इस प्रकार से तीन आदेश हों तभी सही माने में इस प्रश्न का फैसला हो सकता है।

दूसरा जो मेरे अमेंडमेन्ट का भाग है वह यह है कि कमिश्नर ऑफ खुदकाश्त लेन्ड को यह भी अधिकार दिया जाना चाहिए कि अगर वह जरूरी समझे तो वह सेक्शन २ (ए) के मातहत एन्क्वायरी कर ले। इसमें यह कहा गया है कि :

"Where the jagirdar has conferred khatedari rights in his jagir land on any person after the commencement of this Act, may reject the application."

Page No.56

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अब कमिश्नर ऑफ खुदकाश्त लैण्ड के सामने यह सवाल पेश आवेगा: क्योंकि उसको तो ऐसा कुछ कार्य दिया ही है। नहीं गया है, तो अगर शक हो जावे उसको या वह यह ठीक समझे कि इसकी जाँच हो जानी चाहिए तो उस हालत में चाहे तीस एकड़ से ज्यादा का भी प्रश्न हो कलेक्टर को रेफर कर दे वह एन्क्वायरी कि अमुक-अमुक जागीरदार ने इस एक्ट के कमेन्समेन्ट होने के बाद में उसे खातेदारी हक दियाया नहीं दिया है। यह इसलिये आवश्यक है कि ऐसा नहीं हुआ तो यह मीनिंग इसके पढ़े जावेंगे कि जिस एन्क्वायरी का काम केवल कलेक्टर का है उसे कमिश्नर ऑफ खुदकाश्त नहीं कर सकता और लेजिस्लेशन का इन्टेन्शन जो है वह गलत तरीके से कल समझा जावेगा कि The Commissioner for Kudkasht lands is to confine itself to this and not to go in to the enquiry as provided for the Collector under sub-section (2) (a).

वैसे चूँकि यह खुदकाश्त हक देने से सम्बन्ध रखने वाला क्लॉज है इसलिए मेरा ख्याल है माननीय चेयरमेन, कि इस पर हमें बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये। जो अधिकार हम मुकर्रर करेंगे कि चाहे कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर ऑफ खुदकाश्त हो उनको हम क्या आदेश देते हैं, वह आदेश तय करने का मौका आज हमारे सामने आया है और हम उसे खुदकाश्त जमीन के बँटवारे के बारे में जो बन्धन डालते हैं वह बन्धन डालने का भी मौका आज हमारे सामने आया है। मेरे माननीय मित्र, राजस्व मन्त्री ने इस बात को बार-बार दोहराया है कि खुदकाश्त के सवाल पर किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा और यदि यह मन्शा है हमारी तो सबसे पहले तो इस एक्ट को सरकम्वेन्ट कोई न कर सके इसलिए इन्तजाम हो जाना चाहिए और वह इन्तजाम होगा। मेरे माननीय मित्र जो सिरोज से आये हैं उनका अमेंडमेन्ट मन्जूर करने से कि 'जागीरदार' शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसके खुद के नाम से या फेमिली के किसी सदस्य के नाम से अगर जितनी जमीन ली गई है, खुदकाश्त के नाम से वह सब परमिसिबल हो तो फिर उसे एप्लीकेशन करने का अधिकार नहीं होगा। यह टेकनिकल ब्रीच इस एक्ट का न हो जावे, यह आपको आदेश तो देना जरूरी ही है।

फिर दूसरा आदेश देना और जरूरी है और वह अमेंडमेंट मैंने सुबह क्लॉज़ (२) के सिलसिले में भी रक्खा था। उस समय इसका उत्तर देते हुए माननीय राजस्व मन्त्री ने यह कहा बताते हैं कि ये बाद की बातें हैं, इस पर हम बाद में निर्णय लेंगे, इसलिये अभी से इसको एक्ट में लाना ठीक नहीं। मेरा विचार इससे बिल्कुल विपरीत है और इसलिए विपरीत है कि इसी एक्ट के अन्दर अभी हमने एक क्लॉज़ पास किया है जिसमें १९५४ में यह अमेन्डिंग एक्ट जब कमेन्स होगा तो इसके ६ महीने बाद तक की खुदकाश्त की अर्जियों के लिए मियाद रख दी है। यह समझ में आने काबिल बात है और सही कहा जावे तो यह तय शुदा बात है कि कम से कम ६ महीने इस एक्ट के लागू होने से, दो महीने अभी इसे और लग जावेंगे; शायद लागू होते-होते दो-तीन महीने और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लगेंगे। इस तरह एक वर्ष के लगभग समय लग जावेगा। तो इस एक वर्ष के दर्मियानी अर्से में उनका निर्णय नहीं होने वाला है। तो सीलिंग के सिलसिले में जो आश्वासन दिया गया है बार-बार और सुना तो यह जा रहा है कि टीनेन्सी एक्ट भी हम इसी अधिवेशन में पेश करने वाले हैं या बहुत जल्दी पास करने वाले हैं तो यदि यह हमारी मन्शा है तो हमें इतना भी विश्वास नहीं मालूम होता कि एक वर्ष के अर्से में सीलिंग का फैसला कर सकेंगे। जो भी कानून इस सम्बन्ध में बनाना है वह निर्णय करने वाला कानून छः महीने, आठ महीने, एक वर्ष की अवधि में ले आएं। अगर हमें ऐसा विश्वास मालूम होता तो यह अर्ज करना मुझे आवश्यक हो गया है कि वह एक तरह से साउन्ड बेसिस हो जावेगा, एक प्रिन्सिपल की चीज बन जावेगी, नहीं तो कल कलक्टर से जाकर कहेंगे कि हमने अब सीलिंग मुकर्रर कर दिया है, ज्यादा जमीन होगी तो तुमसे ले लेंगे और उधर हम किसी खुदकाश्त कमिश्नर को कहेंगे कि चाहे जितनी जमीन हो, पांच सौ बीघा हो अगर उसके खातेदारी राइट्स हैं तो उतनी जमीन के बारे में खुदकाश्त के आदेश निकाल दो। तो ये ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें होंगी कि एक ओर तो सीलिंग मुकर्रर करके ज्यादा जमीन देने की सोच रहे हैं और दूसरी तरफ सौ गुना नहीं तो पचास गुना जमीन है तो उसे बांटने का आदेश खुदकाश्त कमिश्नर दे पावेगा, ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हो। यदि हम चाहते हैं कि खुदकाश्त के प्रश्न के प्रति अन्याय न हो, सही निर्णय हो इस पर और मैं तो यह कहूँगा कि हकीकत में अगर खुदकाश्त का निर्णय करना सम्भव है तो यह तभी सम्भव है जो छोटे भूस्वामी हैं उनको भी जमीन देने का प्रश्न हल हो। यह तभी सम्भव है कि जब बड़े-बड़े लोग जिनके पास पांच-पांच हजार एकड़ जमीन पड़ी है उनकी जमीनों पर सीलिंग मुकर्रर करके सीलिंग से ज्यादा उनकी जमीनों पर कब्जा किया जावे और वह छोटे लोगों को या जो बेजमीन क्लास (class) है जिनको एग्रिकल्चरल लेबर कहते हैं उनको दी जावे। तो इस एक प्रोविजो के करने से हमारे राजस्थान भर की तीन महत्वपूर्ण समस्याएं एक साथ हल होती हैं। एक तो इससे भूमिहीन किसानों को भूमि देने की समस्या का हल होता है, दूसरे जो छोटे मामूली जागीरदार या भोमिया हैं, जिन के पास बहुत कम जमीन है और जो कहते हैं कि जमीन उनको दिलाई जावे और जिनको जमीन देने की समस्या राजस्थान सरकार के सामने आ रही है उसको हम इससे हल करते हैं और तीसरे बेदखली के भूत के एक भार को कायम कर देता है। जब हम सीलिंग नियत करके अधिक भूमि रखने पर नियन्त्रण कायम कर देते है कि कोई भी एक सीमा से अधिक भूमि नहीं रख सकेगा तो कोई भी ज्यादा जमीन नहीं रख सकेगा और इसका स्पष्ट तात्पर्य यह होगा कि कोई नई जमीन से काश्तकार को बेदखल करके उस जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। तो बेदखली के खिलाफ टीनेन्सी एक्ट में प्रोवीजन रखने से इतना फायदा नहीं होगा। मैं तो यहां तक कह सकता हूँ ऑर्डिनेन्स से भी फायदा नहीं हो सकता, कानूनी बन्दिशों और पाबन्दियों से फायदा नहीं होगा, जितना फायदा इन्सेन्टिव बेदखली को रोकने से होगा और बेदखली के इन्सेन्टिव को तभी रोका जा सकता है जब खुदकाश्त के लिए सीमा बांध दी जावे, सीलिंग से ज्यादा खुदकाश्त कोई न रक्खे यह आप कानून बना दें, यह सीमा आप बांध दें। तो यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है। मुझे उम्मीद है

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाकर इसे मंजूर किया जावेगा। यह किसी तरह से राजस्थान सरकार को अथवा हमारे यहां करोड़ों लोगों को नुक्सानदेह नहीं हो सकता, बल्कि मुफीद और फायदेमंद साबित होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना अमेंडमेंट प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय सभापति महोदय, मेरा क्लॉज़ ११ पर जो एमेंडमेंट है वह इस तरह से है :

"In clause 11, sub-section (2) (a) of section 16 sought to be substituted in the Principal Act after the words 'commencement of this Act' the words 'or where a member of the Jagirdar's family holds land according to the scale laid down in section 18' shall be inserted."

"Where the Jagirdar has conferred khatedari rights in his jagir land on any person after the commencement of this Act, इसके बाद यह शब्द और जोड़ने चाहिए वह इस तरह से हैं : "or where a member of the Jagirdar's family holds land according to the scale laid down in section 18"

इस तरमीम में मेरी मन्शा बिल्कुल साफ है और जैसा कि अभी हमारे माननीय मित्र ने कहा कि इसके होने की इसमें जरूरत है। उसकी वजह यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने भाई के नाम, अपने लड़के के नाम, अपने और फेमिली मेम्बर्स के नाम खातेदारी राइट्स दे दिये हैं, वह खातेदारी राइट्स यद्यपि उनके नाम दर्ज कर दिये हैं लेकिन वास्तव में वह जमीन तो उन्हीं की है। वह फेमिली मेम्बर्स सारे के सारे उनके साथ हैं तो जो जागीरदार ने जितनी जमीन के खातेदारी हकूक उनके डिपेन्डेन्ट और फेमिली मेम्बर्स को दे दिये हैं वह सब इसमें शुमार किये जाने चाहिए, और वास्तव में यह हुआ भी है। इस जागीरदारी अबोलिशन के आने के पहले कई लोगों ने अपनी-अपनी जगहों में, अपनी-अपनी जागीरों में खातेदारी के हकूक दिये हैं अपने रिश्तेदारों और फेमिली मेम्बर्स को, तो वह अन्यायपूर्ण है क्योंकि वास्तव में यह उन्हीं के कब्जे की जमीन है और उन्ह की जमीन को इसमें कन्सीडर किया जाना चाहिए। जो फियर मेरे मित्र ने एक्सप्रेस किया है उसके बारे में कहीं शंका आगे होगी तो सब क्लॉज़ (२) और (३) में ऐसा इन्सर्ट किया जाना जरूरी है। तो मैं निवेदन करूँ कि यह शंका बाद में इसी एक्ट के तेहत में आ जाती है। जो यह कहा गया है कि सीलिंग जितनी मुकर्रर कर दी जाय उससे ज्यादा उसे किसी भी तरह की जमीन खुदकाश्त में नहीं आनी चाहिए और इसके लिए क्या गारन्टी है, तो मैं मेरे माननीय मित्र का ध्यान इसकी धारा १४ की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि जिसमें यह राइट केवल उन्हीं जागीरदारों को दिया गया है जिनके पास इस पैमाने से कम जमीन है, वही जागीरदार दरख्वास्त दे सकते हैं। तो धारा १४ को मेरे माननीय मित्र देखें तो उसमें यह साफ है कि :

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

"A jagirdar or a zamindar who at the commencement of this Act does not hold any khudkasht or who at such commencement holds khudkasht less in area than the maximum area ....--"

That means only that person will have a right to apply under Section 14 who does not hold land to that extent which is prescribed in this Act; that is he will only apply when he does not hold land according to the ceiling prescribed under this Act.

मेरे लायक दोस्त ने संशोधन में जो जाहिर किया है, उन्होंने जो एमेंडमेंट मूव किया है :

"Provided that if the applicant holds more land than ceiling the Commissioner for Khudkasht lands shall reject the application."

जब एप्लिकेशन देने का हक हासिल नहीं है तो दर्ख्वास्त खारिज हो जायगी, तो उनके एमेंडमेंट की पूर्ति मेरे एमेंडमेंट से हो जाती है; सेक्शन १४ का जो प्रोवीजन है उससे हो जाती है। दर्ख्वास्त देने का राइट नहीं है तो दर्ख्वास्त अपने आप ही कन्सीडर नहीं की जायगी। वह खारिज हो जायगी।

दूसरा संशोधन है जिसमें उन्होंने जाहिर किया है कि इसमें पॉवर्स खुदकाश्त कमिश्नर को दी गई है, इन्क्वायरी कराने की, तो वह कलेक्टर के जरिये हो सकती है.........

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप जवाब दे रहे हैं क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं आपके संशोधनों का जवाब नहीं दे रहा हूँ, बल्कि यह कह रहा हूँ कि आपका संशोधन ठीक नहीं है। मेरा संशोधन ठीक है क्योंकि मेरे इस संशोधन में उसका समन्वय है और उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसमें जो शब्द है :

"Where an application under section 14 is received by the Commissioner for Khudkasht lands, he shall after holding the prescribed inquiry......"

तो जो "Prescribed inquiry" के लिए कहा गया है तो वह रूल्स के जरिये इन्क्वायरी होगी। तो कौन से रूल्स के जरिये से इन्क्वायरी होगी वह प्रेस्क्राइब किये जा सकते हैं, जैसा कि कमिश्नर खुदकाश्त मुनासिब समझे। उसको वह पॉवर डेलीगेट कर सकता है, कलेक्टर इन्क्वायरी करके भेज सकता है। ऐसी सूरत में मेरे लायक दोस्त ने जो संशोधन पेश किया है उसकी पूर्ति इससे हो जाती है। मेरा एमेंडमेंट बिल्कुल साफ है। उससे इसकी रोक हो जाती है और उसके संशोधन करने से इसकी जो खामियां रह गई हैं सारी की सारी पूरी हो जाती हैं। इसलिए मैंने जो एमेंडमेंट पेश किया है उसको माननीय मंत्रीजी स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा एक शाब्दिक एमेंडमेंट हैं, उसको मान लें तो ठीक होगा। language point of view से 'a member' आपने लिखा है उसके बजाय "**any member or members** of the jagirdar's family" टर्म्स सुधार लिया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरे अमेंडमेंट में यह शब्द जोड़ दिये जायं तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (वि० स० १६)—क्लॉज़ ११ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"Part (b) of sub-clause (2) be substituted by the following :—

'(b) Where the area applied for to be allotted as Khudkasht does not exceed thirty acres subject to provisions of section 19 (of the Principal Act) may allot to the applicant such area of land (not exceeding the area applied for) as Khudkasht as he may deem proper, and' "

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मन्त्री)—यह आपका एमेंडमेंट सक्युलेट हो गया है क्या ?

श्री भैरोंसिंह—मुझे इज्जाजत मिल चुकी है अपना एमेंडमेंट मूव करने के लिए।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—क्लॉज़ ११ के लिए कोई संशोधन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—मैंने जो संशोधन पेश किया है वह कल मैं देकर गया हूँ। ऑफिस से मंगा लिये जायं। तब तक मैं पढ़ देता हूँ।

श्री भोलानाथ—सक्युलेट नहीं हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह—सक्युलेशन के बारे में माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि जितने भी संशोधन आयेंगे उनके लिए सद्भावना से विचार किया जायगा।

श्री मथुरादास माथुर—बशर्ते कि वह सद्भावना से दिये जायं।

श्री सभापति—आपका एमेंडमेंट आ जाने दिया जाय, फिर विचार करेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—मेरा एक एमेंडमेंट है।

श्री सभापति—आपका कोई एमेंडमेंट नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—वह श्री गुप्ताजी की टेबिल पर है, वहां से मंगा लिया जाय।

श्री सभापति—यों तो आप कैसे बोलेंगे ?

श्री श्रीदास गोयल--क्लॉज़ ११, जो एमेंडमेंट बिल का है उसका सब क्लॉज़ २ (सी) मीनिंगलैस हो जाता है। कमिश्नर के पॉवर्स के बारे में यह डिफेक्टिव है। इसके सम्बन्ध में मैंने एमेंडमेंट दिया था वह हाउस स्वीकार कर ले।........

श्री सभापति—उसका इन्तजार किया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तब तक हाउस बैठा रहेगा।

(संशोधन की प्रतियां कार्यालय से प्राप्त)

श्री श्रीदास गोयल—तो I am permitted now.

श्री सभापति—श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)।

श्री भैरूसिंह—माननीय सभापतिजी, मैंने अपना संशोधन अभी पढ़ कर सुनाया था। उसकी मंशा यह है कि क्लॉज १९ के मातहत जब कोई शख्स कलेक्टर के पास अपनी दर्ख्वास्त पेश करे तो कलेक्टर किन-किन शर्तों के माफिक, यदि वह दर्ख्वास्त आती है तो स्वीकार कर सकता है और कौन- कौन सी सूरतें ऐसी हैं जिनके मातहत दर्ख्वास्त खत्म कर सकता है। इसके लिये इस क्लॉज़ के पार्ट (बी) में लिखा है कि "where the area applied for to be allotted as Khudkasht does not exceed thirty acres, may either reject the application or allot the applicant" इसमें कलेक्टर को दोनों ही अधिकार दिये गये हैं। यदि वह चाहे तो उस दर्ख्वास्त को खारिज करे और यदि वह चाहे तो उस दर्ख्वास्त को स्वीकार कर सकता है। उनको इस प्रकार के जो डिस्क्रीशनरी पॉवर्स दिये हैं वे किसी भी कानून से गवर्न नहीं हो सकते। यह सब उनकी मर्जी पर है कि जैसा चाहें वैसा करें। इस बिल में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कलेक्टर को गवर्न करती हो। मेरा संशोधन गवर्निङ्ग संशोधन है जो इस प्रकार है: "where the area applied for to be allotted as Khudkasht does not exceed thirty acres" और फिर उसमें कर दिया है कि;"subject to the provisions of Section 19" १९ धारा के अन्दर कौन कौनसी जमीन खुदकाश्त में आ सकती है और इस प्रकार की जमीनके लिए दर्ख्वास्त दी गई है तो कलेक्टर के सामने एक चीज रहनी चाहिये कि वह इस सेक्शन को गाइड करता हुआ फैसला दे। ऐसी कोई चीज यहां नहीं दी गई है। वह चाहे जिस दर्ख्वास्त को खारिज कर दे। किसी भी क्लॉज़ से गवर्न हुए बिना कलेक्टर चाहे तो खारिज कर सकता है। मेरा अमेन्डमेंट मंजूर होने के बाद २ सूरतों में मंजूर कर सकता है। पहली सूरत तो यह है कि ३० एकड़ से कम भूमि के लिये दर्ख्वास्त दी हुई होनी चाहिये और दूसरा यह कि जिस जमीन को खुदकाश्त के लिये अलोट करना है वह जमीन सेक्शन १९ के मातहत आती है या नहीं और यदि आती है तो ३० एकड़ से कम है और यदि खातेदारी राइटस काश्तकार को नहीं दिया गया है तो महज एक चीज होनी चाहिये कि वह दर्ख्वास्त स्वीकार करे, चाहे वह क्लॉज़ १९ के पार्ट (ए) में या (बी) में गवर्न करता हो। कलेक्टर के पास डिस्क्रीशनरी पॉवर्स हैं कि वह मरजी चाहे तो खारिज करे: subject to the provisions of Section 19' इन शब्दों के एडीशन और 'reject' को हटाने के बाद जो पॉवर्स उसमें वेस्टेड हैं वे

[श्री भैरूँसिंह]

स्पष्ट हो जाते हैं और डिस्क्रीशनरी पोवर्स नहीं रह जाते। जो कुछ काम करना है वह क्लाज १६ के मातहत करना है। यह मेरा छोटा-सा संशोधन है और इससे कन्फ्युजन दूर हो जाता है इसलिये मैं आशा करता हूँ कि इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—सभापति महोदय, अमेन्डिंग बिल की क्लॉज़ ११ के सब क्लॉज (२) (सी) है उसको में थोड़ा अमेंड करना चाहता हूँ और वह अमेंडमेंट इस तरह है: "In any other case submit his report in respect of the matter contained in the application to the Commissioner for Khudkasht lands **for his orders** ..—" ये जो वर्ड्स 'for his orders' हैं यह मैं एड कराना चाहता हूँ "खुदकाश्त लैंडस" के आगे और बाकी वाक्य बदस्तूर पढ़ा जायगा: "and where the Collector makes a recommendation for the allotment of Khudkasht, he shall specify the manner in which his recommendation may be carried out." तो इस अमेंडमेंट से मेरा मतलब यह है कि जहाँ तक ३० एकड़ तक भूमि का प्रश्न है वहाँ तक कलेक्टर का जुरिस्डिक्शन क्लॉज़ (बी) के अन्तर्गत आनेवाला हो जाता है लेकिन जहां ज्यादा हो वहां इन्क्वायरी के बाद कलेक्टर पेपर्स सबमिट करते हैं कमिश्नर के सामने। तो किसलिये सबमिट करते हैं, यह साफ होना जरूरी है। 'for his orders' "वर्ड्स से क्लियर हो जाता है कि जो पेपर्स कलेक्टर सबमिट करता है उस पर निर्णय दें।

अभी जो श्री भैरोंसिंहजी ने फरमाया उस बारे में इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि १९५२ के एक्ट का क्लॉज़ १६ जो है वह गवर्न करता है सब तरह के अलोटमेन्ट के सिलसिले में; चाहे अलोटमेन्ट कलेक्टर करे, चाहे कमिश्नर करे और चाहे १ एकड़ का हो और चाहे ५०० एकड़ का हो। जो कुछ भी होगा वह सब सेक्शन १६ के अंतर्गत होगा। ऐसी हालत में आपका अमेन्डमेन्ट रिडन्डेन्ट (redundant) हो जाता है।

श्री जवान सिंह—सभापति महोदय, इस क्लॉज़ में काफी संशोधन प्रस्तुत हुए। लेकिन उनमें से जो संशोधन श्री ब्रजसुन्दरजी ने पेश किया उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। उनके द्वारा दलील यह दी गई थी कि यदि किसी जागीरदार की फेमिली में उसके किसी दूसरे मेम्बर के नाम पर खुदकाश्त दर्ज हो चुका है तो उसको इसके बाद दर्ख्वास्त करने का हक नहीं रहेगा, जिसकी तहत में और ज्यादा खुदकाश्त की लैंड ले सके। मेरी समझ में यह नहीं आया कि हम उन जागीरदारों के लिये जीविकोपार्जन का तरीका केवल इस भूमि को रखना चाहते हैं तथा इसके अलावा और कोई दूसरा जरिया जीवन-निर्वाह का जागीर रिज़म्पशन के बाद नहीं रहेगा, ऐसी परिस्थिति में हमें विशेषरूप से उनका ध्यान रखना होगा। केवल जागीरदारों ही का पेट नहीं भरना है, बल्कि उनके साथ रहनेवाले उनके खानदान के दूसरे लोग जो हैं उनको भी भूख लगती है। यदि जागीरदारों को खर्च करने के लिये आमदनी की जरूरत रहती है तो दूसरे लोग जो उनके कुटुम्बी हैं उनको भी जरूरत रहती है। यदि जागीरदारों के खानदान के और लोगों के नाम खुदकाश्त की भूमि दर्ज है तो जहां तक जागीर उनके पास नहीं तो खुदकाश्त का सवाल उनके लिये नहीं रहता, लेकिन उनके पास खातेदारी का हक

[श्री जवानसिंह]

जरूर हो सकता है, यह कहा गया। इसके बावजूद ही हम शहरी जायदाद की तरफ देखते हैं तो हमें वहां एक दूसरी ही परिस्थिति नजर आती है। शहरी जायदाद एक इन्सान चाहे जितनी अपने नाम करा सकता है, उसके लिये कोई पाबन्दी नहीं है; वह कितनी ही जायदाद, लाखों-करोड़ों रूपयों की जायदाद अपने नाम रख सकता है। उसके सामने यह प्रश्न नहीं है कि अपने बीबी-बच्चों के लिए कितनी जायदाद रखे। यदि शहरी व्यक्ति के लिये इतनी छूट है तो जागीरदारों के लिये इतनी संकुचित दृष्टि से क्यों सोचना चाहिये? क्यों उनसे जमीन जबर्दस्ती छीननी चाहिये जिससे कि जागीरदारों को दूसरों का मोहताज होना पड़े? जिनके लिये जीविकोपार्जन का सहारा नहीं रह जाय और इसके साथ-साथ शहरी जायदाद में से बाल बच्चों और रिश्तेदारों के नाम जितनी चाहें उतनी जायदाद रख सकते हैं तो फिर क्या बात है कि इन जागीरदारों के जागीर ले लेने के बाद उनकी स्थिति खातेदार काश्तकारों से भी खराब हो? उनके लिये हम क्यों संकुचित दृष्टिकोण रखें? किसी जागीरदार या उसके किसी कुटुम्बी के पास १५ बीघा, ३० बीघा या ५० बीघा या ५०० एकड़ तक जमीन है तो वह यदि उन्हीं के पास रहने दी जाय तो इसमें ऐतराज करने की क्या बात है? जागीरदारों की फेमली के पास जितनी जमीन है उसको उनके पास रखने से क्यों एतराज किया जाता है?

यह भिन्न रवैया, दूसरा विभेद का दृष्टिकोण शहरी जायदाद के मुकाबिले में काश्तकारों की जायदाद के लिये नहीं होना चाहिये।

हमें यह मालूम होना चाहिये कि जमीन का जो यह कानून हम पास कर रहे हैं वह काम यहीं खत्म नहीं होगा। अगर आपको देश का उत्थान करना है तो जिस तरह जमीन के सुधार का यह कानून ला रहे हैं उसी प्रकार शहरी जायदाद के सुधार का कानून भी आपको लाना होगा। अगर वह लक्ष्य आपके सामने है तो कम से कम आपको उस जमीन के लिये हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये जो कि जीवन-निर्वाह का एक मात्र साधन है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देखा जाय तो मालूम होगा कि सिरोंज से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है वह कितने अनावश्यक है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। दो जायदादों के बीच में हम अन्तर नहीं रख सकते। हम इस तरह का पक्षपात नहीं कर सकते कि एक आदमी तो करोड़ों की सम्पत्ति रख सकता है और वे काश्तकार जिनके ज्यादा वोटों पर हम इस सदन में आये हुए हैं उन काश्तकारों की जायदाद का कोई ख्याल नहीं करके उनके साथ एक संकीर्ण दृष्टिकोण का बर्ताव करें। यह पक्षपात की नीति है। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूँ कि जो संशोधन सिरोंज से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश किया है उसको अस्वीकार फरमाया जाय।

(राजस्व मन्त्री की ओर से उत्तर देने के लिये श्री भोलानाथ के खड़े होने पर)

श्री **अवनिकुमार मुकर्जी**—ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, माननीय सम्बन्धित मन्त्री इतने समय तक उत्तर दे रहे थे, अब क्या वे अपना उत्तरदायित्व आपको डेलीगेट कर गये हैं?

(कुछ विराम के अनन्तर)

Page No.64

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—चेयरमेन महोदय, जो अभी अमेंडमेंट क्लॉज़ ११ में आये, कुछ तो ऐसे थे जो बिल्कुल टेक्निकल हैं। मथुरादासजी ने श्री वेदपाल त्यागी के अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया और श्री एच० के० व्यास ने जो अमेंडमेंट रक्खा था उसके एक अंग को श्री मथुरादासजी ने स्वीकार कर लिया। श्री वेदपाल त्यागी और मथुरादासजी के जो अमेंडमेंट हैं उनको मैं स्वीकार करता हूँ। श्री मथुरादासजी के अमेंडमेंट में जो श्री एच० के० व्यास ने अमेंडमेंट रखा है जिसको श्री मथुरदासजी ने स्वीकार किया है उसे मैं, श्री मथुरादासजी के अमेंडमेंट को, स्वीकार करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बृजसुन्दरजी का या मथुरादाजी का।

श्री भोलानाथ—बृजसुन्दरजी का भी अभी आता है।

श्री बृजसुन्दरजी का अमेंडमेंट ऐसा है जो काफी है। श्री एच० के० व्यास ने जो उसमें तरमीम चाही है वह उस अमेंडमेंट से ही साफ हो जाती है। इसलिये में श्री बृजसुन्दरजी का जो अमेंडमेंट है उसे स्वीकार करता हूँ।

श्री श्रीदासजी गोयल का जो अमेंडमेंट है वह भी ऐसा है जो क्लॉज़ को साफ करता है, उसको भी मैं मन्जूर करता हूँ।

अब श्री भैरोंसिंह और श्री एच० के व्यास के अमेंडमेंट हैं। श्री एच. के. व्यासजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपने अमेंडमेंट को वापिस ले लें। ८

श्री भैरूंसिंहजी के अमेंडमेंट को स्वीकार कर लेने से तो इस क्लॉज़ की मन्शा ही खत्म हो जाती है, इसलिये मैं उसको भी नामन्जूर करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कई क्लॉज़ हुए, as amended how the clause will read, यह पढ़ कर सुना दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यों तो बहुत वक्त लगेगा।

श्री जवानसिंह—काम करने के लिये बैठे हैं, देरी का सवाल नहीं होना चाहिये।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—(श्री भोलानाथजी की ओर इंगित करते हुए) अमेंडमेंट स्वीकार होने पर यह क्लॉज़ कैसा होगा यह पढ़ कर सुना दें।

श्री भोलानाथ—हरेक अमेंडेड क्लॉज़ इस तरह पढ़ा जायगा तो कैसे काम चलेगा?

(विराम)

श्री सभापति—श्री मथुरादासजी के अमेन्डमेन्ट ज्यादा हैं, इसको तो पढ़ कर सुना दिया जाय।

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री मथुरादास माथुर—यह क्लॉज़, अमेन्डमेंट स्वीकार करने पर, इस प्रकार है: Clause 11 will read like this :—

"For section 16 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"16. Allotment of Khudkasht :—(1) Where an application under section 14 is received by the Commissioner for Khudkasht lands, he shall after holding the inquiry pass such orders thereon as he deems fit **having regard to the provisions of clause (a) of sub-section (2).**

(2) Where an application under section 14 is received by the Collector, the Collector after holding in the prescribed manner such inquiry as he deems fit may—

(a) Where the jagirdar has conferred khatedari rights in his jagir land on any person after the commencement of this Act or where any member or members of the Jagirdar's family hold land according to the scale laid down in section 18, reject the application."

श्री हरिकृष्ण व्यास—May reject...

श्री मथुरादास माथुर—'May' will be omitted.

"(b) Where the area applied for to be allotted as Khudkasht does not exceed thirty acres, either reject the application or allot to the applicant such area of land (not exceeding the area applied for) as Khudkasht as he may deem proper, and

(c) In any other case submit his report in respect of the matters contained in the application to the Commissioner for Khudkhasht lands and where the Collector makes a recommendation for the allotment of Khudkasht, he shall specify the manner in which his recommendation may be carried out.

[श्री मथुरादास माथुर]

(3) As soon as may be after an order is passed by the Commissioner for Khudkasht lands under sub-section (1) or sub-section (2) the Collector shall give effect to such order."

This is the amended form.

श्री सभापति—श्री खेतसिंहजी का एक अमेन्डमेंट इस क्लॉज़ पर आया है उसे मूव करने की इजाजत दी जाती है।

श्री खेतसिंह—मेरा अमेन्डमेंट मामूली है। बृजसुन्दरजी ने जो अमेन्डमेंट रखा है उसके आगे, इस क्लॉज़ के एन्ड (end) में एक एक्स्प्लेशन रखना चाहता हूँ :—

"For purposes of this section 'family' shall mean and include wife, wives and children."

श्री कपिलदेव अग्रवाल—'Wives' काट दो, Wife will do.

श्री खेतसिंह—'Wives' इसलिये रखा है कि कई के तीन-तीन, चार, पाँच बच्चे होते हैं, उनकी औरतें......

श्री हरिकृष्ण व्यास—What about joint family ? New definition in respect of joint family or civil law definition shall apply ? When the family has partitioned or when it is not partitioned is undivided family, the ordinary Hindu civil law shall apply. Why restrict the scope of this Act ? I don't understand.

श्री सभापति—मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल के क्या विचार हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I object to the moving of this amendment since no notice has been given.

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—यह मूव कर दिया गया है, अब ओब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—So many amendments have been moved without notice.

श्री सभापति—He has been allowed to move. So I rule out Mr. Vyas' objection.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मत ले लिये जांय।

There are so many families in which there are hundreds of members. It will create so many complications, I may tell you.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि 'फेमिली' की डेफिनेशन पर कई तरह के विचार चल रहे हैं। अच्छा तो यह होगा कि 'फेमिली' शब्द जो है, उसको उसी तरह रहने दिया जावे। मैं श्री खेतसिंहजी से निवेदन करूँगा कि वे इसके लिये प्रेस न करें।

श्री खेतसिंह—माननीय चेयरमेन, मैं समझता हूँ कि 'फेमिली' की डेफिनिशन कानून में कहीं नहीं दी गई है। यह कानून जल्दी में पास हो रहा है। बाद में इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सीज़ पैदा होंगी। फेमिली में अंकिल और उनके सन्स भी ले लिये जाते हैं। अगर इन सब को आप ले लेते हैं तो कतई ठीक नहीं होगा। लेकिन चूंकि मिनिस्टर कन्सर्न्ड इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री सभापति—क्लॉज ११ पर श्री मथुरादास माथुर का एमेंडमेंट है। उसको मिनिस्टर इन्चार्ज ने भी एक्सेप्ट (accept) कर लिया है। क्या सदन को यह स्वीकार है?

(स्वीकृत)

श्री मथुरादास माथुर का एमेंडमेंट मन्जूर किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री वेदपाल त्यागी का एमेंडमेंट है, जिसको मिनिस्टर इन्चार्ज ने मन्जूर कर लिया है। सदन को यह स्वीकार है?

(स्वीकृत)

श्री त्यागी का संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

(विराम)

इसके बाद श्री एच० के० व्यास का एमेंडमेंट है। श्री एच० के० व्यास।

Page No.68

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं इसको वापिस लेना चाहता हूँ। वापिस लेने की अनुमति दी जावे।

श्री सभापति—क्या हाउस की अनुमति है कि श्री एच० के० व्यास अपना अमेन्डमेन्ट वापिस ले

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—इसके बाद श्री बृजसुन्दर का एमेंडमेंट है, इसको भी मिनिस्टर इन्चार्ज ने स्वीकार किया है। उनका ओरिजिनल एमेंडमेंट तो इस प्रकार है: "In clause 11, sub-section (2) (a) of section 16 sought to be substituted in the Principal Act after the words 'commencement of this Act' the words 'or where a member of the Jagirdar's family holds land according to the scale laid down in section 18' shall be inserted."

अब उसके बजाय उन्होंने दूसरा रीड्राफ्ट करके एमेंडमेंट किया है, वह इस प्रकार है: "I agree that in my amendment to clause 11 instead of the words 'a member' the words 'any member or members' be substituted.

It shall finally read as below :—

'Where the jagirdar has conferred khatedari rights in his jagir land on any person after the commencement of this Act, **or where any member or members of the Jagirdar's famils holds land according to the scale laid down in section 18,** may reject the application."

श्री बृजसुन्दर का जो एमेंडमेंट रीड्राफ्ट होकर आया है, क्या सदन को यह स्वीकार है?

(स्वीकृत)

एमेंडमेंट एक्सेप्ट किया गया।

(विराम)

अब इस क्लॉज पर श्री भैरोंसिंहजी का एमेंडमेंट है। क्या सदन को यह स्वीकार है?

(अस्वीकृत)

अमेण्डमेण्ट ड्रोप हो गया।

(विराम)

[श्री सभापति]

इसके बाद श्री श्रीदास गोयल का एमेंडमेंट है। इसको मिनिस्टर इन्चार्ज ने शायद मन्जूर कर लिया है।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

इसके बाद श्री खेतसिंह का एमेंडमेंट आता है।

श्री खेतसिंह—मुझे मिनिस्टर इन्चार्ज ने आश्वासन दिया है कि इसकी डेफिनिशन में इन्क्ल्यूड कर दिया जावेगा। इसलिये उनके आश्वासन पर मैं इसे वापिस लेता हूँ। वापिस लेने की अनुमति दी जावे।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

इजाजत दी जाती है।

श्री खेतसिंह—मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—यह एमेंडमेंट भी ड्रोप हो गया।

प्रश्न यह कि खण्ड ११, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११, एज एमेंडेड, मन्जूर हुआ और बिल में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२, श्री एच० के व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा यह खयाल है कि जितने एमेंडमेंट हैं तथा और कोई भी सुझाव हैं उन पर कल ३, ४ या ५ घंटे बैठकर इनफोर्मल्ली बैठ कर इन सारी चीजों पर ठीक तरह से बात-चीत कर लें। जितने मंजूर हो जावें उनको विथड्रा कर लेंगे और जो बकाया रहेंगे उन पर बहस कर ली जावेगी। क्या जरूरत है कि सुबह-शाम

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ैठ कर इसको जल्दी पास करें ? हम तो यदि इसको जल्दी पास करना है तो कल बैठ कर इनफोर्मल्ली सब ठीक हो जावेगा ।

श्री सभापति—अब समय हो गया है इसलिए हाउस एडजॉर्न किया जाता है और शाम को फिर ५ बजे मिलेंगे ।

(विधान सभा की बैठक ११ बज कर ३० मिनिट पर, दिनांक ५.६.५४ के ५ बजे मध्यान्होत्तर तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनाँक—५ जून, १६५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

राजस्थान विधान सभा

३६ वीं बैठक, शनिवार, दिनांक–५ जून, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में ५ बज कर १७ मिनट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई

(सायंकालीन बैठक)

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर-पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९५४

बिल का खण्ड १२, श्री एच. के. व्यास।

(अनुपस्थित)

(श्री सुखाड़िया को संबोधित करते हुए)

क्या आप उनके संशोधित को स्वीकार करते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—No, Sir.

श्री अध्यक्ष—We started late by 15 minutes already. So, I put clause 12 to vote. The question is that clause 12 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 12 is added to the Bill, that is deletion 17 of the Principal Act is accepted

(विराम)

Clause 13. Shri Tan Singh.

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा अमेंडमेन्ट क्लॉज १३ में इस प्रकार है :

[श्री तनसिंह]

Renumber the clause as sub-clause (a) and add the following new sub-clause (b) namely :—

"(b) In sub-section (2) of section 19 of the Principal Act the words 'provided a fresh application shall be entertainable when any of such categories become available,' be added at the end."

जो धारा १६ प्रिन्सिपल एक्ट की है उसकी उपधारा (२) के अन्तर्गत :

"Where no land of any of the categories specified in sub-section (1) is available, the application for allotment of khudkasht shall be rejected."

अर्थात् कुछ ऐसी भूमि बताई गई है जो खुदकाश्त के लिए अलॉट की जा सकती है। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी है कि अभी पिछले क्लॉज़ के अन्तर्गत ऐसा निर्णय हुआ है कि ६ महीने के बाद कोई खुदकाश्त की एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जावे। सम्भवतः ऐसा कोई केस हो जो ६ महीने के भीतर दरख्वास्त दे दी गई हो पर जमीन की इन बताई गई कैटेगरीजों में से कोई कैटेगरी अवेलेबल नहीं हो और बाद में मालूम हो, पर उसकी अर्जी खारिज कर दी गई हो; पर ऐसी भी सम्भावना हो सकती है कि बहुत शिघ्र ही ऐसी कैटेगरी की जमीन अवेलेबल हो जावे तो दूसरी एप्लीकेशन के लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए और इस मन्शा से मैंने यह क्लॉज रक्खा है कि पहले पहल शुरूआत में जमीन न मिले पर किसी कारण से किसी ने जमीन छोड़ दी हो या और किसी कारण से ऐसी कैटेगरी की जमीन अवेलेबल हो जाय तो उसको अलॉट किए जाने से नहीं रोका जाना चाहिए, उसे एलॉट करने के लिए दरख्वास्त देने का अधिकार होना चाहिए। इसी नीयत से मैंने यह संशोधन रखा है। मुझे उम्मीद है कि इसे सदन स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री चाँदमल मेहता।

श्री चाँदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेन्ट इस प्रकार है :

"Delete clause (iii) sought to be substituted in sub-section (1) of section 19 of the Principal Act and clause (vii) of sub-section (1) of section 19 of the Principal Act."

[श्री तनसिंह]

अध्यक्ष महोदय, प्रिन्सिपल एक्ट में जो सब क्लॉज (७) है इसके बजाय एक दूसरा सब क्लॉज़ इसमें जोड़ा गया है जिसको कि डिलीट करने के बारे में मेरा अमेंडमेन्ट है। यह जो प्रिन्सिपल क्लॉज़ में है उसको भी डिलीट किया जाय और इस अमेंडमेन्ट बिल में जो है उसको भी डिलीट किया जावे, यह मेरे संशोधन की मन्शा है।

इस विषय में मुझे ज्यादा नहीं कहना है। माननीय मन्त्री महोदय ने एक से अधिक बार यह कहा है कि किसान को जमीन से बेदखल नहीं किया जावेगा। पर यह धाराएँ हैं किसान को जमीन से बेदखल करने वाली है और मैं मानता हूँ कि मन्त्री महोदय जो कह चुके हैं उसको मद्दे नजर रखते हुए इन धाराओं को हटाने के सम्बन्ध में मेरे इस अमेंडमेन्ट को स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट बिल की क्लॉज़ १३ और ओरिजिनल एक्ट (original Act) की क्लॉज़ १६ को कुछ अमेंड करने के लिए मेरा संशोधन है। इसमें क्लॉज़ नं. ३ पर मेरा एक संशोधन है और वह इस प्रकार है कि ओरिजिनल सेक्शन की धारा १६ की उपधारा (३) को काट दिया जावे और मौजूदा जो शब्द इस अमेंडेड एक्ट में रक्खे गए हैं उन शब्दों के आखिर में "unless khatedari rights have accrued to the tenant under any law during the term of such lease." ये शब्द और जोड़ दिये जायँ : original Act के sub-clause (7) को omit किया जाय।

इस संशोधन से मेरा मतलब, माननीय अध्यक्ष, यह है कि १६४८-१६४६ का जो एक्ट है उसमें यह लिखा गया है कि ४८-४६ में राजस्थान टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था और उसमें यह था कि वे जमीनें जो उस साल से पाँच साल पहले जागीरदार की काश्त में थीं, वापिस उनको खुदकाश्त के लिए अलॉट की जा सकती हैं।

यों तो यह पाया है कि राजस्थान टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट जिस तारीख से लागू हुआ था वह जमीन पिछले पाँच वर्षों में काश्त की गई है तो उनको मिलाने के लिए उस साल में इस तरह का एग्रीमेंट में तय हो चुका है, पर इसमें मैं यह संशोधन इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि यह तारीख वह तारीख पड़ती हैं जिस समय हमारी पुरानी जोधपुर रियासत में बड़े महत्वपूर्ण कानून किसान के हित के लिए बनाये गये थे और उनके जरिये हमारे सेक्शन १० जो मारवाड़ टीनेन्सी एक्ट है उसमें १६४८-४६ में जिस जमीन पर किसान का कब्जा था उसको उस जमीन पर खातेदारी हक दिए थे। उससे यह नतीजा निकलता है कि ४८-४६ में जो जमीन जागीरदार के पिछले पाँच सालों में काश्त के लिए थी उन जमीनों को अगर हम इस तरह से मारवाड़ टीनेन्सी एक्ट की धाराओं को ध्यान में रक्खें तो सारे खातेदारी हकों को वापिस कर सकते हैं।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

पर खुद रेवेन्यू मिनिस्टर साहब यह बात बार-बार दोहरा चुके हैं कि जमीन पर से किसी किसान को इस कानून के कारण बेदखल नहीं किया जावेगा। इसी बात को देखते हुए मैंने इस क्लॉज़ के पीछे एक कन्डीशन (condision) के रूप में कुछ जोड़ा है कि जिससे वह किसान बेदखल नहीं किया जा सकेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे माननीय मन्त्री इसको स्वीकार करेंगे और इसको स्वीकार करने से पहले की पाँच साल की जमीनें भी रियासतों में जो वापिस करने की बात पैदा हो सकती थी वह वापिस नहीं कर सकेंगे, इसलिए यह संशोधन मैंने पेश किया है।

और दूसरा जो संशोधन है वह सब क्लॉज़ (७) ओरिजिनल एक्ट की धारा १६ और मौजूदा एक्ट की धारा १३ के बारे में है। ओरिजिनल एक्ट की सब क्लॉज़ (७) को तो ओमिट कर दिया जावे और इस अमेंडेड एक्ट की धारा में उस उपधारा से सम्बन्धित भाग को ड्रोप कर दिया जावे यानि इन दोनों धाराओं को इस कानून में न रक्खा जावे।

ऐसा करने का मेरा मतलब यह है कि हम यह मानकर चलें और पन्तजी ने भी अपनी अवार्ड में यही कहा है कि किसी भी किसान को बेदखल नहीं किया जावे। इसलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है। टीनेन्सी एक्ट में जो सब टीनेन्ट हैं उनको भी हम खातेदारी राइट्स की एन्क्वायरी करने के लिए मौका देते हैं। तो ऐसी सूरत में जब हम किसी भी प्रकार के किसान को बेदखल करने नहीं आ रहे हैं और ऐसा आश्वासन समय-समय पर सदन के फ्लोर पर हमारे माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने दिए हैं तो उन आश्वासनों का ध्यान रखते हुए और ऐसे झगड़े-टंटे पैदा करने वाले खुदकाश्त के मामलों में वृद्धि न हो इसलिए भी यह जरूरी है कि मैंने यह जो संशोधन पेश किया है कि यह ड्राप कर दिया जावे और इसके बाद में यह क्लॉज पेश किया जावे, सदन स्वीकार कर ले। ये दोनों संशोधन मैंने इस आशा से पेश किए हैं कि इन दोनों संशोधनों को मन्त्रीजी विचार करके ध्यान में लावेंगे और इनको मन्जूर करते हुए मेरे क्लॉज को पास करेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूँसिंह।

श्री भैरूँसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरे पास इनकी (संशोधन की) नकल नहीं है। दे दिया जावे तो अच्छा हो।

(श्री अध्यक्ष ने एक प्रति देने की आज्ञा प्रदान की)

श्री अध्यक्ष—और भी आगे के संशोधनों की भी नकल नहीं हो तो पहले से ले लीजिए।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—**Clause 13, sub-clause (1)**—

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

"[a] Delete the words 'for a continuous period of five years' occurring in the second line of sub-clause (iii) sought to be substituted in the Principal Act.

[b] Sub-clause (iii). Delete sub-clause (iii) and substitute the following in its place :—

'[iii] Insert the words 'cultivated or' between the words 'any' and 'culturable' occurring in clause 7 of sub-section 1 of section 19 of the Principal Act.

[c] Sub-clause [iv]. The following clauses be inserted after clause [ix] sought to be inserted in sub-section [1] of section 19 of the Principal Act.

'[x] Land cultivated personally by the deceased fathers or husbands of minor or widows respectively before their deaths, unless the tenants had since improved such land or paid for such acquisition of khatedari rights therein, or been in possession of the land for a period which is not less than seven years.

[xi] Land attached to wells constructed wholly at the expense of a Jagirdar or given to tenants by a Jagirdar after he had got such wells by escheat or surrender or abandonment to the extent of one-third of such land, together with an equal share in wells provided that the duration of the tenants possession is of less than seven years.

[xii] Land attached to wells constructed at the monetary expense of Jagirdars with the tenants manual labour to the extent of one-fourth of such land together with an equal share in wells provided that the possession of such tenant has been of less than seven years duration.

[xiii] Land abondoned by tenants who had migrated to Pakistan subject to such conditions as may be arranged with the Custodian of Evacuee Property under the law.

[xiv] Any culturable or cultivated land held by any Jagirdar in excess of the area prescribed by the Committee appointed by the Government for prescribing a ceiling on holdings.

[xv] So far as possible the implementation of clauses (xi) and (xii) will be on the basis of cooperative farming in the manner prescribed."

[श्री भैरोंसिंह (दांत रामगढ़)]

माननीय अध्यक्ष महोदय, जागीर रिज़म्पशन के बाद और जब से इस विषय में क्षत्रिय महासभा और राजस्थान सरकार के बीच किसी भी समय बातचीत हुई हो तो उस वक्त इस सारे बिल का या इस सारे कानून का मुख्य अंग रखा गया है 'खुदकाश्त'। राजस्थान क्षत्रिय महासभा ने राजस्थान सरकार से बातचीत की तो उस बातचीत का प्रमुख अंग यही रहा है कि राजस्थान की 'खुदकाश्त' की समस्या किस प्रकार से हल की जाय। राजस्थान सरकार ने भी इस समस्या को गंभीर समस्या समझ कर इसके ऊपर विचार करने में पूरी सहानुभूति दिखाई और उस सहानुभूति की प्रेरणा से राजस्थान सरकार ने एक कमेटी भी एप्वॉइन्ट की थी, जिस कमेटी के अन्दर राजस्थान में में राजस्व के मामलों में, जो अपने आपको विशेषज्ञ मानते हैं या कहे जाते हैं, उन लोगों को सरकार ने उस कमेटी का मेम्बर नियुक्त किया था। उसके बाद उस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई उस वक्त से लेकर अब तक जितना भी प्रयत्न किया गया उससे यह खुदकाश्त की समस्या कुछ अंश में जरूर सुलझी है, लेकिन राजस्थान में अभी भी यह नहीं सुलझाई जा सकी है। यह समस्या बिल्कुल दूर हो गई हो आज, ऐसी बात नहीं है। आज जितना इस कानून के अनुसार चाहे प्रिन्सिपल एक्ट हो या जो संशोधन के रूप में यह बिल आया है इन दोनों को हम देखते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है कि खुदकाश्त की समस्या, जो कि जिस तरह की जहां पर थी अब भी यह समस्या विद्यमान है। कोशिश इस बात की जरूर की गई लेकिन इस कोशिश में अड़चन सामने आई है। जो काश्तकार जागीरदारों की जमीनों पर काबिज हैं, किसी न किसी तरह उनको भी बेदखल नहीं किया जाय। ऐसा तरीका अख्त्यार किया जाय कि जिस तरीके से जो काश्तकार जमीन पर काबिज हैं वे काबिज रहें और यह खुदकाश्त की समस्या भी न रहे। इन्हीं सारे दृष्टिकोणों को सामने रखकर राजस्थान क्षत्रिय महासभा ने प्रयत्न किया और थोड़ा बहुत सरकार ने भी उस पर विचार करने का प्रयत्न किया, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि दोनों मूलभूत सिद्धान्त से दूर चले गये जिसके आधार पर की सारी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। राजस्थान में खुदकाश्त के दो, तीन स्टेप्स रखे हैं, खुदकाश्त देने के लिए। एक तो, यदि काश्तकार कोई जमीन छोड़कर चला जाय उसके बाद में जमीन पर मालिक हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इस कानून के बाद में काश्तकार जमीन छोड़ देगा और सरेन्डर या एबनडन की हुई जमीन पर जागीरदार का कब्जा हो जायगा। यदि वह सरेन्डर कर देता हैं या इस प्रकार से जमीन को छोड़ देता है तो जमीन पर खुदकाश्त के रूप में जागीरदार कब्जा कर सकता है। इन दोनों के अलावा और भी चीजें हैं। तीसरी चीज यह है कि जो जमीन सन ४८ से किसी जमीन पर काबिज है, जो पांच साल से काश्त करते आये हैं उस जमीन को जागीरदार को खुदकाश्त के रूप में कब्जा करा दिया जायगा। लेकिन, माननीय अध्यक्ष यह रेकार्ड आज बड़े-बड़े जागीरदारों के यहां मिल सकता है कि ४८ से पहले कितने साल या कितने दिन इस जमीन पर काश्त किसने की और किसने लगान दिया और किसने लगान लिया तथा उस जमीन पर किस प्रकार का डेवलपमेंट का वर्क किया। इस प्रकार का रेकॉर्ड केवल बड़े-बड़े जागीरदारों के पास मिल सकता है, लेकिन जिनके सामने खुदकाश्त की समस्या है उनकी हालत यदि देखेंगे तो स्पष्ट मालूम होगा कि उनके पास रेकॉर्ड जैसी कोई चीज नहीं है। तो, वे सब के सब बेदखल हो जायेंगे हालांकि वे ५ साल से लगातार काश्त करते आ रहे हैं; इस चीज को साबित करना मुश्किल है। इनके पास कोई

[श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)]

रेकार्ड नहीं है। उस वक्त सेटलमेंट का वर्क भी ऐसा नहीं था। मैं यह निवेदन करूंगा कि खास तौर से चार डिस्टिक्टस; जैसे नागौर, सीकर, झुन्झुनू और जयपुर में आमेर तहसील और -बराठ तहसील के बारे में कि इन चार-पांच जगहों पर खास तौर से यह समस्या है, और जगह यह विशेष रूप से नहीं है। इन जगहों के अन्दर हम मानते हैं कि सेटलमेंट का काम सन् ४८ के बाद से शुरु हुआ है। सन् ४८ से पहले कोई किसी किस्म का रेकार्ड नहीं था रेवेन्यु रेकॉर्ड का इन्दराज नहीं हुआ था और सेटिलमेंट में कोई प्रकार का इन्दराज नहीं हुआ था। तो विटनेस के रूप में किसी डॉक्युमेंट के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि सन् ४८ से पहले से यह उस जमीन पर काश्त कर रहा था या नहीं। इसको इस प्रकार से साबित नहीं कर सकते हैं। तो एक महज दलील रहती है कि मौलिक शहादत पेश की जाय। तो वह शहादत पेश की जा सकती है, लेकिन सामने का आदमी पांच के मुकाबिले में १० आदमी पेश कर सकता है। तो दोनों के सामने इस प्रकार की अड़चनें पैदा हो जाती हैं कि किस शहादत का इत्मिनान किया जाय और फैसला किस शहादत के आधार पर किया जाय। इससे अच्छा तो यह हो कि इस क्लॉज़ को ही डिलीट कर दिया जाय। मैं यह समझता हूँ कि खुदकाशत की जमीन किस को मिले या नहीं लेकिन एक माननीय मित्र का इस प्रकार का जवाब होता है कि पांच साल से पहले के सब किसानों को बेदखल कर दिया गया है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि ५ साल से पहले किसी एक व्यक्ति को भी किसी प्रकार की जमीन नहीं मिलेगी। बड़े-बड़े जागीरदारों के यहां कामदार रहते थे, मुसद्दी भी रहते थे जो रात दिन ठिकाने का रेकार्ड मुरत्तिब किया करते थे। वे डॉक्युमेन्टरी प्रूफ पेश कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे जागीरदार हैं वे खुद ही जागीरदार थे, खुद ही कामदार थे, खुद ही सहना थे, खुद ही चपरासी थे। उन लोगों के पास रेकॉर्ड नहीं है। इसलिए पांच साल की चीज सारी की सारी समाप्त हो जाय। इस प्रकार से लोगों को बताने के लिए, लोगों में भ्रान्ति पैदा करने के लिए इस प्रकार से क्लॉज़ रखते हैं, तो उस क्लॉज़ से भ्रान्ति का निर्माण करना चाहते हैं कि चाहे काश्तकार हो या जागीरदार, पांच साल से पहले से जिसने काश्त की है उस पर कब्जा माना जायगा। ज्यादातर खुदकाश्त से फायदा उठाने का, उनको एक्सप्लोयट करने का मौका मिलेगा। वास्तव में यह जो उन्होंने जाहिर किया है वह उस तरह से नहीं होने वाला है। पांच साल की अवधि के कारण किसी भी एक व्यक्ति को जमीन नहीं मिलेगी, ऐसा मानता हूँ। इसलिए इस क्लॉज़ को बिल्कुल डिलीट कर दें तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है।

दूसरा जो संशोधन था कि जिन कूओं के अन्दर जागीरदारों ने अपना पूरा खर्चा देकर उनको बनाया है उन कूओं पर जागीरदारों का हक होना चाहिये। इस सिद्धान्त से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि लेन्ड डेवेलपमेंट में जितना रुपया इन्वेस्ट किया जाय उतना ही अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बाद में यह सरकार की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि जो कुछ भी जागीरदारों ने जिस प्रकार से इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट का सेफगार्ड करे।

हम इस बात को लें कि २५ साल पहले एक कूआ बनाया। २० साल पहले कूआ बनाया; तो हमारे सामने एक दलील आती है कि जिस वक्त कूआ बना, कूआ बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

सो तब से अब तक लगान भी वसूल किया गया। उस लगान के रूप में इन्वेस्टमेंट का सारा फायदा उठा लिया गया। लेकिन जैसी कि इसमें अवधि निर्धारित की है तो सात साल पहले एक कुआ बनायां जागीरदार ने अपने पूरे खर्चे से अपनी मेहनत से, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का वह कुछ फायदा नहीं उठा सका क्योंकि सन् ४८ में चोथे बाँटे का कानून पास हुआ और सन ५१ में दुबारा छठे बाँटे का कानून पास हुआ और उसके बाद में सेटलमेंट के परचे मिल गए। उसकी वास्तविक स्थिति को देखिये कि पहले १/४ लगान दिया, उसके बाद १/६ से लगान दिया और फिर सेटलमेन्ट के परचे इश्यू हुए। इस प्रकार तीन केटेगॉरीज़ लगान वसूल करने की हुई है और इस बिल के बाद तो लगान कुछ भी नहीं मिलेगा। यह मैं मानता हूँ कि काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए इस प्रकार के कानून आवश्यक हैं, उनको फेसिलिटीज़ के आधार पर सेटलमेंट परचे तब्दील किये जाने चाहिये। यह सारी की सारी काश्तकारों को राहत देने की चीज है, लेकिन इतने समय से जिन्होंने जमीनों पर इन्वेस्टमेंट किया है, जमीन की आमदनी बढ़ाने के लिए डेवेलपमेंट पर खर्चा किया है, उन लोगों को निराश्रित नहीं होना पड़े इसलिए जो कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है उसका उन लोगों को पूरा फायदा मिल जायगा या नहीं। मेरा दृष्टिकोण है कि सात साल की अवधि में जिसने कुए बनाये, जिसने ४ साल पहले या पाँच साल पहले कुए बनाए तो राजस्थान में एक कुआ बनाने में ३ हजार का कम से कम खर्चा होता है। तो जिस व्यक्ति ने एक कुआ बनाने में ३ हजार रुपये खर्च किये तो सन् ४८ से ५४ तक का घाटा लगा लिया जाय। सन् ४६ में १/४ और ५१ में १/६ से जोड़ लीजिए और फिर पूरा खर्चा तकसीम करने के बाद, सारा लगान वसूल करने के बाद उसको ३ हजार रुपये मिलते हैं या नहीं, यह देख लीजिये। यदि इसका मेथामेटिकल केल्कुलेशन किया जाय तो मालूम होगा कि यदि किसान सात साल तक बराबर लगान दे रहा है और जितनी लगान उसने दी है वह कुल मिलाकर वह रकम कम है बनिस्पत उसके कि जो कुआ बनाने में खर्च की गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सात साल की अवधि तक उस जमीन पर उस जागीरदार का भी किसी न किसी तरह कब्जा रखा जाय। यह हो सकता है कि उसका आधा हिस्सा काश्तकार का हो और आधा उस जागीरदार का हो। इससे यह नहीं होगा कि काश्तकार को बेदखल किया जाय और न जागीरदार को ही कुछ मिले। दोनों का उस पर कब्जा रहे, जमीन और कुआ दोनों में दोनों का आधा आधा हिस्सा रहे।

दूसरा संशोधन मेरा यह है कि यदि जागीरदार ने रुपये खर्च किये हैं और काश्तकार ने मेहनत-मजदूरी की है तो दोनों ही का उस पर हक होना चाहिये। एक ने इन्वेस्टमेंट किया है और उसको लगान मिल रहा था। उस इन्वेस्टमेंट के बदले में तो ७ साल तक उसको इन्वेस्टमेंट का फल मिलना चाहिये। यह देखना होगा कि उसको सात साल तक फायदा मिला है या नहीं। मैं समझता हूँ कि नहीं मिला है तो ऐसी सूरत में जमीन पर जागीरदार का १/३ हिस्सा होना चाहिये और कुए पर आधा हिस्सा होना चाहिये, यह मेरा दूसरा संशोधन है।

मेरा तीसरा संशोधन यह है कि आज के जमाने में कई लोग अपनी अपनी जमीन छोड़कर पाकिस्तान चले गये हैं और उनके जाने के बाद जो जमीन पड़त पड़ी है वह जमीन उन लोगों को दी जानी चाहिये जिनके पास खुदकाश्त की जमीन नहीं है। ऐसी जमीन या तो यों ही पड़ी है या कस्टो-

[श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)]

डियन ने टेम्पोरेरी तौर पर या परमानेन्ट तौर पर दे दी है। उस जमीन को तकसीम करने के लिए उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाय जिनके पास जमीन नहीं है और जो बेरोजगार हो गए हैं और जिनको भुखमरी का सामना करना पडेगा । जिन लोगो को पाकिस्तान जाने वालों की जमीनें दी गई है उनसे यह शर्त लिखाई गई है कि उनका उस जमीन पर कोई काश्तकाराना कब्जा नहीं रहेगा और जिस वक्त भी चाहेंगे कस्टोडियन उनको उस जमीन पर से हटा सकेंगे। मेरा निवेदन यह है कि उन लोगों की तरफ तवज्जोह दी जाय जिनके पास काश्त को जमीन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि दो-तीन डिस्ट्रिक्टस में ठीक तरह से इस समस्या का हल हो सकता है ।

मेरा जो चौथा संशोधन है वह यह है कि इस क्लॉज़ के मूल एक्ट में यह बात रखी थी कि किसी भी कल्चरेबल अनओक्युपाइड लैंड (Culturable unocoupied land) पर खुदकाश्त के लिए जमींदार चाहे तो कब्जा कर सकता है, यदि वह किसी खातेदार को नहीं अलॉट की गई हो, लेकिन संशोधित बिल में इस बात को बदल दिया है। इसके अलावा उस एक्ट में यह भी बात दर्ज थी कि यदि किसी काश्तकार के पास ज्यादा जमीन है तो प्रेस्काइब्ड प्रोपोर्शन में हो तो उनसे भी ली जा सकती है। यदि किसी जागीरदार के पास भी ज्यादा जमीन है, जो सीलिंग से ज्यादा है तो उसके लिए भी एक्ट में प्रोविजन होना चाहिए कि उस जमीन को काटकर उन लोगों को तकसीम की जाय जिनके पास खुदकाश्त की जमीन नहीं है। जिन लोगों के पास सीलिंग से ज्यादा जमीन रहेगी तो उसमें से अधिक जमीन काट लेनी चाहिए । इससे छोटे छोटे जागीरदारों के खुदकाश्त की जो समस्या है उसका बड़ा हल हो सकता है । यदि इस प्रकार से समस्या का हल करने में सहयोग दिया गया तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि जिन गाँवों के आस-पास ऐसी जमीन है उन गाँवों के रहने वाले छुट भाई, भोमिया, छोटे जागीरदार आदि में वह जमीन तकसीम कर दी जाय तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

काश्तकारों को बेदखल नहीं किया जाय। इसके लिए हम यह मानकर चलते हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग की स्कीम इन्ट्रोड्यूस की जाय और इसके लिए हम तैयार हैं। इसके जरिये से हमने यह माना है कि केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे भारत में जो जमीन की कमी है उसको कुशलता से हल किया जा सकता है, कोऑपरेटिव बेसिस पर खेती की स्कीम चालू की जाय और जिनके पास जमीन नहीं है वे मेहनत मजदूरी के रूप में हिस्सेदार हो सकते हैं । मेरा जो कूओं के मुतल्लिक संशोधन था उसके अनुसार काश्तकारों को कूओं से बेदखल करने की आवश्यकता नहीं है। जागीरदारों को कोऑपरेटिव बेसिस पर हिस्सेदार बनाया जाय तो दोनों ही की समस्या हल हो सकती है और जो कटुता काश्तकारों और जागीरदारों के बीच किसी कदर पैदा हो गई है तो वह भी दूर हो सकती है और दोनों ही शान्ति से साथ-साथ रह सकते हैं और दोनों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति सद्भावना में परिणत हो जायगा और उसका बुरा असर नहीं होगा। यह चीज सिद्धान्त से भी ठीक है। किसी आदमी को जमीन से बेदखल नहीं करें तो यह भी सिद्धान्त होना चाहिये कि किसी की रोजी नहीं छीनें या उसको बेरोजगार नहीं करें । यदि कोऑपरेटिव फार्मिंग से काम शुरू हुआ तो दोनों का जीवन-निर्वाह

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मन्त्रीजी मेरे संशोधनों पर गंभीरता से विचार कर फिर उन पर निर्णय देंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर मेरा छोटा सा जो अमेन्डमेन्ट है वह इस प्रकार है—

"In sub clause IX of this clause after 'pasture land' and before 'for the villages surrounding it' insert the following :—

'Or as land sets apart for the Collection of drinking water in any tank.'".

ये शब्द लगाने चाहिये। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि खुदकाश्त की समस्या का हल करने के लिये सरकार ने जो केटेगरीज़ रखी हैं उनमें ऐसा रखा है कि कल्चरेबल अनअॉकुपाइड लैंड उनको दी जाय, खुदकाश्त की समस्या से पहले बहुत सी नाड़ी, तालाब आदि के जो पायतन हैं जिनमें से पानी आता है उन पर जागीरदारों ने कब्जा कर रखा है और उनमें खेती करना शुरू कर दिया है जिससे तालाब नाड़ी आदि में पानी आना कम हो गया है। खासकर जोधपुर और बीकानेर, दोनों डिविजनों में बरसात की मौसम में पानी पीने का साधन केवल तालाब होते हैं क्योंकि कुओं का पानी लोग नहीं पीते हैं। जोधपुर डिविजन की नागौर डिस्ट्रिक्ट का तो बहुत सा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर कूए हैं ही नहीं और तालाबों ही से काम चलाया जाता है। यदि कल्टिवेब्ल अनऑक्युपाइड लैंड (Cultivable unoccupied land) खुदकाश्त में दी जायगी तो तालाबों में पानी आना बन्द हो जायगा और आदमियों और पशुओं के पीने का पानी का प्रबन्ध नहीं रहेगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री जवानसिंह—मैं, अभी जो संशोधन (अ) प्रस्तुत किया गया है, उसके विरोध में दो शब्द प्रस्तुत करना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष—आप अपना संशोधन पेश करेंगे या विरोध करेंगे ?

श्री जवानसिंह—मेरा संशोधन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, आप विरोध में बोलिये।

श्री जवानसिंह—मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन का ध्यान राजस्व मन्त्रीजी के उस कथन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जहाँ उन्होंने कहा था कि हमें इस समस्या को इस रूप में सुलझाना है कि जागीरदारों को जागीर उन्मूलन होने के पश्चात् इस तरह से बसाया जाय कि वे अच्छे नागरिक बनें और राजस्थान के लिये व देश के लिये ऐसी समस्या खड़ी न हो जाय जिससे कि किसी तरह की अशान्ति खड़ी हो। मैं उनके उस कथन का समर्थन करता हूँ और साथ ही साथ

[श्री जवानसिंह]

यह भी निवेदन करता हूँ कि इस वक्त जब हमारे सामने जागीरदारों के जीवन-निर्वाह के लिये खुद-काश्त की जमीन देने का सवाल है तो हमें दो चीजों को ध्यान में रखना है।

पहली चीज यह कि जागीरदारों को अपनी जागीर की जमीन पर अब तक मालिकाना हक रहा है और इसके पश्चात्, जागीर उन्मूलन होने के बाद में उनकी स्थिति साधारण नागरिक के समान रह जायगी। इससे पहले कि जागीरों का उन्मूलन हो उनके मालिकाना हक को भूल नहीं जाना है। जागीरदारी आज मौजूद है और उनके मुकाबिले में उन काश्तकारों का खयाल करना है जिनकी जमीनें लेकर जागीरदारों को देने का सवाल है। अब इन दोनों पहलुओं को साथ में देखना है और यह खयाल करना है कि दोनों में से किसका ज्यादा हक जमीन पर किनका है जिससे कि खुदकाश्त के तहत में जागीरदारों को भूमि देने का मसला हल हो सके। दोनों का समान हक मान लिया जाय तो आपकी दलील को मान लेते हैं कि ठीक है। लेकिन काश्तकार की स्थिति और प्रकार की है। एक जागीरदार का जमीन पर मालिकाना हक है और उस जमीन पर काश्तकार का काश्त करने का हक है। तो इस प्रकार काश्तकार का दर्जा जागीरदार से मालिकाना हक के लिहाज से और भी नीचा हो जाता है कि उस जमीन पर उसका पूरा हक नहीं है, खातेदारी का हक नहीं है। इस सूरत में काश्तकार की स्थिति और भी नीची हो जाती है।

माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उसमें इस भावना को नहीं रखा है, काश्तकार से जमीन नहीं लेने का रखा है; जिस जमीन पर कि किसान का खातेदारी का हक नहीं है।

इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो इस क्लॉज़ की सारी मंशा ही मारी जाती है। फिर इस क्लॉज़ को रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसलिये मैं, माननीय अध्यक्ष, सदन से निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधन पेश किया गया है इससे किसी को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने वाली है। इस क्लॉज़ का विघटन करने के लिये यह संशोधन पेश किया गया है जिसको बखूबी गंभीरतापूर्वक हम सोच रहे हैं और फिर यह तय करना है कि आया उस काश्तकार से जमीन छुड़ा कर जागीरदार को देना है या नहीं।

इस संशोधन के साथ-साथ दूसरा अमेन्डमेंट सब क्लॉज़ (७) को डिलीट करने के लिये किया गया है। सब क्लॉज़ (७) में उस भूमि को देने का सवाल है जिसमें कि काश्त हो सकती है, जो खेती के काबिल जमीन है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन माननीय सदस्य ने यह संशोधन जब प्रस्तुत किया था तो उस समय उनके दिमाग में क्या ख्याल था? क्या यह ख्याल था कि जागीरदारों को बसाने से लिये जमीन ही आधार है? अगर यह ख्याल था तो कम से कम जीवन-निर्वाह के योग्य जमीन तो जागीरदारों को देनी ही चाहिये। जागीरदारों को जीवन-निर्वाह के योग्य जमीन भी नहीं मिले, कम से कम यह तो, वे नहीं चाहते होंगे। तो फिर इस संशोधन को पेश करने में उनका क्या खयाल था?

[श्री जवानसिंह]

जो रूल्स बनाने हैं इसमें एक के बाद दूसरे को देखना जरूरी हो जाता है । ऊपर के दर्जे की जमीन जागीरदार को दी जाती है तो नीचे की जमीन देने का सवाल नहीं आता है । जिसमें खेती हो सकती है उस जमीन को भी अगर जागीरदार को नहीं देना चाहते तो आखिर उनकी मन्शा क्या है, किस तरह वे जागीरदारों की हालत को सुधारना चाहते हैं ?

इस सवाल को हमें इस दृष्टि से देखना है कि राजस्थान के लिये इस समस्या को सुलझाना है । किसी वर्ग विशेष की तरफ से दलील पेश करने वे यहाँ नहीं आये होंगे । राजस्थान की इस समस्या को हमें सुलझाना है ताकि जागीरदार भी ठीक दूसरे काश्तकारों की हैसियत का जीवन व्यतीत कर सकें।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सदन इन दोनों संशोधनों को, जो कि बाद में पेश किये गये हैं स्वीकार नहीं करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ । इन दोनों संशोधनों को अस्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—(श्री एच० के० व्यास के खड़े होने पर) sub Clause (vii) ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप इजाजत देंगे तो ।

श्री अध्यक्ष—Provided you do not insist on the right of reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I would forgo the right of reply and move my amendment."

श्री अध्यक्ष—And be brief.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मेरा इस क्लॉज में एक बहुत छोटा-सा अमेंडमेंट है और वह यह है कि :

"Delete the proposed and original (iii) altogether."

और पार्ट (३) में मेरा अमेंडमेंट यह है :

„Delete the original as well as the proposed clause (vii) and renumber (viii) as (vii).

इस प्रकार यह भी है :

"In the proposed clause (viii), line four, delete the words 'concessional'; in line five, delete the words 'as may be prescribed' and

Page No.83

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

substitute in their place the following :—'as are laid down for allotment of such land to the other applicants.'

और आखिरी मेरा अमेंडमेंट है : "Delete the proposed clause (ix)"

मेरे इस अमेंडमेन्ट के सिलसिले में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता इसलिये नहीं है कि और भी अमेंडमेंट प्रस्तुत किये जा चुके हैं उनमें कुछ हद तक मेरे अमेंडमेंट के पोइन्ट कवर हो गये हैं। मैं विशेषकर उस अमेंडमेंट के बारे में जो (ह) (८) में मैंने रखा है, कहूंगा। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें किसी वर्ग विशेष का खयाल नहीं करना है, इसका समर्थन करना चाहता हूँ और मैंने जो अमेंडमेंट रखा है उससे बगैर किसी एम्बीग्विटी के यह प्रश्न हल हो जाता है।

अगर हम जागीरदारों को जमीन देना चाहते हैं तो जैसा कि राजस्व मन्त्रीजी ने कहा था कि किसी से जमीन छीन कर किसी को नहीं देना चाहिये; सन् १९४८-४९ से १९५४ तक लगातार ५ साल का जो कब्जा काश्तकार का जमीन पर है उसको छुड़ा कर जागीरदार को देने की बात इसमें रखी गई है। सन् १९५४ में यह एक्ट पास कर रहे हैं और लगभग ६ महीने बाद इसका निर्णय होने वाला है। ४८-४९ के पहले के ५ वर्ष और ४८-४९ के बाद के ५ वर्ष; इस तरह १० वर्ष का अर्सा गुजर जाता है और इस अर्से के रेकर्ड कैसे हैं इसके बारे में प्रत्येक माननीय सदस्य को जानकारी है। इस अर्से में जो रेकर्ड हैं उनमें जो जागीरदारों के नाम कब्जा दर्ज किया गया है, वह बगैर किसी सबूत के किया गया है। अगर इस बात को मान लिया जाय तो इसका नतीजा यह होगा कि जागीरदारों को खुदकाश्त के नाम पर जमीन देने के नाम से ५-५ साल पहले से काश्त करते आये हुए किसानों को बेदखल कर दिया जायगा। इस प्रकार काश्तकारों से जमीन छुड़ा कर जागीरदारों को उनके खुदकाश्त के लिये देने का तात्पर्य यह होगा कि बेदखलियों के धड़ाधड़ नोटिस इश्यू होंगे। पंजाब में जो टिनेन्सी का कायदा पास हुआ है उसमें भी इसी प्रकार का क्लॉज़ रखा गया था, उसमें जो ओक्युपायर्स के अधिकार थे उनको दिलाने और बाकी लोग जिनको लीज़ पर जमीन दी हुई थी या किसी प्रकार से निश्चित समय के लिये जमीन दी हुई थी उनके अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया और सारे अधिकार जागीरदारों को दे दिये हैं; नोटिस देकर ट्रेसपास कर दें। मेरा खयाल है कि पिछले ६ महीनों में वहाँ की जो हालत गुजरी उससे कोई भी आदमी अनभिज्ञ नहीं होगा। जब दो महीनों में १० लाख एप्लीकेशन्स इजेक्टमेंट की आई और कायदा पास करने के बावजूद भी सरकार को एक दूसरा ऑर्डिनेन्स शाया करना पड़ा और कलेक्टरों को यह हिदायत करनी पड़ी कि इन एप्लीकेशन्स को किसी तरह से आपस में बात-चीत करके सुलझाओ। उनके आदेशानुसार कलेक्टरों ने ९० प्रतिशत से ज्यादा अर्जियों को आपसी समझौते द्वारा हल कराया। वह हालत तो पंजाब की अनजानी हुई है मगर अपन (हम) तो इस बात को जानते हैं। वहाँ की हालत को देखते हुए जिस प्रकार दस लाख अर्जियें वहाँ पर आई उसी प्रकार लाखों की तादाद में अर्जियाँ यहाँ पर भी आवेंगी और बड़ी भारी विकट समस्या हमारे सामने खड़ी हो जावेगी। श्री नाथूरामजी ने जो अमेंडमेंट

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रखा है उससे भी कुछ हद तक मेरा यह एमेंडमेंट आगे जाता है। उन्होंने यह बताया है कि १९४८-४९ से पहले किसानों का कब्जा था या नहीं, मगर मेरे इसमें इस सिलसिले में कब्जे की बात नहीं है।

दूसरा पार्ट (७) से ताल्लुक रखता है :

"(vii) any cultivated or culturable land held by a tenant of the jagir land other than a khatedar tenant..." अब इस सिलसिले में एक विशेष गौर करने की बात यह है माननीय अध्यक्ष, कि जो जो टीनेन्सी एक्ट जहाँ जहाँ पर पास हुए हैं; हमारे यहाँ चाहे मारवाड़ में, चाहे जयपुर में लेन्ड टेन्योर एक्ट पास हुए हैं किसी की भी मंशा यह नहीं थी कि जो शख्स जमीन पर काबिज हैं उनसे जमीन छीन ली जावे। क्या जोधपुर टीनेन्सी एक्ट और क्या लेन्ड टेन्योर एक्ट, जयपुर ने, जो काश्तकार जमीन पर उस समय काबिज थे उनको जमीन का अधिकार दे दिया। मारवाड़ में १ अप्रेल, १९४९ में जो व्यक्ति जमीन पर काबिज था उसको खातेदारी हकूक दे दिया गया मगर कानून में यह दर्ज नहीं था कि जो उस तारीख के बाद जमीन पर खेती करता था, उसका क्या होगा, उसकी खातेदारी कैसे होगी, बाद में काश्त करने वालों को खातेदारी के हकूक कैसे मिलेंगे? नतीजा यह हुआ कि पिछले ५-६ वर्षों से यह मामला चलता रहा और अभी राजस्थान सरकार ने एक एमेन्डमेन्ट पास करके उसकी सफाई की है। मैं यह कहूँगा कि सैकड़ों और लाखों आदमी ऐसे होंगे जो उस समय के बाद से खेती करने लगे हैं और उस समय में कानून की खामी की वजह से खातेदारी हकूक में उनको वह जमीन नहीं मिली। पहले १ अप्रेल, १९४९ में जो काश्त कर रहे थे उनको खातेदारी के अधिकार दिये गये और उसके ५ दिन बाद यादि ५ अप्रेल सन् १९४९ में जिसने काश्त करना शुरू किया उसको खातेदारी हकूक नहीं मिलेंगे क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन बाद में उसको गैर खातेदारी में रखा गया। मगर इस सबकी रक्षा आर. पी. टी. ओ. ने की। अब नये कानून बनाये जा रहे हैं जिससे उसकी जमीन को, जिस पर वे काश्त कर रहे हैं, मानकर उनको खातेदारी का मौका दे दे। जब आप १ अप्रेल, १९४९ में खेती करने वालों को खातेदारी के हकूक देते हैं तो उन लोगों को जो १९४९ से आज तक काश्त करते आए हैं और काश्त करते-करते उन ५ साल का अर्सा हो गया है अगर राजस्थान सरकार उनकी काश्त को रिकोगनाइज़ (recogniise) नहीं करती है तो यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा और लाखों की तादाद में लोगों को बेदखल होना पड़ेगा।

इसी प्रकार भाग ९ है और मैं समझता हूँ कि वह भी बहुत खतरनाक है, ऐसा मैं प्रस्तावित करूँगा। मेरे माननीय मित्र इस पर गौर फरमावें। इसमें यह लिखा है।

"(ix) any culturable unoccupied land, other than jagir land, which in the opinion of the Collector is not required as pasture land for the villages surrounding it." इस सिलसिले में अभी जो कानून है उसमें यह बात है कि जितनी भी गोचर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आदि के लिये जमीनें हैं उनको नोटिफिकेशन के जरिये शाया होना चाहिये और जहाँ पर जितनी जमीन गोचर आदि के लिये छोड़नी हो तो उस जमीन के लिये कलेक्टर बाकायदा नोटिस निकाल दे। यदि किसी जमीन के बारे में इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं निकाला गया है तो वह जमीन कानून की रक्षा के अनुसार गोचर की भूमि नहीं मानी जावेगी। अब कोई भी पड़तल जमीन पड़ी होगी या गोचर की जमीन पड़ी होगी, अगर उस जमीन के सम्बन्ध में कोई नोटिस कलेक्टर द्वारा नहीं निकाला गया हो तो उसके लिये यह एक टेक्नीकल डिफिकल्टी होगी कि अभी तक उस जमीन को पहले कलेक्टर ने कानून के अनुसार गोचर आदि की भूमि का नोटिस नहीं निकाला था, अब वह गोचर की भूमि नहीं रह सकती और वह किसी दूसरे को दे दी जावेगी।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस पर किस-किस का हक है, जिसका हक हो उसको दी जावे। इसके लिये पहले यह तय करना होगा कि किसका हक है और यह जमीन किसको दी जानी चाहिये। सब से पहले उस जमीन पर गाँव वालों का हक है और वह जमीन गाँव वालों को दी जानी चाहिये, चाहे उनको वह जमीन गोचर के लिये जरूरत हो और चाहे किसी दूसरे काम के लिये। मगर पहला हक उन गाँव वालों का है। उसके बाद दोयम नम्बर उस व्यक्ति का होना चाहिये जिनके पास जमीन नहीं है। यदि इस प्रकार की प्रायोरटी नहीं रहेगी और जो भी खाली जमीन मिले उसको खुदकाश्त के रूप में दे दी तो उसका नतीजा यह होगा कि आगे चल कर अच्छी से अच्छी जमीन जागीरदारों के पास खुदकाश्त में चली जावेगी और इस प्रकार के कानून पास करने के साथ-साथ आपको एक बहुत बड़ी दिक्कत आवेगी, जो यह कि ३-४ महीनों में लाखों की तादाद में इजेक्टमेन्ट की अर्जियें आवेंगी और इसका असर राजस्थान के सारे के सारे ढाँचे पर पड़ेगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसलिये क्लॉज़ १३ में अमेन्डमेंट ९२ ए का मैं समर्थन तो करता ही हूँ मगर इसके साथ-साथ मैंने जो अमेन्डमेंट रखा है, जो नया और बहुत जरूरी है यदि उस पर गौर करके उसे स्वीकार किया जावेगा तो बहुत फायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना अमेन्डमेंट प्रस्तुत करता हूँ।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं श्री भैरोंसिंहजी के एमेंडमेंट का सपोर्ट करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष, श्री भैरूँसिंहजी ने section 19 of the Original Act or clause 13 of the Amendment Bill पर जो एमेन्डमेंट रखा है उसमें सब क्लॉज़ के सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इसमें यह है : "(vii) Any culturable land held by a tenant of the jagir land in excess of the prescribed area or where no such land is available, land taken from the tenants of the jagir land in such proportion or such manner as may be prescribed".

श्री अध्यक्ष—You press the point please ?

श्री खेतसिंह—मैं इस पोइन्ट को इसलिये सपोर्ट करता हूँ कि यह तो सरकार की शुरू से पोलिसी रही है कि वह किसी को बेदखल करना नहीं चाहती। लेकिन अगर किसी के पास एक्सेस जमीन हो, किसी जागीरदार के पास २००० बीघा जमीन हो तो सीलिंग के अनुसार वह जमीन उन लोगों को दी जावे जिनके पास जमीन नहीं हो। उनकी वह ज्यादा जमीन छुटभाइयों को या भोमियां को मिलनी चाहिये। बस-इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, मैं भी इसके सपोर्ट में दो शब्द कहना चाहता हूँ। वह यह है कि इस समय हम एक ऐसे जमाने से गुजर रहे हैं जो संघर्षमय है और ऐसे वक्त में बहुत कोशियसली कानून हमें बनाने चाहिये। यह ठीक है कि सीलिंग मुकर्रर की जावेगी मगर जो मुकर्रर की जावेगी उसके लिये अभी तक कोई प्रिन्सीपल हमारे भारतवर्ष में रायज नहीं हुआ है कि ५०० एकड़ जमीन ही रखी जा सकती है और इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा जमीन जागीरदारों के पास हो तो उस जमीन की समस्या को हल करने के लिये यह ठीक है। उनकी वह जमीन छुटभाइयों आदि में बाँट दी जावे ताकि उन लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है या किसी काश्तकार को बेदखल करके जमीन ली जावेगी, उसकी समस्या हल हो सके।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बहुत से महत्वपूर्ण संशोधन आये हैं और मैं यह चाहूँगा कि इसके बारे में जब सोमवार को दुबारा मिलें तब मैं उसका उत्तर दूं और इस क्लॉज़ को फाइनली तय करें।

श्री अध्यक्ष—Should we postpone consideration of this Clause ?

(स्वीकृत)

Leave granted.

Yes, clause 14, Shri Hari Krishna Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I propose the following amendment to Clause 14 :—

"Delete Clause 14."

मेरा जो अमेन्डमेंट है वह बहुत छोटा है, लेकिन बहुत महत्व का है। क्लॉज़ १४ की मंशा यह है कि प्रिन्सिपल एक्ट में एक नया सेक्शन जोड़ दिया जाय जिसका नाम होगा सेक्शन १६ ए और जिसका हेडिंग यह रखा है, "Exchange of lands under personal cultivation for other, lands" और उसमें इस बात की गुन्जाइश रखी है कि "A Jagirdar who wants to

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

exchange any Jagir land cultivated personally by him for any other land of the description specified in clause (viii) of sub-section (1) of section 19" तो "clause (viii), sub-section (1) of section 19" इससे ताल्लुक रखता है जो चम्बल, जवाई, भाखरा और दूसरी इरिगेशन की स्कीम्स के सिलसिले में जमीनें हैं। तो यदि जागीरदार अपनी जागीर की जमीन के एवज में चम्बल, जवाई या भाखरा की स्कीम में जमीन लेना चाहेगा तो उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह ३१ दिसम्बर, ५४ के पहले पहले एक अर्जी कर दे; कमिश्नर खुदकाश्त उसकी जांच करेगा और उसकी जाँच के मुताबिक सरकार को रिपोर्ट करेगा और सरकार ठीक समझेगी वैसा हुक्म निकाल देगी। यानी जागीर की जमीन में जो खुदकाश्त जमीन उसके पास आई है या जो जागीर की जमीन है उसको एवज में चम्बल भाखरा या जवाई इन स्कीम्स में की जमीन से एक्स्चेन्ज करने का यहाँ प्रश्न है। मेरे खयाल में माननीय अध्यक्ष, पहले तो यहाँ एक्स्चेन्ज शब्द का उपयोग ही गलत है, क्योंकि एक्स्चेन्ज तो तब जो जब एक चीज़ के बदले में करीब-करीब लगभग उतनी ही कीमत को दूसरी चीज ले और अपनी चीज दे। वहाँ यह किया जा रहा है कि अगर जैसलमेर में किसी के पास दो सौ बीघा जमीन है, अथवा पोकरण, शेरगढ़ या बाडमेर में है तो वह अर्जी करेगा कि मुझे तो दो सो बीघा जमीन चम्बल की योजना में दे दी जाय और राज्य सरकार ने उसका नाम रखा है एक्स्चेन्ज।

श्री मथुरादास माथुर—It will be not a fair exchange.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर इसको एक्स्चेन्ज कहेंगे तो कम से कम उसको "अनफेयर एक्स्चेन्ज कहना चाहिए और अनफेयर एक्स्चेन्ज का मतलब डिक्शनेरी में रोबरी दिया गया है।

(हँसी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Robbery in consultation with the owner.

श्री हरिकृष्ण व्यास—In collusion with the owner !

तो मेरे माननीय मित्र ने अभी जैसा कहा वह चाहे रोबेरी हो या robbery in collusion with the owner। यह कैसे मान लिया जाय कि राजस्थान सरकार उसकी मालिक है ? राजस्थान की जनता उसकी मालिक है और सबसे पहले उसका मालिक है किसान। उन मालिकों से पूछा नहीं है और मेनेजिंग एजेन्टस अपने पॉवर्स ऑफ एटोर्नी का दुरुपयोग करके इस प्रकार का सौदा करे तो वह एक्स्चेन्ज किसी हालत में एक्स्चेन्ज नहीं कहा-जा सकता। मुझे कोई कारण नजर नहीं आया, माननीय अध्यक्ष, अगर जमीन किसी के पास कम है उसको देने के लिए खुदकाश्त का लम्बा-चौड़ा सेक्शन बना दिया गया है और यदि जमीन लेनी है तो कम्पेन्सेशन की स्कीम बना दी गई है, इजाफा करना है तो तरह तरह की बातें जोड़ दी गई हैं, आखिर यह क्यों आवश्यक समझती है राज्य सरकार कि यदि किसी के पास बेकार जमीन है तो उसकी एवज में उसको अच्छी से अच्छी जमीन दे दी जाय और ऐसा समझती है तो फिर उसको जागीर पुनर्ग्रहण कानून पास करने के बजाय जागीरदारों को जमीन दिलेक्शन कानून पास करना चाहिये था ताकि पहले आप (जागीरदार)

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अच्छी जमीनें चुन लें, दूसरों की बारी आयगी तो ठीक है, हुआ तो फिर दूसरों को समझा-बुझा लेंगे। तो माननीय अध्यक्ष, इसी उसूल को यहाँ रखा गया है। नेहरू अवार्ड का हवाला दिया जाता है। इस अमेन्डिंग बिल के आने के बाद मैंने पंतजी की रिपोर्ट को पढ़ा और पंडित नेहरू के अवार्ड को भी पढ़ा और कोई ऐसी लाइन नहीं मिली जिसके अनुसार रिमोटली उनको दे दी जाय। हाँ, जिसके पास खुदकाश्त की जमीन न हो और सरकार उसको दूसरे सेक्शन के मातहत दे नहीं पाई हो उसको तो इस स्कीम के अन्तर्गत दे पायगी। ऐसी चीज तो इसमें है। किन्तु अच्छी जमीनों को बुरी जमीनों से एक्स्चेन्ज कर दिया जाय ऐसा कहीं किसी जगह न पंत रिपोर्ट में है और न पंडित नेहरू के अवार्ड में ही। तो यह जो क्लॉज़ रखा गया है या तो उस पर पूरा विचार किये बिना ही उसको रखा गया है या और स्कीम्स के अन्दर कोलोनाइजेशन की या दूसरी स्कीम्स के अन्दर, या जो राजस्थान के सामने हो उसको दुर्लक्ष्य करके रखा गया है।

हनुमानगढ़ में नहर नहीं पहुँची, उसके पहले ही अर्जियों की तादाद लाखों के ऊपर पहुँच गई है। जवाई के अन्दर पिछले साल पानी दिया और वहाँ भी हजारों लाखों की तादाद में अर्जियाँ और आस-पास के किसानों की अर्जियाँ पड़ी हुई हैं। चम्बल की योजना शुरू हुई ही नहीं और अभी से ही लोग सोच रहे हैं कि हमें जमीन मिलेगी और हमें राहत मिलेगी। क्या राजस्थान सरकार यह चाहती है कि करोड़ों रुपए खर्च करके जो बाँध बनाये गए, बांध बना कर सिंचाई के साधन पैदा किए गए उनसे किसानों की हालत सुधारने के बजाय उनका इस्तेमाल किया जाय एक वर्ग विशेष को रिहेबिलिटेट करने के लिए, एक वर्ग विशेष को जो कि पहले ही प्रोस्परस है, और अधिक प्रोस्परस बनाने के लिए और दूसरों को disproportionately disadvantage के लिए ? तो, इन आधारों पर मैं कोई कारण नहीं समझता कि यह क्लॉज रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे के पूरे क्लॉज को डिलीट करने के लिए राजस्व मन्त्री गौर करेंगे और मेरे माननीय मित्रों से भी जिन्होंने इस क्लॉज पर विचार नहीं किया है निवेदन करूंगा कि वे विचार करें और इसको पास करायें।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष......

श्री अध्यक्ष—Let all the amendments be moved first.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज १९ ए में मैंने बहुत मामूली-सा संशोधन प्रस्तुत किया है जिसको एक टेक्नीकल नेचर का माना जा सकता है। मैंने इस संशोधन के जरिये यह निवेदन किया है कि ३१ दिसम्बर, १९५४ के बजाय ये शब्द रख दिये जाय कि "within six months of the date of the notification issued under section 21." इन शब्दों को रखने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम इस बिल को अभी जो विचारार्थ ले रहे हैं और उसके पास होने के बाद में जब यह असेन्ट के लिए प्रेसिडेन्ट के पास में जायगा और उसके वापिस आने के पश्चात् इसको लागू किया जायगा, ऐसी मेरी मान्यता है।

[श्री जवानसिंह]

अब यह समय कुछ ज्यादा और कम भी लग सकता है इसलिये हम एक तारीख मुकर्रर करके चलते हैं, उस तारीख में हेरफेर हो सकता है। कानून तब तक लागू हो सकेगा या नहीं यह भी निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता, १५-२० दिन आगे-पीछे भी कानून लागू किया जा सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूँगा, कोई खास तारीख मुकर्रर न करके छः महीने का पीरियड मुकर्रर किया जाय जबकि धारा २१ के अनुसार नोटिफिकेशन इशयु होगा जागीरों को रिज़्यूम करने के लिये उस दिन से छः महीने की मियाद शामिल की जायगी। मेरा ख्याल है कि इससे जागीरदार को भी ठीक रहेगा और यह एक तरह से रिलेटिव क्लॉज़ रहेगा जिसमें तारीख की कोई हेरफेर या समय का परिवर्तन इस संशोधन के मन्जूर करने से नहीं होगा। इसलिये यह एक टेक्निकल संशोधन पेश किया गया है। मुझे उम्मीद है कि माननीय राजस्व मन्त्री इसे स्वीकार करेंगे।

रेफरेन्स के लिये मैं निवेदन कर दूँ कि अभी-अभी हमने धारा १४ में इस प्रकार का अमेन्डमेंट आज ही मन्जूर किया है। इस संशोधन विधेयक की धारा १० के उपधारा (३) में आज ही हमने संशोधन मन्जूर किया है।

"For the words 'commencement of this Act', the words, brackets and figures 'commencement of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Amendment) Act, 1954, shall be substituted."

तो हमने किसी एक निश्चित टाइम के बदले रिलेटिव टाइम रखा है। जिस वक्त कानून लागू होगा, जागीरें रिज़्यूम होंगी छः महीने के अन्दर कोई भी जागीरदार दरखास्त कर सकता है। मेरा संशोधन से यह तात्पर्य है। आशा है इसे माननीय राजस्व मन्त्री स्वीकार करेंगे।

इसके साथ अभी मेरे पूर्व वक्ता ने जो कुछ इस क्लॉज़ को डिलीट करने का निवेदन किया है उस सिलसिले में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ और यह इस सदन को अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अभी हाल ही में Consolidation of Holdings & Prevention of Fragmentation बिल पास किया है; उसमें हमारी नीति यह रही है कि जो भी काश्त करने की जमीन है उसके अलग-अलग टुकड़े न हों; जैसे एक बीघा यहाँ है तो एक बीघा १० मील दूरी पर। यदि इस प्रकार अलग-अलग टुकड़े हों तो वह एक प्रकार से इकोनोमिक होल्डिंग नहीं रह सकता। उसको एक ही जगह इतनी जमीन दी जाय ताकि उसको काश्त करने की सुविधा हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। ऐसा कानून अभी हमने हाल ही में पास किया और मेरा ख्याल है कि माननीय मेरे पूर्व वक्ता उस बात को भूल गये और उन्होंने यह संशोधन पेश कर दिया। अगर उनको यह मालूम होता तो वे ऐसा संशोधन पेश नहीं करते।

इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो बंजर भूमि के बदले प्रोजेक्ट एरिया में भूमि दी जायगी, जो खुदकाश्त के लिए जागीरदार को दी जायगी उसका नतीजा यह होगा कि सारी बंजर भूमि

Page No.90

[श्री जबानसिंह]

किसानों के पास रह जायगी और जागीरदारों को फायदा होगा। जहाँ उनकी पाँच बीघा जमीन है वह प्रोजेक्ट एरिया में भाखरा, जवाई, चम्बल आदि एरिया में ५०, या २५ एकड़ मिल जाती है तो अपनी जगह की भूमि काश्त नहीं कर सकेगा, चम्बल या भाखरा की जो भूमि मिलेगी उस पर वहाँ पर काश्त कर सकता है। इसलिए बेहतर यह होगा कि उसको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाय जिससे वह वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। यह ऐसी बात कही गई है जैसे जागीरी की जो भूमि होगी वह काश्त के लिये बिल्कुल उपयोगी नहीं होगी या बंजर भूमि होगी, या खुदकाश्त के काबिल नहीं होगी तो फिर उनको प्रोजेक्ट एरिया में अच्छी भूमि क्यों दी जाय? मेरे मित्र यह कहते हुए इस बात को ख्याल में लाना भूल गये कि प्रोजेक्ट एरिया के तहत में जो जमीन आयगी वह बिल्कुल नई होगी, उसको उर्वरा करने में हजारों रुपया लगाना होगा फिर कहीं जाकर वह खुदकाश्त के काबिल होगी। साथ में दूसरी बात यह है कि हरेक मामूली किसान तो, जिसके पूरे मीन्स नहीं होंगे वह वहाँ भूमि लेकर क्या करेगा? मुझे इसमें भी सन्देह है कि जिन जागीरदारों के पास अपने जागीरी में भूमि है वे अपने घर बार आदि को छोड़कर वहाँ प्रोजेक्ट एरिया में जाकर बसना चाहेंगे, मुझे इसमें भी सन्देह है, अपनी जायदाद आदि छोड़कर वहाँ चले जाँय इसमें भी मुझे सन्देह है। लेकिन फिर भी पोसीबिलिटी समझ ली जाय तो फिर जागीरदार जो अपनी भूमि अपनी जागीरी में छोड़कर जायेंगे उससे काश्तकारों को जमीन मिल जायगी तो काश्तकारों का भला हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मन्त्री से निवेदन करूँगा कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे और मेरे से पहले बोलने वाले मित्र ने जो संशोधन रखा है उसे मन्जूर नहीं किया जायगा।

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में मेरा संशोधन है, वह संशोधन इस प्रकार है :—

"In section 19A sought to be inserted in the Principal Act, add in the first line after the word 'Jagirdar' the following words :—

'who has been allotted Khudkasht land in any of the river project area and.'"

इन शब्दों को जोड़ देने से क्लॉज़ १४ द्वारा जो सेक्शन १६ ए है, प्रिन्सिपल एक्ट में जोड़ा जा रहा है, वह इस प्रकार पढ़ा जायगा :

"A Jagirdar who has been allotted Khudkasht land in any of the river project area and who wants to exchange any jagir land cultivated personally by him for any other land of the description specified in clause (viii) of sub-section [1] of section 19 may apply for such exchange........"

हालाँकि शब्द इसमें चार पाँच ही जोड़े गये हैं किन्तु इसके पीछे एक सिद्धान्त है। वह सिद्धांत यह है कि जो प्रोजेक्ट्स नदियों के बन रहे हैं उनके लिये अभी सदन के सम्मुख बिल प्रस्तुत किया गया

[श्री वेदपाल त्यागी]

है और मैं समझता हूँ कि इसके तहत न केवल जागीरदार को वरन राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह जाकर प्रोजेक्ट का फायदा उठाये। यह सत्य है कि कुछ जागीरदार जिनकी जमीन, खुदकाश्त जमीन अपने एरिया में मिलेगी अगर वह रिवरप्रोजेक्ट में उसको मिलती है, अगर वह एक्स्चेन्ज करना चाहे तो उसको फेसीलिटीज़ जरूर दी जाँय। जिन लोगों को पूरी जमीन अपने एरिया में मिल चुकी हैं अगर उनके लिये इस प्रकार की रियायतें देना कि वे प्रोजेक्ट एरिया में जमीन ले सकते हैं तो यह न्याय-संगत नहीं होगा। इसलिये जो श्री एच० के० व्यास ने कहा है उसका समर्थन करता हूँ। सिर्फ जागीर होने के नाते, क्योंकि उनसे जागीरें ली जा रही है इसलिये उन्हें रिवर प्रोजेक्ट में तमाम जमीन उन्हीं को दी जाय जिनके पास काश्त के काबिल जमीन नहीं है उनको रीवर प्रोजेक्ट की जमीन से बदलने का हक दे, यह कभी भी न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता। इसलिये मेरा जो संशोधन है उसे माननीय मन्त्री स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

कु० श्री जसवन्तसिंह--जवानसिंहजी ने जो अमेंडमेंट रखा उसका क्या हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैं उसे स्वीकार करता हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, १६ ए को डिलीट करने के लिये जो श्री एच० के० व्यास ने कहा है और जो कुछ कारण दिये हैं उसमें उन्होंने दो-तीन बातों पर विचार नहीं किया। यदि वे इन बातों पर विचार करते तो शायद प्रश्न पैदा नहीं होता। दरअसल चीज यह है कि १६ ए एक एक्स्प्लेनेटरी क्लॉज़ है। एक्सचेन्ज के पॉवर्स गवर्नमेंट को 'में' शब्द के साथ में है। ऐसी परिस्थिति में कमिश्नर किसी निश्चित केस में यदि किसी जमीन को एक्स्चेन्ज करना चाहता है तो वह गवर्नमेंट के सामने वह केस रखेगा और गवर्नमेंट अन्तिमरूप से इसका निर्णय करेगी कि आया इसको प्रोजेक्ट एरिया में जमीन दी जानी चाहिए या नहीं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा बारगेनिंग (bargaining) में गलती हो सकती है किन्तु इस एक्ट की सेक्शन १८ में यह तय किया हुआ है कि "One irrigated land shall be deemed to be equal to three acres of unirrigated land." अर्थात् एक एकड़ इरिंगेटेड लैन्ड तीन एकड़ अनइरिंगेटेड लैन्ड के बराबर समझी जायगी, यानी तीन एकड़ अनइरिंगेटेड जमीन देने पर एक एकड़ जमीन इरिंगेटेड मिल जायगी। मैं आपको तोरावाटी का दृष्टान्त देता हूँ। वहाँ पर २० भोमियों के घर हैं। बीस को दो-दो बीघा जमीन देनी पड़े और वह बीस टुकड़ों में बँटी हुई है। वे तमाम उन जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों पर काश्त नहीं कर सकते। यह उनके लिये एक तरह से अनइकोनोमिक होल्डिग है। इस तरह से भोमिये जमीन न मिलने से परेशान हैं। इस तरह से यदि ४०० बीघा वहाँ जमीन है तो उसके बदले में प्रोजेक्ट एरिया में १३३ बीघा मिल जाती है, तो उनकी समस्या भी हल हो जाती है, २० छोटे भोमियां की समस्या हल हो जाती है। उनका इकोनोमिक होल्डिंग मिल जाती है और अन्य सुविधाएँ मिल जाती हैं और इस एक्ट में जैसा कि प्रोवाइड किया गया है, और जैसा कि श्री रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया है कि जो काश्तकार काबिज हैं उनको बेदखल करके खुदकाश्त का प्रोब्लेम इन जागीरदारों की, इन भोमियों की, सोल्व करने की कभी जुरंत नहीं की जावेगी।

[श्री श्रीदास गोयल]

तो ऐसी परिस्थिति में मैं मानता हूँ कि धारा १९ को डिलीट करने का अमेंडमेंट इकोनोमिक होल्डिंग के बीच में बाधाएँ पैदा करने वाला है, उसमें जो सुविधाएँ हैं उनको मिटाने वाला है। ऐसी हालत में १९ ए बदस्तूर रहना चाहिये।

और इसके साथ ही मुझे श्री भवानसिंहजी के इस संशोधन के बारे में कहना है कि उनके अनुसार ६ महीने का पीरियड बढ़ा दिया जावे। उनका कहना है कि इस ६ महीने के पीरियड के लिए ३१ दिसम्बर, १९५४ तक का पीरियड ऐसी बात के वास्ते काफी नहीं है, एप्लीकेशन देने के लिए कम रहता है यह समय। १ जुलाई, ५४ से ६ महीने का पीरियड भी कोई कम नहीं रहता। इस पर भी अगर इतने पीरियड में अपनी खुदकाश्त के लिये कोई एप्लीकेशन न दे सके और सोता रहा तो "Equity favours the vigilant and not the indolent."

उस प्रिन्सिपल को मानते हुए यह टाइम काफी होता है और इसमें उसको सचेत रहना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यह जो धारा है उसके सम्बन्ध में समझने में कुछ गलतफहमी हो रही है। यह जो एक्सचेन्ज करने के लिए अनओक्युपाइड लैंड से एक्सचेन्ज और न जाने क्या-क्या मतलब इस इक्सचेन्ज से निकालेंगे। इस तरह से ये जो मतलब लगाये जा रहे हैं इसके तरह-तरह के, इसमें इतनी दूर तक जाने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। इस धारा को रक्खा गया है तो यह समझ कर रक्खा गया है कि यह हरएक का आधार हो सकता है कि जिनके पास इरिंगेटेड जमीन है और उस जमीन के बजाय दूसरी जगह इरिंगेटेड या उससे इक्विवेलेन्ट अनइरिंगेटेड या इरिंगेटेड जमीन दूसरी जगह दी जावे और इसके देने से वहाँ पर जो भोमिये या दूसरे लोग हैं, उनको बसाने में सहूलियत प्राप्त हो सकती है। तो इसके लिए मार्ग खुला रहे इस दृष्टि से इस धारा को रक्खा गया है। जिस प्रकार की शंकाएँ की गई हैं उनको दूर करने के लिए काफी उसमें सुविधाएँ रक्खी गई हैं। पहले प्रेस्क्राइब्ड मेनर में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी खुदकाश्त कमिश्नर के पास और फिर वह जाँच करके अपनी रिकमन्डेशन के साथ उसे गवर्नमेंट के पास भेजेगा। इस पर भी गवर्नमेंट उसकी रिकमन्डेशन से बंध नहीं जाती है।

"Government may pass such orders"; गवर्नमेन्ट उपयुक्त समझे तो ऑर्डर पास कर सकती है। पहले तो इसके लिए रूल्स बनाये जावेंगे, उन्हें प्रकाशित किया जावेगा, उनके अनुसार एप्लीकेशन देनी होगी, इसके बाद खुदकाश्त कमिश्नर जाँच करेगा और उसकी रिकमन्डेशन के बाद भी अगर गवर्नमेन्ट चाहे तो अलॉट करे और न चाहे तो न भी करे; ऐसे सब आदेश इसमें हैं।

तो मैंने जो दृष्टिकोण बताया, मूल में यही विचार था। उदाहरण के तौर पर उदयपुरवाटी को लीजिये। एक व्यक्ति की २५ बीघा इरिंगेटेड जमीन है। वह उसके बजाय २५ बीघा जमीन

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

इर्रिगेटेड दूसरी जगह चाहता है एक्सचेन्ज में। तो निश्चित तौर से २५ बीघा जो जमीन अवेलेबल होगी उसमें हम चार दूसरे भोमियों की फेमिलीज़ को बसा सकते हैं और जो भूखण्ड है उसमें से हमें ५ भोमियों फेमिलीज़ को १२५ बीघा जमीन देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इर्रिगेटेड अनइर्रिगेटेड लैण्ड का हमें प्रबन्ध करना पड़ता है। यह उन लोगों को भी सूट करती है और वे जहाँ के तहाँ बस सकते हैं। छोटे भोमिया इसे पसन्द कर सकते हैं कि हमारे मकान यहाँ पर हैं। वे वहीं भूमि लेकर वहीं बस जाना पसन्द करते हैं बजाय इसके कि दूसरी जगह जावें। तो इस एक्सीजेन्सी को मीट करने के लिए इस धारा को रक्खा गया है। इसके लिए किसी अन्य प्रकार की कल्पना करना ठीक नहीं होगा। इसके पीछे जो विचार हैं उन पर विचार करें।

श्री जवानसिंहजी ने जो अमेंडमेंट मूव किया है इसको स्वीकार करने में मुझे इन्कारी नहीं है। उनकी ६ महीने की बात को मैं स्वीकार करता हूँ और दूसरे जो संशोधन आये हैं उनको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने खण्ड १४ के विषय में रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री वेदपाल त्यागी ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जवानसिंह ने रक्खा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १४, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

[श्रीअध्यक्ष]

खण्ड १४, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १५, श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह--माननीय अध्यक्ष, इस खण्ड में मैंने जो डिलीशन का संशोधन प्रस्तुत किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हजारों नहीं बल्कि लाखों व्यक्तियों की आजीविका का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है।

मुख्य कानून जो जागीर उन्मूलन के सम्बन्ध में सन् १९५२ का पास हुआ है उसमें धारा ३० इस प्रकार है कि जिसमें ५ हजार रुपये से कम की आमदनी की जागीरों को बदस्तूर कायम रक्खा था और पाँच हजार से ऊपर की आमदनी की जागीरों को खतम करने के लिए उस कानून में प्रोवीज़न था।

अब हमारे सामने जो यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है इसके जरिये जागीरी प्रथा के नाम को खतम करने का सवाल है; इस प्रकार का यह प्रोवीजन इस धारा के अन्दर रक्खा गया है। मैं, जहाँ तक इस सिद्धान्त का सवाल है कि जागीरी प्रथा खतम की जावे या नहीं, उसमें मैं इस चीज को मानने को तैयार हूँ कि वह एक युग था जब कि जागीरी प्रथा का एक विशेष महत्व का स्थान था और इसको एक विशेष महत्व होने के कारण वह उस जमाने में एक आवश्यक प्रथा रही थी। उसके जरिये से देश में शान्ति कायम थी और उसको कायम रखने के लिए वह प्रथा आवश्यक थी। लेकिन उस युग की बात आज नहीं रही। आज युग-परिवर्तन फिर आया है देशवासियों का और हम सबका विचार आज इस प्रथा से बदल गया है। शायद हम लोगों ने इस प्रकार तरक्की की हो कि हम इस बात को मानने लगें कि इस प्रथा की अब जरूरत नहीं है। तो जहाँ तक सिद्धान्त का सवाल है मैं इसे मानने को तैयार हूं कि सैद्धान्तिक रूप से जागीरी प्रथा खतम होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या उस प्रथा को हमें शनैः शनैः खतम करना है या एक दम?

राजस्थान के सामने एक प्रथा को खत्म करने के बाद दूसरी विषय समस्या पैदा करने आ रहे हैं जिसकी वजह से हम उनका मुकाबिला नहीं कर सकें और जिस चीज से राजस्थान की जनता को फायदा पहुँचना चाहिए, शायद उसके विपरीत ही उसका असर हो। इसलिए मैं उस सिद्धान्त को मानते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह वह समय नहीं है जब कि हम छोटे जागीरदारों को समाप्त करके राजस्थान में एक विषय समस्या बनायें। इस चीज को खास तौर से साफ इस प्रकार से करना चाहता हूँ कि उन जागीरदारों ने अब तक केवल किसी जागीर से पैदा हुई अपनी आमदनी से अपना जीवन व्यतीत किया है, उनके पास कोई भी धन्धा नहीं था जिसके जरिये से वे अपना

[श्री जवानसिंह]

जीवन व्यतीत करते और अब फिलहाल इन चार वर्षों में उनके दिमाग में शायद कोई बात इस तरह की पैदा हुई हो जिसकी कि वे जागीर की आमदनी के अलावा और दूसरे तरीके से लाभ उठा रहे हैं, जिससे अपना जीवन व्यतीत कर सकें; लेकिन फिर भी उनमें ऐसे आदमियों की संख्या केवल ५-७ प्रतिशत ही मानता हूँ। दूसरे पाँच हजार से कम आमदनी के जागीरदारों की संख्या अगर मान ली जाय, यद्यपि कोई खास तौर के सरकारी स्टेटिस्टिक्स तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन ऐसा विचार है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसे आदमियों की संख्या २० लाख से कम नहीं होगी। तो हमें यह ख्याल करना है कि आया इसका एक दिन में २० लाख व्यक्तियों पर असर होने वाला कानून, इस वक्त हम जो पास कराने जा रहे हैं और जिससे कि हम उनकी जागीरों को खत्म करने जा रहे हैं तो उन आदमियों के ऊपर इस कानून का क्या असर होगा, और उसके बाद में राजस्थान के सामने कैसी समस्या पैदा होगी? इन चीजों पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना है और उसके तत्पश्चात् हम इस क्लॉज़ को पास करेंगे।

अब उस सिलसिले के ऊपर इस ओर मैं, माननीय अध्यक्षजी, सदन का ध्यान आकर्षित करूँगा कि २ वर्ष का समय व्यतीत हुआ। १८ फरवरी, सन् ५२ से लेकर और आज इस तारीख तक के समय में कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है। जागीर प्रथा को खत्म करने के सिलसिले में जो बातचीत सरकार की जागीरदारों के साथ में हुई है, उस बात का भी हमको ख्याल करना है, और उस समझौते के अनुसार इस संशोधन विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इन दो बातों को जो सरकार के और राजस्थान क्षत्रिय महा सभा के दर्म्यान में हुई हैं उनमें लेश-मात्र भी इस बात का जिक्र नहीं पाता हूँ कि जो पाँच हजार से कम आमदनी की जागीर हैं उनको भी खत्म किया जाय। पंतजी के सामने भी इस प्रकार की कोई भी बात नहीं रखी गई थी जिस पर कि इस प्रकार का फैसला देने की शक्ल पैदा हुई है और न राजस्थान क्षत्रिय महा सभा ने इस बात को राजस्थान सरकार के सामने रखा था क्योंकि राजस्थान सरकार ने खुद ने इस बातें के लिए न तो ऐसा सवल पैदा किया था और न यह प्रश्न विचाराधीन ही था। ५ हजार से कम आमदनी वालों का सवाल तो इसी वक्त, इस समय है। अब ऐसी परिस्थिति है कि जब कोई भी बात उस समझौते में, जो कि सरकार व पाँच हजार से ऊपर के जागीरदारों के बीच में नहीं हुआ, तो यह सवाल फिर भी हमारे सामने रह जाता है कि आया जो चीज हमने तय नहीं की है और जो तय की हुई चीज है उसी के आधार पर यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उसको भी इसमें शामिल किया जाय। इसको करने के बाद कुछ समय भी देते, फिर ५ हजार से कम आमदनी वाले जागीरदारों को समाप्त करते। इस चीज़ के लिए इस वक्त आप कानून के लिए अवश्य तैयार हैं। आज भी यह कानून पास कर दिया जाय, पाँच हजार से कम की आमदनी वाली जागीरों को आप रिज़्यूम करना चाहें, इसी कानून के पास करने के बाद में, लेकिन फिर आप धीरे-धीरे करेंगे। सबसे पहले आप बड़ी जागीरों को लेंगे, उसके बाद छोटी और फिर उनसे छोटी जागीरों को लेंगे, फिर पाँच हजार से कम की आमदनी वाली जागीरें होंगी तो उसके बाद में एक हजार या दो हजार का नम्बर आने वाला है। आप उनको समाप्त कर सकेंगे

[श्री जवानसिंह]

इस बीच में । मैं यह निवेदन करूँगा कि पाँच हजार से ज्यादा आमदनी वाले की जागीर खत्म करने का रिएक्शन देखियेगा कि जनता में क्या असर पड़ता है, कैसी समस्याएँ आपके सामने आती हैं जिनका मुकाबला किसी प्रकार से कर सकते हैं या नहीं? इतना अर्सा जो आप व्यतीत करते हैं जिसमें आपके सामने एक समय मिल जायगा, आपके सामने समस्याएँ पैदा होंगी, उनका हल निकालने के लिए आप सोचेंगे । आपको वक्त मिल जायगा । तत्पश्चात् आप उस थोड़े समय में शिक्षा लेंगे । उस नतीजे का फायदा ५ हजार से कम आमदनी वाली जागीरों को समाप्त किया जायगा, उस वक्त आपको फायदा मिलेगा ।

मैं थोड़ा-सा यह निवेदन और करना चाहता हूँ कि आपने ५ हजार से ज्यादा की आमदनी वाले जागीरदारों के साथ में बातचीत करके यह विशेष संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है । मैं आपसे यह खास तौर से निवेदन करूँगा कि वह परिस्थिति, वह विषम समस्या, जो पाँच हजार से कम की आमदनी वाले जागीरदारों की है उन जागीरदारों के सामने नहीं है जो कि पाँच हजार से ज्यादा आय वाले हैं । आप उनके साथ रियायत कर सकते हैं, आप पाँच हजार से ज्यादा आमदनी वालों के साथ विशेष रियायत कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि यह दलील पाँच हजार से कम जो आमदनी वाले हैं, उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है । उनके साथ मैं और ज्यादा विशेष रियायत आपको देनी होगी । लेकिन आपने उसकी पृष्ठभूमि के लिए कोई मुद्दा नहीं रखा । आपने उनके साथ में बातचीत करके इस समस्या को समझने की कोशिश नहीं की । उन पाँच हजार से कम आमदनी वाले जागीरदारों को मौका दें कि वे आपके सामने आकर अपनी समस्याओं को पेश करें और बड़े भूस्वामियों से आपस में मिलकर जिस कदर आपने यह समझौता २ साल में किया है उस समझौते को छोटे जागीरदारों के लिए किस प्रकार से उस समझौते का प्रोवीजन इस संशोधन विधेयक में रखा जा सकता था इस बात को आप सोचें । चूँकि आपने वह समय निकाल दिया है और आपने वह बातचीत नहीं की है इसलिए मैं इस वक्त यह निवेदन करूँगा कि आप कुछ समय छोटे भूस्वामियों को दें कि जिसमें आप उनसे बातचीत करें और उनकी समस्याओं को देखें और पाँच हजार से ज्यादा आमदनी वालों को जो राइट्स दिये हैं, जिस प्रकार उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है और इस संशोधन विधेयक को रखा है, उन्हें भी आप, पाँच हजार से कम आमदनी वालों को भी समय दें ।

इसके साथ-साथ में कुछ और निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने एक पहलू को लिया है वह है जागीरी प्रथा को खत्म करने का । जहां तक पांच हजार से ज्यादा आमदनी वाली जागीरों को समाप्त करने का सवाल था इस बात को थोड़ी देर के लिए मान कर चलें कि शायद आप उनकी संख्या उन आदमियों में करने जा रहे हैं जिनकी श्रेणी धनपतियों में शुमार होती है, लेकिन पांच हजार से कम आमदनी वालों की संख्या का जहां तक सवाल है मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि उन्हें आप धनपतियों की श्रेणी में मानते हैं । जब आप शहरी धनपतियों पर कोई भी कदम उठाने

[श्री जवानसिंह]

नहीं जा रहे हैं तो फिर क्या वजह है कि आप इन जागीरदारों के खिलाफ ऐसा कदम लें जिससे कि उनके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है ? आप अगर शहरी जायदाद के लिए या और दूसरी जायदाद के लिए किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या वजह है कि उन जागीरदारों के लिए इस प्रकार से एक थोड़े काल के लिए एक सिद्धान्त मानकर उसका अच्छा या बुरा असर पड़े, इस चीज को बिना सोचे समझे यह रोक लगाने जा रहे हैं ? आज जो शहर में रहते हैं उन पर किसी भी तरह की रोक-टोक नहीं है, चाहे जितना कमायें, चाहे जितनी जायदाद रखें। लेकिन वह जागीरदार है और उसकी इन्कम ५ हजार से ज्यादा की है या कम की है तो उसको अवश्य खत्म होना चाहिये यह आपका ध्येय है। मैं अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूँगा कि वे इस बात को देखें कि सिद्धान्त रूप से हमने इस बात को मान लिया है, हमको सारी की सारी चीज खत्म करनी है क्योंकि यह समय की देन है। लेकिन यदि आप इसको धीरे-धीरे खत्म करेंगे तो इससे जो घोर अशान्ति पैदा होने वाली है, वह नहीं होगी। जिस वक्त संशोधन बिल पेश किया गया था उस समय सदन के हर कोने से यह आवाज आई थी कि हमारे सामने ऐसी समस्या आने वाली है जिससे घोर अशान्ति पैदा हो सकती है और उसका जवाब ठीक तौर से नहीं दिया गया था। जैसा कि मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि इस जागीर उन्मूलन विधेयक का जिन लोगों पर असर पड़ने वाला है उनकी संख्या लगभग ३० लाख है। जब इतनी बड़ी संख्या में आदमियों पर असर पड़ने वाला विधेयक पास करेंगे तो आपके सामने केवल राजस्व की समस्याएं ही पैदा नहीं होंगी बल्कि अशान्ति का भी आपको सामना करना होगा। मुमकिन है वह क्या अशान्ति पैदा कर दे, क्या रास्ता अख्त्यार करें जिसके लिये कि हम तैयार नहीं हैं। इस अशान्ति का ख्याल रखते हुए हमें ख्याल करना है कि राजस्थान के सामने कोई ऐसा प्रश्न पैदा न हो। यह कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे आदमी जिनके पास रोजी न हो सब के सब डकैती करें, यह बात मुख्य मंत्रीजी ने फरमाई थी। मैं भी नहीं समझता कि सभी आदमी ऐसा ही कार्य करेंगे। लेकिन आप इस बात की खातरी रखिये कि आप उनको ऐसे काम के लिये प्रेरित करना चाहते हैं। एक तरफ तो आप इस कानून को पास करके जागीरी प्रथा को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी और टिनेन्सी एक्ट पास करना चाहते हैं जिसकी तहत में सबलेट की हुई जमीन भी उनके पास नहीं रह सकेगी। दोनों चीजें एक साथ पास होने जा रही हैं। यदि दोनों के बीच में कुछ ऐसा समय मिलता तो एक का दूसरे पर तुरन्त असर देखा जा सकता था। लेकिन परिस्थिति ऐसी हो रही है कि दोनों चीजें साथ ही हो जाती हैं और परिस्थिति को और भी विषम बना देती हैं। इस विषम परिस्थिति का सामना करने के लिये आप प्रस्तुत हो जायं। राजस्थान में एक समस्या पैदा हो जाय इससे पहले हमें ख्याल करना है कि हम धीरे-धीरे, स्टेज बाई स्टेज इसे पास करें और जागीरदारों की समस्या को सुलझायें और इस बात का ख्याल रखें कि इससे हमारे लिये वह स्थिति पैदा न हो जाय जिससे कि हमें खर्चा और करना पड़े।

मैं एक बात और निवेदन करूँगा कि ऐसी विषम परिस्थिति को, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है, आप अपने दिमाग में अवश्य रखेंगे और उसके पश्चात् इस कानून को पास करेंगे।

[श्री जवानसिंह]

अब मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने इसमें इतना समय इसलिये लिया है कि यह क्लॉज़ जरूरी है और इसलिये इस पर गम्भीरता से हर एक सदस्य विचार करेंगे और इसको ओरिजिनल एक्ट के माफिक किया जायगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री वेदपाल त्यागी अपना अमेन्डमेन्ट मूव करें।

श्री वेदपालत्यागी—Sir, I don't want to move my amendment.

श्री अध्यक्ष—श्री एच० के० व्यास अपना अमेन्डमेट मूव करें।

एक माननीय सदस्य—श्री एच० के० व्यास सदन में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—Then next, Shri Shridas Goel.

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि ५ हजार या उससे नीचे की जागीरों के सिलसिले में श्री जवानसिंहजी ने अभी फरमाया कि बड़े जागीरदारों की जागीर रिज़्यूम करने के बाद थोड़ा इन्टर्वेल रखा जाता और फिर रिज्यूम की जातीं तो व्यावहारिकता में ज्यादा अच्छा रहता। मैं इस सिलसिले में निवेदन करूँ कि ५२ में यह एक्ट पास हो चुका था। उसके बाद परिस्थिति ऐसी आई कि उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। सरकार की ओर से राजस्व मंत्रीजी ने 'जो प्रिन्सिपल इस एक्ट के अमेन्डिग बिल के मुत्तलिक प्रकट किये हैं उनको दूसरी तरफ वाले सब साथियों ने माना है। स्वयं जवानसिंहजी ने भी माना है कि आज के वातावरण में जब समय आगे बढ़ रहा है और जनता को सुधार प्रिय है तो जरूर ही जागीरदारी प्रथा को, जो मिडीवियल पीरियड की प्रथा है, उसे दूर करना है। जब इसे दूर ही करना है तो 'शुभस्यः शीघ्रम्' सिद्धान्त को मानकर करना चाहिये। आपने दूसरा व्यावहारिक दृष्टिकोण यह रखा कि ५ हजार से नीचे की जागीर के जागीरदारों को राहत नहीं मिली तो अशान्ति बढ़ेगी और पीनल ऑफेन्सेज़ बढ़ेंगे। इस बारे में मैं निवेदन करूँगा कि जहां तक सम्भव हो सका 'Live and let live' के सिद्धान्त को मानते हुए सरकार ने कंसेशन्स दिये हैं। कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट को देखते हुए यह साफ है कि छोटे-छोटे जागीरदारों, भोमियों आदि को ज्यादा कन्सेशन दिया गया है और यदि वे इकोनोमी को ध्यान में रखते हुए चलें, फाइ-नेन्शियल पोज़िशन को ठीक ढंग से रखते हुए चलें तो मिडिल क्लास के लोगों की तरह अपने आपको अच्छी तरह सेटल कर सकते हैं। हम यह चाहते हैं कि टिलर्स ओफ दि सोइल (tillers of the soil) और गवर्नमेंट के बीच में सीधा सम्पर्क रहे। बीच में मिडल-मेन होने की वजह से आपस में जो झगड़ा, बेदखलियें, मारपीट, ब्रीच ओफ पीस (breach of peace) आदि जो होती हैं उनको जल्दी से जल्दी मिटाना चाहिये। ऐसी स्थिति में जो दलील दी गई है कि ५ हजार या उससे नीचे की जागीरें कायम रखी जायं तो उसको मैं सही नहीं मानता। इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल नहीं है। राजस्थान

[श्री श्रीदास गोयल]

इस मामले में पहले से ही धीरे चल रहा है और समझौते का मार्ग अपना रहा है; नहीं तो दूसरे स्टेट्स में तो यह प्रथा पहले ही समाप्त हो चुकी है। जागीरदारों को राजस्थान सरकार को बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने समझौते का मार्ग अपनाकर ऐसा रास्ता अपनाया है, 'live and let live' के उसूल को माना है। इसलिये जो मित्र अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं वे जनता के हित में इस बात का विचार करें और जिम्मेदारी महसूस करें कि जो जागीरदारी प्रथा खत्म होने जा रही है वह ठीक है और उसमें सहयोग दें।

श्री रूपनारायण शर्मा—अध्यक्ष महोदय, जिस विषय में चर्चा चल रही है वह विषय यह है कि जब जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन किया जा रहा है तो उसमें ५ हजार से नीचे की जागीरें भी शामिल कर ली जायें और वे भी समाप्त करदी जायें। मैं यह कह देना चाहता हूँ कि प्रत्येक राष्ट्र या लोकतंत्र का कर्तव्य है कि वह सब को सुखी रखे। जब यह सिद्धान्त हम मानते हैं कि जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया जाय, तब प्रश्न यह होता है कि सब सिद्धान्त एक साथ कार्यान्वित किये जा सके, यह हो नहीं सकता। यदि आप यह मानते हैं कि सब सिद्धान्त एक साथ कार्यान्वित हो सकते हैं तो आज पूँजीवाद को प्रोत्साहन क्यों मिलता जा रहा है और वह घटने के बजाय क्यों बढ़ता जा रहा है? यदि आप इस सिद्धान्त को मानते तो पूँजीवाद को पहले खत्म करना चाहिये था। जब स्वर्गीय पटेल ने रियासतों को समाप्त करके राजाओं को पेन्शन दी तो उस समय जागीरदारों को उस समय क्यों नहीं साथ ही समाप्त किया? ऐसा नहीं करने का उद्देश्य यह था कि उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से एक साथ ही अशान्ति फैल जायगी। सबको बेकार नहीं बनाया जाय, इसलिये उन्होंने सबको एक साथ समाप्त नहीं किया।

और ५ बीघा या एक लाख बीघा जमीन जिसके पास है, उसको भी खत्म करें और जो कम्पेन्सेशन उनको मिलेगा वह खण्डशः किश्तों से मिलेगा। अगर किसी को १०० रुपया कम्पेन्सेशन मिलेगा तो किसी को ५, ७ रुपये उसको किश्त के मिलेंगे। इस छोटी सी रकम से उसको क्या सहायता मिलेगी? साथ ही उसकी जागीर चली जाने पर जो मुआवजा उसे मिलेगा वह इतना कम मिलेगा कि जिससे उसका रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकता। उसकी खुदकाश्त की समस्या भी हल नहीं हुई है। इन सब बातों को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जागीरदारी उन्मूलन करते समय इस बिल को ५००० से नीचे की जागीरों पर लागू नहीं किया जाय। अगर ५ हजार के नीचे की जागीरों को लिया जायगा तो एक तो वे सब बेकार हो जायेंगी और बेकार आदमी के बैठे रहने पर उसे सिवा गड़बड़ी और अपराध करने के कोई काम नहीं दिखाई देता। भूखों मरता वह फिर अपराध करेगा। क्योंकि :

"बुभुक्षितः किं न करोति पापम्।"

इससे अगर वह चोरी, धाड़े, डाके करे तो उसके लिये उनको क्या दोष दें? जब हम उनके पेट की ज्वाला शान्त नहीं कर सकते, तो ऐसी दशा में हम उनसे क्या आशा रखेंगे? यह भूखों

[श्री रूपनारायण शर्मा]

पर जिम्मेदारी है या भूखे रखने वालों पर जिम्मेवारी है ? अपनी आधी रोटी पर वे लोग शान्ति से बैठे हैं। आधी रोटी भी जब छीनी जायगी तो फिर वे क्या करेंगे ?

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ५००० से नीचे की जागीरों को खत्म नहीं किया जाय। सन् १९५२ में जो जागीरों के पुनर्ग्रहण का कानून पास किया गया था उसमें ५००० से नीचे की जागीरों को खत्म नहीं किया गया। आज ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई है ? क्या उन ५००० से नीचे के जागीरदारों की स्थिति में पहले से सुधार हो गया है ? क्या वे धनवान हो गये हैं या क्या सरकार ने उनको खुदकाश्त के लिये जमीनें दे दी हैं या उन्हें कोई काम बता दिये हैं जिसकी वजह से आज जिन जागीरों को ५२ के कानून में मुक्त रखा था उनको आज सरकार ले रही है ? ऐसी क्या नई स्थिति पैदा हो गई है ? क्या उनके पुनर्वास की सरकार ने व्यवस्था कर दी है ?

बड़े-बड़े जागीरदारों के लिये तो सरकार ने व्यवस्था कर दी है, उनको काफी अच्छी तादाद में खुदकाश्त की जमीन दे दी, उनके पास जमीन मौजूद भी है, उन्हें मुआवजा भी काफी मिल जायगा, परन्तु जिसके पास २००), १५०) रुपये की आमदनी की जमीन है वह क्या करेगा, किस तरह जीवन निर्वाह करेगा ? न तो वह बेचारा गरीब किसी का रक्त शोषण करता है और न किसी को सताता है तो क्या गवर्नमेंट यह चाहती है कि वह शान्ति से, सुख के साथ बैठा भी न रहे ?

न उसे कोई फौज में भर्ती करता है, न उसकी किसी अच्छे पद पर नियुक्ति हो सकती है, न वह व्यापार कर सकता है और न उसे कोई काम-धन्धा सरकार ने दे रखा है। तो उसके लिये सरकार ने क्या उपाय सोचा है कि जिससे वह अपना जीवन निर्वाह कर सकेगा ? अगर कोई उपाय पहले आपने सोच लिया होता तो आप यह कर सकते थे। यदि यह उपाय आपके पास नहीं है तो फिर भी आप उनकी जागीरों को क्यों छीनना चाहते हैं ? क्या आप देश में अशान्ति फैलाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं ? क्या आप इस तरह देश में अशान्ति फैलाना चाहते हैं ? इन लोगों को फौजों से निकाला गया तो क्या अशान्ति पैदा नहीं हुई थी ? कई डाकू हो गये, कई मुकाबिले हुए, कई मारे गए और इस तरह अशान्ति हुई। फिर आज आप लाखों आदमियों को उसी तरह बेकार कर रहे है। लोगों की रोज जेबें काटी जाती हैं। अगर आप चोर डाकू बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप जैसा चाहें वैसा करिये; नहीं तो उन बेचारों ने कोई ऐसा बुरा काम तो नहीं किया है कि उनके पास जो २००), १५०) रुपये की आमदनी की जो जमीनें हैं उनको भी आप छीन लें; यह तो कोई न्याय नहीं है।

उन लोगों को यह भी मालूम नहीं था कि हमारी जागीरें चली जायंगी। पहले के बिल में उनको मुक्त कर दिया गया था। वे लोग समझते थे कि गवर्नमेंट गरीबों के पक्ष में है। अब गवर्नमेंट उन गरीबों पर आघात कर रही है, तो वे लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट गरीबों की नहीं, धनवानों की है।

[श्री रूपनारायण शर्मा]

उनको पहले आपने मालूम भी नहीं होने दिया और आप एकदम उनकी जागीरें छीन रहे हैं; तो ऐसी दशा में एकदम सोता हुआ आदमी उठे तो वह मकान की छत पर से गिर सकता है और उसका प्राणान्त भी हो सकता है, गिरा हुआ आदमी किस जगह पहुँचेगा इसका किसी को कोई पता नहीं।

इसलिये गवर्नमेंट को उनकी स्थिति को हल करना चाहिये। जब तक गवर्नमेंट यह निश्चय नहीं कर सके कि उनको कितना रुपया देना है और जितना रुपया देना है वह रुपया हमारे पास है भी कि नहीं, और जब तक गवर्नमेंट उनके जीवन-निर्वाह का कोई प्रबन्ध नहीं कर देती तब तक के लिये उन लोगों को मुक्त रखना चाहिये। अगर यह व्यवस्था गवर्नमेंट सोच नहीं सकी है और बगैर यह व्यवस्था सोचे ही उनकी जागीरों को छीन रही है तो क्या यह गवर्नमेंट की दूरदर्शिता है, क्या यह गवर्नमेंट का उदार दृष्टिकोण है ?

इसलिये मैं फिर कहता हूँ कि ५००० हजार से नीचे की जागीर को अभी मुक्त रखें। देश में सुख और शान्ति हो और कल्याणकारी राज्य हो सकता हो, ऐसा काम करिये।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, इस तरमीम पर, जो कि सिरोही से आये हुए सदस्य ने इस सदन में पेश की है, पहले मैं समझता था कि उन्होंने यह तरमीम सिर्फ रखने के लिये ही रखी है और आशा थी कि इस सदन में जब इस तरमीम पर विचार होगा तो वे अपनी तरमीम वापिस ले लेंगे; परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि तरमीम वापिस लेना तो दूर रहा उन्होंने इस तरमीम पर जो भाषण दिया है उसको सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ है।

सिरोही से आने वाले वे साथी, जिन्होंने कि यह तरमीम रखी है, वे क्षत्रिय महासभा और राजस्थान सरकार के बीच जो समझौता हुआ उसमें शामिल रहे हैं। वे संयुक्त दल के मंत्री थे और मैं समझता हूँ कि अब भी हैं। मैं नहीं समझता कि उन्होंने अभी जो कुछ कहा है वह उनके व्यक्तिगत विचार समझे जायं या संयुक्त दल के विचार समझे जायं।

मैं क्षत्रिय महासभा की कार्यकारिणी के उस पत्र की तरफ सदन का ध्यान खींचना चाहता हूँ जो उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू को दिया था और जिसकी बिना पर राजस्थान सरकार और क्षत्रिय महासभा में इस बारे में बातचीत शुरू हुई थी। जो खत है उसमें महासभा की तरफ से कहा गया कि हम इस बात को मानते हैं कि आज के आधुनिक युग में हम इस बात में विश्वास करते हैं कि जागीरदारी प्रथा नहीं रह सकती, तो सहयोग से इसको खत्म किया जाय। इस पत्र की बिना पर राजस्थान सरकार और क्षत्रिय महासभा के बीच समझौते की बात-चीत शुरू हुई, कई कान्फ्रेन्सेज़ यहां, दिल्ली में और नैनीताल में हुईं और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आखिरी फैसला दिया।

इस तरमीम को पेश करके क्षत्रिय महासभा की जो बुनियाद थी उसकी जड़ को उखाड़ने की कोशिश की जाती है और यह कहा जाता है कि ५००० से नीचे की जागीरें देने का हमारा इरादा

[श्री मथुरादास माथुर]

नहीं था। हमने लिख कर दिया कि हम जागीरी प्रथा को खत्म करना चाहते हैं तो फिर अमली रूप नहीं दें तो यह कोई उचित बात नहीं। यदि वे इसे अमली रूप नहीं देना चाहते तो दूसरी तरफ से भी जो आपस में बात-चीत करके कई बातें तय की गई हैं, उनके लिये भी कहा जा सकता है। तो फिर यह पन्त रिपोर्ट यों ही रहेगी ? मैं समझता हूं कि जो साथी सिरोही से आये हैं उन्होंने जो भाषण दिया है, जोश में दिया है, वह उनकी खुद की राय है, क्षत्रिय महासभा की नहीं है।

क्षत्रिय महासभा की कार्यकारिणी ने जो लाइनें लिखीं और जो समझौते का कारण बनीं, वह पढ़कर सुनाता हूँ :

"Its (The Rajasthan Kshatriya Mahasabha's) Working Committee met on the 16th February, 1953 and in the light of informal discussions that had been going on with the Rajasthan Government in the past, resolved that in the interest of the country we should accept the principle of abolition of the Jagirdari and Zamindari systems in Rajasthan."

जब आपने इस समझौते को देश के हित के लिये मान लिया था तो मैं यह समझ रहा था कि इस बिल की बहस में कभी भी इस विषय पर ज्यादा बहस नहीं होगी और न उस समय उनकी मन्शा रही होगी कि ५००० से कम की जागीरों को खत्म नहीं किया जावे। यह तो मानी हुई बात थी कि जागीरें समाप्त की जावें और इसके साथ-साथ ५००० से कम की जागीरें भी समाप्त होंगी। सरकार व जागीरदार, दोनों ने मिल कर देश के हित में यह निश्चय किया था और उसी निश्चय के अनुसार देश के हित को मद्दे नजर रखते हुए कुछ ज्यादा सहूलियतें मिली हैं, इसलिये कि हम शान्त वातावरण में आगे बढ़ें और शान्ति से जागीरें समाप्त हो जावें। मौजूदा युग में यह एक मानी हुई बात है कि जागीरें रह नहीं सकतीं और जागीरी-प्रथा समाप्त होकर ही रहेगी। हमने यह सोचा कि यदि यह काम प्रेम और सद्भावना से हो जावे तो ज्यादा अच्छा है और इसीलिये हम लोगों ने यह कार्यवाही शुरू की। अब हम काफी इसमें आगे बढ़ चुके हैं। जब हम काफी आगे बढ़ चुके हैं तो इस वक्त यह दलील रखी जाती है कि ५००० से कम की जागीरें देने के लिये हम उस समय तैयार नहीं थे। अब आप इस सम्बन्ध में एक पेशी और मुकर्रर करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि एक पेशी और रखी जावे। जब यह सारा मामला तय हो चुका और बात-चीत हो चुकी तो उसके बाद अब आप यह कहें कि हमारा इरादा ५००० से कम की जागीरें देने का नहीं था, यह उचित नहीं। इसके अलावा मुझे अफसोस इस बात का है कि यह दलील देते समय हमको यह धमकी दी जाती है कि यदि ५००० की या ५००० से कम की जागीरों को समाप्त किया गया तो देश में अशांति फैल जावेगी। क्या इन दलीलों और धमकियों से ही आप चाहते हैं कि जागीरदारी प्रथा कायम रहनी चाहिये ? क्या इन दलीलों से ही आप यह चाहते हैं कि जागीरी प्रथा कायम रहे ? अगर किसी आर्थिक सिद्धान्त पर कोई बात आप हमारे सामने रखते या कोई बात हमारे सामने रखी जाती और अपील की जाती और विचार के लिये कोई सच्ची बात होती तो उस पर अवश्य कुछ सोचा जा सकता था, मगर इस बात

[श्री मथुरादास माथुर]

पर कि यदि ५००० या इनसे कम की जागीरें समाप्त कर दी जावेंगी तो अशांति फैल जावेगी, यह ठीक नहीं। यदि कोई भी उनका नुमायन्दा यहां पर हो तो वह कभी भी यह नहीं कहेगा कि हम अशांति पैदा कर देंगे। अशान्ति की बात जागीरी प्रथा से दूर रखी जावे। हमारे यहां जागीरदारी प्रथा के रहते हुए भी सन् १९५२-५३ में कितनी अशांति हुई, कितनी डकैतियें हुई, इतिहास इस बात को बताता है। हर सप्ताह दो-तीन डकैतियें होती थीं। जिस समय इस प्रकार डकैतियें हुआ करती थीं और अशान्ति थी उस समय विरोधी दल के नेता ने बार-बार यहां अपील की कि हम इस अशान्ति को मिटाने में पूरा-पूरा सरकार का सहयोग देंगे, अशांति को सबसे पहले मिटाया जावे। जब जागीरें रहते हुए भी इस प्रकार से अशांति थी तो अब जागीरें समाप्त होने के बाद इस बात की कौन गारेन्टी लेता है कि अशांति नहीं होगी, शान्ति ही बनी रहेगी। मैं नहीं समझता की कोई भी ईमानदार व्यक्ति इस बात की जिम्मेदारी ले सकता है कि शांति रहेगी, अशांति नहीं होगी। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह दलील नहीं रखी जावे कि ५००० की जागीरें नहीं रखी गई तो देश में अशांति हो जावेगी और उनका रखना देश के हित में ठीक है। मौजूदा समय की रफ्तार को देखते हुए और आर्थिक ढांचे को देखते हुए जागीरें कायम नहीं रह सकतीं। इनको जल्दी से खत्म करना चाहिये। पंच-वर्षीय योजना में हम कुछ काम करना चाहते हैं। मैं यह कहूँगा कि ५००० से कम की जागीरों को अगर राजस्थान सरकार भी रखना चाहे तब भी वे नहीं रख सकतीं क्योंकि यह समय का तकाजा है, देश की हालत ही ऐसी बन गई है। कौनसी ऐसी पार्टी है जो जागीरदारी को कायम रखना चाहती है? क्षत्रिय महासभा जैसी पार्टी, जो राजपूतों की एक सभा है, एक प्रतिक्रियावादी जमात है उसने भी अब यह कह दिया कि जागीरी प्रथा समाप्त होनी चाहिये। जब वह भी इस बात को मंजूर करती है कि जागीरी प्रथा समाप्त होनी चाहिये तो फिर कौनसी पार्टी है जो इसको रखना चाहती है। अगर आज १९५४ में इस सदन में बैठे हुए लोग इस प्रकार की दलील हमारे सामने रखते हैं तो मैं उनको यह कहूँगा कि हमें जमाने की हवा के साथ चलना चाहिये और यह देखना चाहिये कि जमाने की हवा किधर है। जो जमाने की हवा के साथ सदन को चलाता है और चलेगा वही जिन्दा रह सकता है।

सदन में विरोधी पक्ष के सदस्यों की तरफ से एक तरफ से यह कहा जाता है कि सीलिंग मुकर्रर किया जावे। इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक कमेटी मुकर्रर की है। वह कमेटी हर परगने में अपना दौरा करेगी और जाकर जांच करेगी कि किसके पास कितनी जमीन ज्यादा है और कितनी जमीन किसके पास रहनी चाहिये। कहीं १२ महीनों में जाकर सीलिंग मुकर्रर होगा। एक तरफ तो आप सीलिंग मुकर्रर करने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि ५००० से कम आय की जागीरें कायम रखी जावें। मैं समझता हूँ कि ये दो बातें एक साथ कैसे की जा सकती हैं। जागीरदारी प्रथा अब रह नहीं सकती, यह बात क्षत्रिय महासभा ने साफ समझ ली है। उन्होंने यह भी समझ लिया कि अब किसानों को बेदखल करना भी उचित नहीं होगा। इस समझौते को इधर और उधर के लोगों........('हियर-हियर' की ध्वनियों के कारण अश्रव्य)........।

कि जो छोटे जागीरदार हैं, भोमियें हैं उनको १८ गुना तक इमदाद देने के लिये हम बराबर तैयार हैं, कम्पेन्सेशन देकर बचाने के लिये तैयार हैं, उनको जमीन देने के लिये तैयार हैं।

[श्री मथुरादास माथुर]

लेकिन हम यह नहीं कर सकते कि किसानों के झोंपड़े बरबाद किये जावें और उनकी जगह जागीरदार को आबाद किया जावे। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। हम बराबर चाहते हैं कि जो बातें रिपोर्ट में लिखी हैं उनको हम बराबर मानें और जो बातें इस रिपोर्ट में लिखी गई हैं उनको मानने के लिये हम जवाबदार हैं। पंतजी ने यह साफ कहा है कि किसान बेदखल न हों, इसके लिये जागीर कमिश्नर मुकर्रर किया जावे और जहां कहीं इस प्रकार के झगड़े हों वे आपसी समझौते से हल कर लिये जावें। उन्होंने उस कमिश्नर को भी झगड़ों का अन्तिम फैसला करने का कोई हक नहीं दिया है, वह भी किसानों को बेदखल नहीं कर सकता। जब प्लानिंग कमीशन (अश्रव्य)........

आज से ५–६ साल पहले १ अप्रेल, १६४६ में हिन्दुस्तान की हालत क्या थी। राजे-महाराजे थे उस वक्त प्रजातन्त्र का दौर नहीं था, उस वक्त जोधपुर में एक एक्ट पास हुआ, टीनेंसी एक्ट, कि जो लोग खेती करते हैं वे वहां के खातेदार समझे जावेंगे। आज हम ६ वर्ष बाद १६५४ में यह सोचें कि खातेदारी को हटा दें तो नहीं हटा सकते। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज क्षत्रिय महासभा और सरकार समझौता करती है कि देश के हित के लिये जागीरी प्रथा समाप्त होनी चाहिये और समाज का समस्त ढांचा बदलना चाहिये, खतौनी होनी चाहिये और हमारे किसानों को उनके हक मिलने चाहिये। इसी ढांचे में रह कर हम आगे चल सकते हैं। मैं आपको तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि हम पन्तजी की रिपोर्ट, पन्तजी के एवार्ड को मानने के जिम्मेदार हैं। आप भी इस एवार्ड को न तोड़ें। आप उनके शब्दों को पढ़ लें। मैंने इस रिपोर्ट को बाइबल की तरह पढ़ा है और आज भी पढ़कर आया हूँ। यह आसमानी किताब मेरे पास मौजूद है। आप इसको गौर से पढ़ें। यदि हम इसके खिलाफ जावें तो हम इसके जवाबदार हैं। मगर उधर से दूसरी ही आवाज आती है। मैं यह कहूँगा कि जो बात नैनीताल में हुई है उसको आपने मंजूर किया है, उस पर आप कायम रहें और जो बात-चीत प्रेम से चल रही है उसको चलने दें और इस कानून को पास करें।

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री जवानसिंह—अभी मुझ से पूर्व वक्ता ने मेरे सम्बन्ध में जो बातें कहीं कि मैं भी समझौते में शरीक था, तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इन कार्यवाहियों में मैं कहाँ तक शरीक रहा और जो वार्ता राजस्थान सरकार और क्षत्रिय महासभा में हुई उसमें मैंने उस हैसियत में कहाँ पर कार्य किया, इस सिलसिले में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ।

पहली बात यह है कि जिस प्रिज़म्प्शन (presumption) के आधार पर यह कहा जाता है कि मैंने खास तौर से क्षत्रिय महासभा के सदस्य होने के नाते, न तो मैंने कभी काम किया और न मैं कभी उसका सदस्य रहा हूँ और न मैंने इस वार्तालाप में कभी किसी हैसियत में मीटिंग एटेन्ड की है। पहला जो आधार मान कर मेरे पूर्ववक्ता चले हैं, वह बिलकुल गलत है।

दूसरी चीज मेरे सम्बन्ध में यह कही है कि संयुक्त दल के मंत्री होने के नाते मैंने कुछ किया। मैं सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बात पैदा होती है उसका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्षत्रिय महासभा और जागीरदारों ने सरकार से कोई वार्तालाप किया होगा।

[श्री जवानसिंह]

इस बारे में कु॰ जसवन्तसिंहजी ने किसी तरह की बात-चीत में भाग लिया होगा, तो उन्होंने राजपूत क्षत्रिय महासभा के निगोशिएशन कमेटी के सदस्य होने के नाते काम किया होगा।

मैंने कभी भी किसी वार्तालाप में भाग नहीं लिया और जो कुछ भी उन्होंने लक्ष्य किया है मेरे प्रति, राजस्थान संयुक्त दल के मन्त्री होने के नाते, राजस्थान क्षत्रिय महा सभा का सदस्य होने के नाते, उसका मैं माननीय अध्यक्ष, कान्ट्राडिक्शन करता हूँ कि ये दोनों चीजें जो कही गई हैं वे गलत कही गई हैं और सदन को गुमराह करने के लिए कही गई हैं।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस विषय पर मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जनरल डिबेट के वक्त मैं इस विषय पर काफी बोल चुका था। अब मैंने सदन का थोड़ा सा समय लेना आवश्यक समझा कि जब मैंने मेरे मित्र और पुराने साथी माननीय मथुरादासजी का ओजस्वी भाषण सुना तो मैंने यह समझा कि कुछ गलतफहमियों हो गई हैं इसलिए उनको दूर करना जरूरी है। कुछ गलतफहमियों को तो मेरे साथी जवानसिंहजी ने दूर कर दिया था और कुछ को मैं दूर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर डबल स्टेटस में बोल रहा हूँ। एक तो क्षत्रिय महा सभा का पुराना वर्कर होने के नाते, भाग्य से या दुर्भाग्य से उनकी वर्किंग कमेटी समझ लीजिये या हाईकमान्ड समझ लीजिए, उसमें भी मेरा कुछ स्थान है और दूसरा संयुक्त दल में एक स्थान मेरे साथियों द्वारा मुझे प्रदान किया गया है उस हैसियत से भी माननीय अध्यक्ष, मैं साफ बतलाना चाहता हूँ कि राजस्थान क्षत्रिय महासभा एक उस वर्ग की संस्था है जिसने अपने वादों और ज़बान पर हमेशा, सदियों से एक बड़ा मूल्य रखा है और अगर राजस्थान क्षत्रिय महासभा ने जो कुछ भी सरकार के साथ या किसी व्यक्ति के साथ एक बात तय कर ली है, या वादा दे दिया है तो चाहे दुनियाँ उलट-पलट हो जाय वे अपने वादे से कभी नहीं हटेंगे।

(राज्य पक्ष द्वारा 'हियर-हियर की आवाज़)

मैं इस विषय को साफ कर देना चाहता हूँ कि पाँच हजार या उससे कम की जागीरों के सवाल ने इसलिए महत्ता प्राप्त कर ली है कि अगले महीने तक, दो महीने पहले तक हमारे निगोशियेशन्स हो रहे थे, राजस्थान क्षत्रिय महासभा, राजस्थान सरकार और कॉंग्रेस के, जिसमें भारत सरकार के उच्च कांग्रेसी नेता भी थे, उनके बीच बातचीत चल रही थी। उस वक्त पाँच हजार की आमदनी वाली जागीरों और उससे कम की जागीरों के रिज़्यूम करने का सवाल कभी भी हमारे सामने नहीं था। यह बिलकुल साफ है और मैं इसको प्रकट करना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि माननीय सुखाड़ियाजी भी इस बात को साफ करेंगे। चेप्टर पाँच में जो रिज़म्पशन का सवाल है अब तक दो महीने पहिले तक यह सवाल पण्डित पंत के सामने, या पण्डित नेहरू के सामने या हमारे सामने नहीं था कि पाँच हजार की जागीरें या उससे कम आमदनी वाली जागीरें फौरन इन बड़ी जागीरों के साथ रिज़्यूम कर ली जावेगी। माननीय अध्यक्ष, मैं इस सिलसिले में बताऊँ कि हम दो महीने पहिले

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

दिल्ली में अकस्मात् किसी कारण से थे। वहाँ भी यह सवाल आया। वहाँ माननीय सुखाड़ियाजी, माननीय मुख्य मन्त्रीजी और दूसरे लोग भी मौजूद थे। वहाँ यह कहा गया कि संसार का वातावरण ऐसा बन गया है कि किसी प्रकार की जागीरें कायम रहना उचित नहीं होगा जो चाहे पाँच हजार की या उससे कम की हों। कांग्रेस भाइयों की यही राय थी कि पाँच हजार की या उससे कम की जागीरें इस एक्ट में शामिल अब की जाय। उस वक्त भी हमने यह निवेदन किया कि हम यह साफ मानते हैं, सिद्धान्त पर राजस्थान क्षत्रिय महासभा यह तय कर चुकी है कि मौजूदा समय में जागीरें जागीरों की रूप में नहीं रह सकतीं। हम पोजिशन से रिज़ाइल नहीं कर रहे हैं। हम इस बात पर अटल हैं कि वह समय आगया है कि जागीरें नहीं रह सकतीं क्योंकि जब राजा लोग ही नहीं रहे तो जागीरें, जिनके आधार पर कि वे मिली थीं, कैसे रह सकती है? तो जागीरें रहना नामुमकिन है, यह बात हम समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यह था कि पाँच हजार या उससे कम वाली जागीरों को न लिया जाकर बड़ी जागीरों को पहले लिया जाय। अब इससे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और इससे देश की क्या हालत हो जायगी? चोरी-डकैती का सवाल एक मिसाल के रूप में आ जाता है और मैंने अपने पहले भाषण में, जो कि दो-तीन दिन पहले सदन में दिया था साफ बतला दिया था कि हम शान रखते हैं और मान रखते हैं और जागीरदार एक उस वर्ग के हैं जो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जिससे उसके नाम पर लाञ्छन आवे और देश को हानि हो। लेकिन उसके साथ-साथ जो एक गंभीर समस्या पैदा होने वाली है उसके प्रति सरकार का ध्यान दिलाया गया है। मैं यह निवेदन करूँ माननीय अध्यक्ष, कि जब से हमारी बातचीत हो रही है उससे, उस पोजिशन से हमने कभी रिजाइन नहीं किया है और पाँच हजार की जागीरों के सम्बन्ध में दो महीने पहले जब सवाल आया था तो पाँच हजार की जागीरें और उससे कम की जागीरों के नुमाइन्दे, प्रतिनिधि हैं जो अब तक खयाल कर रहे थे कि जब तक कि पाँच हजार से ऊपर वाली जागीरों का मसला हल नहीं हो जायगा तब तक उससे कम की, यानि पाँच हजार या उससे कम की जागीरों को लेने से बड़ी समस्यायें पैदा होने वाली हैं जिससे देश का अहित हो सकता है। मेरे मित्र माननीय, मथुरादासजी को यह बताऊँ कि न धमकी देने का सवाल है, न अशान्ति फैलाने का सवाल है और न बहकने का ही सवाल है, लेकिन यह बहुत बड़ी तादाद के वर्ग के पेट का सवाल है। वह धमकी न समझें। मैं आपसे निवेदन करूँ कि शान्त दिमाग से और शान्त दिल से इस पर सहृदयतापूर्वक ध्यान दें। पाँच हजार से कम जागीर वाले जागीरदारों की तादाद लाखों की होगी। उनके लिए कम्पेन्सेशन और खुदकाश्त के लिए काफी जोर दे रहे है और पन्तजी की रिपोर्ट को बाइबल समझ रहे हैं। हमको यह सुन कर खुशी होती है कि इस रिपोर्ट को इतना पवित्र समझ रहे हैं और इजेक्टमेन्ट पर कोई जोर नहीं दे रहे हैं, किन्तु हमें एतराज है जो यह है कि इस क्लॉज़ के साथ इस वर्ग की तरफ कुछ साथी जो उधर (राज्य पक्ष) की तरफ बैठे हैं, बड़े प्रेज्युडिस्ड हैं। पाँच हजार और उससे नीचे की आमदनी वाली जागीरों के लिए मैं आपको बताऊँ कि वे उतने ही पूरे किसान हैं जितने कि हमारे किसान भाई हैं। आप उनसे इतने प्रिज्युडिस्ड हो गये हैं कि किसानों के वर्ग से भी उनको हटाया जा रहा है और इसके लिए हमें

[कु॰ श्री जसवन्तसिंह]

सबसे बड़ा ऐतराज है । यह बात हमारे साथियों को मन्जूर है कि जागीरदार जो कल तक घरों के मालिक थे, जमीनों के मालिक थे, उनको मंगतों (भिखमंगों) की तरह घर से निकल कर, जिस प्रकार कि किसी के घर पर डिक्री होकर अटेचमेन्ट होता है उसी प्रकार उनके माल-असबाब को भी सड़क पर फैंक दिया जाय । उनके प्रति आपको कोई रहम नहीं है । लेकिन दूसरी तरफ जिनका कल तक जमीन पर हक नहीं था, केवल एक रात में ही जिनका हक हो गया है, उसको मालिक बनाया जाय, उसको मदद दी जाय, एनकरेज (encourage) किया जाय, इस वजह से ऐसा करने से पोलिटिकल पर्टी को मदद होगी । अतः जो सबसे बड़ा ऐतराज है वह हमको इस बात पर है कि यदि आपको इस समस्या को हल करना है तो जितनी भारतीय प्रजा है उसको एक दृष्टि से देखें, चाहे वे जागीरदार हों, चाहे वे किसान हों और चाहे वे और कोई हों । किसान की परिभाषा में और छोटे जागीरदार की परिभाषा में जो अन्तर दिखाया जा रहा है वह आर्टिफिशियल अन्तर है और वह कोई माने नहीं रखता है । जो एतराज है वह यह है कि एक नया वर्ग क्रियेट (create) किया जा रहा है और उसकी इमदाद के लिए राजस्थान सरकार की ताकत ही नहीं लगाई जा रही है वरन् हिन्दुस्तान के सबसे बड़े राजनैतिक दल की ताकत एक वर्ग विशेष के पीछे लगाई जा रही है, केवल दूसरे वर्ग को दबाने के लिए, उनको होमलेस (Homeless) बनाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए जो मनोभावना हम हाउस में देख रहे हैं उसके प्रति हमें एतराज है ।

श्री **मथुरादास माथुर**--जो आप दोहराना चाहते हैं वह मनोभावना नहीं है । आप इसको क्यों बढ़ा रहे हैं ?

श्री **गोपीलाल यादव**—दोहराने से क्या पैदा हो जायगी ?

मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि मनोभावना इसलिये हो रही है कि कल के दिन तक जो किसान थे उनको किसान न मानकर दूसरे वर्ग को किसान माना जा रहा है, जिससे इतनी बड़ी समस्या लाखों की तादाद में उन लोगों को रिहेबिलिटेट (पुनःस्थापित) करने का सवाल हमारे सामने आने वाला है । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि पहले आप पाँच हजार से ऊपर वाली जागीरों को लीजिये । बड़े जागीरदार जो हैं उनको आप अच्छी तरह से निपटा दीजिये और फिर बाद में समय आने पर धीरे-धीरे पाँच हजार तक की जागीरों को भी लीजिये । जागीर एबोलिशन को क्षत्रिय महासभा ने भी पूरी तरह से मान लिया है, लेकिन हम यह कहते हैं कि शनैःशनैः जब आप इनको रिहेबिलिटेड कर लें उसके बाद में उन पर हाथ डालिये, ताकि आप लाखों की तादाद में जो लोग होमलेस हो जायेंगे उनकी समस्या को हल कर सकेंगे । आज हम बिना सोचे-विचारे उन लोगों को बेघरबार कर देंगे तो यह हमारे राजस्थान सरकार के लिए एक विकट समस्या हो जायगी । मैं माननीय अध्यक्ष, सदन से अर्ज करूंगा कि इस समय जान-बूझ कर यह किया जा रहा है कि ५००० से कम की जागीरों

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

को भी समाप्त कर दिया जाय। हम यह सिद्धान्त मानते हैं कि जागीरें नहीं रहनी चाहिये, आप जरूर इन जागीरों को लीजिये किन्तु आज ५००० तक की जागीरों को लेने का समय नहीं आया है। मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आपके पास ताकत है, आप मेजोरिटी में हैं, आप चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं, किन्तु आज यह समय ५००० से नीचे की जागीरों के समाप्त करने का नहीं है। यदि आपने अपनी ताकत और मेजोरिटी पर इसको कर दिया तो यह समस्या भयंकर होगी और इससे सरकार को भी दिक्कतें होंगी। उस समय शान्ति का भी सवाल उपस्थित हो सकता है क्योंकि 'भूखा क्या न करता'। लाखों की तादाद में एक वर्ग विशेष अपरूटेड हो जायगा तो उसको बसाने के लिये, उसको काम पर लगाने के लिये सरकार सोचे-समझे। उनको मौका दिया जाय ताकि वे अपना जीवन-निर्वाह अच्छी तरह कर सकें। राजस्थान क्षत्रिय महासभा ने जो कुछ तय किया है हम उससे वापिस नहीं हट रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं समझ रहा था कि इस क्लॉज़ पर काफी चर्चा हो चुकी है और अब मुझे इस पर कुछ कहना आवश्यक हो गया है। पांच हजार के नीचे की जागीरों को लेने के सम्बन्ध में यह कहा गया कि शुरू में इस तरह की कोई बात-चीत नहीं थी और यह प्रश्न अचानक खड़ा हुआ। इस सम्बन्ध में मैं सदन में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। बात-चीत की शुरूआत में हम लोगों की तरफ से इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि हम जागीरी समस्या पर जब विचार कर रहे हैं तो सारी की सारी जागीरों को हमें एक साथ लेना है। यह हो सकता है कि बात-चीत के दौरान में जो दूसरे पक्ष ने भाग लिया उन्होंने शायद इस बात को गम्भीरता से न लिया हो। मैं किसी की नीयत पर दोषारोपण नहीं करना चाहता किन्तु मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जब हमारी इस प्रकार की वार्ता चली तो हमने स्पष्ट तोर से यह कहा था कि सारी समस्या को हमें हल करना है। अलग-अलग जगह मिले उस समय इस बात को दोहराया गया था। पंतजी के सामने भी हमने सारी चर्चायें कीं, खुदकाश्त के बारे में भी हमने सारी बातें कीं। इस सम्बन्ध में हमने छोटे-छोटे जागीरदारों के साथ-साथ बड़े-बड़े जागीरदारों के बारे में जो विचार करना था, वह विचार किया। असेसमेंट के बारे में भी विचार किया गया। खुदकाश्त में क्या कन्सेशन्स दिये जांय इस बारे में भी विचार किया। इन सारी बातों से यह स्पष्ट जाहिर है कि हम लोगों ने साफ तौर से सोच-समझकर इस ओर कदम उठाया है। हम सारी समस्या को एक साथ सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसी दृष्टि से हम विचार भी कर रहे हैं। जब यह कानून बनाया जाने लगा, इस कानून का स्वरूप बन गया तो उस समय हमारे सामने यह बात आई और क्षत्रिय महासभा भी यह मानकर चली कि छोटे जागीरदारों को लेने का प्रश्न तय नहीं किया गया, लेकिन पंतजी की पहली रिपोर्ट के अन्दर उसका जिक्र तक नहीं आया। इसका कारण यह था कि जिन बातों को इश्यूज़ (issues) बनाकर चर्चा नहीं की उसका समावेश नहीं किया गया। किन्तु यह सर्वमान्य बात थी कि सोच समझ कर चलें, यही बात हमने बराबर कही। हम यह मानकर चले कि ५००० के नीचे की जागीरों के प्रश्न को भी तय किया जाय। बाद में जब काफी कहा गया तो हमने इस बात को स्वीकार किया कि हमें इस बारे में चर्चा करना स्वीकार है, हमें किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा। एक बार इन सब बातों को पंतजी के सामने रख दिया जाय और फिर उस पर निर्णय किया जाय। मैंने जैसा

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

कि पहले कहा इस बारे में हमने पंतजी के सामने जिक्र किया। यह बात सारे हिन्दुस्तान के लोग जानते हैं कि पंतजी के साथ इस सम्बन्ध में बात-चीत की गई २७ तारीख को नेनीताल के अन्दर, २७ मई को इस विषय में बात-चीत की गई। इस सम्बन्ध में पंतजी ने निर्णय दिया। उनके निर्णय से हम अपने को अलग नहीं कर सकते। हारे निर्णय पंतजी के निर्णय हैं। इस रिपोर्ट को मानकर चलना चाहिये।

श्री जवानसिंह—क्या वह रिपोर्ट आपने शाया की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—शाया नहीं की गई, यह मैं मानता हूँ। किन्तु इस बात को तमाम हिन्दुस्तान के लोग जानते हैं। वहाँ पर जो फैसले हुए वह अखबारों के अन्दर छपे हैं जिनको सब जानते हैं। माननीय सदस्य भी इस बात को जानते हैं और यह जानते हुए भी यह बातें कहें कि पन्तजी के साथ इस सम्बन्ध में कोई बात-चीत नहीं हुई तो इस प्रकार सदन में यह कह दें तो मैं मान लूंगा।

श्री जवानसिंह—जो कुछ भी इस सम्बन्ध में अखबारों में निकला उसे देखा है, किन्तु उसे हम ऑथेन्टिक [authentic] नहीं मान सकते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(अपना भाषण जारी रखते हुए) यह तो एक कहने का तरीका है कि ऑथेन्टिक रूप में हमारे सामने नहीं आया, केवल अखबारों में निकलने से उस बात को कैसे स्वीकार करें ? मैं आपको ऑथेन्टिक रूप में बता देना चाहता हूँ, पंतजी ने इस संबन्ध में जो कहा है। पन्तजी ने कहा है—

"Last year at a similar conference the questions relating to the abolition of Jagirs in cases where the gross income of the Jagirdars exceeded Rs. 5000/— were discussed and settled. In this meeting the question of jagirs over an income of Rs. 5000/—or less was considered and it was decided that the Jagirdari should be abolished in the lower income group also."

तो, मैं समझता हूँ कि इस चीज को सुनने के बाद यह कहने की तो कम से कम गुंजाइश नहीं रहेगी। यह भी कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी कि पाँच हजार से नीचे की जागीरों के संबन्ध में पन्तजी द्वारा कोई फैसला नहीं हुआ। पन्तजी द्वारा इस सम्बन्ध में फैसला कर दिया गया है। "definitely they should be abolished" ये शब्द काम में लिए गये हैं, सारी चीजों को उनके सामने तय किया गया, इसके बाद भी यह बार बार बात कही जाती है कि पाँच हजार से नीचे की जागीरों को अबोलिश abolish करने से राज्य में अशान्ति पैदा हो जायगी, मैं उचित नहीं समझता। मैं.....

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अशान्ति नहीं, अनएम्पलायमेंट।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अनएम्प्लोयमेंट (unemployment) पैदा होगा, अशान्ति पैदा होगी वगैरह वगैरह जो बातें कही गई हैं उनके लिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान को लीजिये या हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से को लीजिए, बेकारी की समस्या न केवल किसी वर्ग विशेष में ही है बल्कि आम लोगों में विद्यमान है। सारे हिन्दुस्तान में बेकारी की समस्या जब विद्यमान है तो केवल जागीरी प्रथा के समाप्त करने के कारण कोई परिस्थिति ऐसी पैदा नहीं होगी। क्योंकि एक प्रथा समाप्त की जा रही है, उससे कुछ असर जरूर पैदा होगा, यह निश्चित तौर से मानकर चलते हैं। लेकिन इस समाज में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इतने साधन हैं कि जो उनके पास नहीं होने चाहिये। इस प्रकार के साधन होते हुए भी उन्हें इस प्रकार की चर्चायें नहीं करनी चाहिये कि देश के अन्दर अशान्ति हो जायगी और कुछ मित्रों ने कहा कि डकैतियाँ भी होने लग जायंगी। जागीरी प्रथा की समाप्ति के साथ साथ डकैतियों के प्रश्न को जोड़ना कभी न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। जागीरी प्रथा को समाप्त किया जा रहा है तो इस तरह से जाहिरा तौर पर यह कह देना कि इस प्रथा की समाप्ति से डकैतियाँ होने लगेंगी, यह जो बात है यह उन तत्वों में असर पैदा कर सकती है और इस प्रकार के असर से डकैतियों का जोर बढ़ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रथा की समाप्ति के साथ डकैतियों की चर्चा करना, अशान्ति की बातें कहना न्याययुक्त नहीं होगा। आपको तो इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिये कि इस समझौते का पालन ठीक तरह से हो सके। कई बार बाजार में जब व्यापारी मिलते हैं तो उनके मुख से यह सुना जाता है कि आजकल तो व्यापार बहुत मन्दा पड़ गया और जब उनसे किसी ने पूछा कि आखिर हुआ क्या, तो वे कहते हैं कि पहले हजारों का मुनाफा रहता था किन्तु आज बहुत कम आमदनी होने लगी है। तो उसने कहा, अब ब्लेक मार्केट का मार्जिन छोड़ दो और फिर देखो कि कितना अन्तर हुआ ? इसी चीज़ को हमें यहाँ मानकर चलना चाहिये। सामन्ती जमाने में जो दमन इस प्रथा के कारण था अगर उसके समाप्त होने से खुशहाली आती है तो हमको खुशहाली के मुकाबले एक स्थिति के परिवर्तन के कारण दिक्कतें हो सकती हैं, किन्तु यह कहना कतई वाजिब नहीं कि पहले की स्थिति कायम रहनी चाहिये, वाजिब बात नहीं। पहले शासन में किसी जगह आधा बाँटा था, किसी जगह तीसरा बाँटा था, इस प्रकार की सोसाइटी थी किन्तु अब नकदी रूप में लगान कायम कर देने से पहले की स्थिति नहीं रहनी है। नकदी तौर पर लगान कायम होगा तो जो २५०) रु० की आमदनी पर ली जायगी तो उसको हमने १५ साल तक वर्क आउट करके देखा है। तो उसको २२५) रुपये का कम्पेनसेशन हर साल मिलता रहेगा।

२५०) रुपये की आमदनी वाले को २२५) रुपया कम्पेन्सेशन मिलता रहे, उस पर भी यह कहा जावे कि लाखों बेरोजगार हो गए, लुट गए, बरबाद हो गए, तो यह कहाँ तक न्यायसंगत है। जब उनको २५०) के बदले में २२५) रु०, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झगड़े-झंझट के, बिना मेहनत के, अगर वह कहीं नौकरी करना चाहे तो करे, अपनी खेती करना चाहे तो करे, कहीं बाहर जाकर कोई भी धन्धा करना चाहे तो करे, सुविधा के इतने अवसर उसे दिये जाँए और कोई परेशानी के बगैर अपनी जो गई हुई जागीर है उसके बदले में इतना कम्पेन्सेशन घर बैठे मिल जावे, बिना किसी हैरानी-परेशानी के ऐसी स्थिति में। मैं समझता हूँ कि ऐसा कहने का अवसर नहीं होना चाहिए कि उनकी स्थिति कहीं कुछ की कुछ हो जावेगी।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

यह हवा पैदा करना कि इससे राजपूतों का नुकसान होने वाला है और ऐसी हवा पैदा करके जिस सद्भावनामय वातावरण के बनाने की हम चर्चा करते हैं वह वातावरण ऐसी हवा पैदा करने से नहीं बनने वाला है और इस हवा से उनको ही नुकसान होने वाला है। भड़काने वालों के भड़काने में आकर अगर आज वे कोई विपरीत बात करते हैं और इस सद्भावना के वातावरण को बिगाड़ते हैं तो इसका नुकसान उन्हें ही होगा और फिर वे पछतावेंगे और कहेंगे कि भड़काने वालों ने हमें बेकार में भड़काया। मैं समझता हूँ कि इतना कम्पेन्सेशन का प्रावीजन रखने वाला यह बिल और इसी प्रकार की दूसरी सहूलियतों और सुविधाओं को प्रोवाइड करने वाला बिल किसी के असन्तोष का कारण नहीं होना चाहिए। ये सब सहूलियतें हमने इस बिल में निश्चित तौर से यह समझ कर दी हैं कि राजस्थान में यह जागीरदारी उन्मूलन का कार्य शान्ति से सम्पन्न हो।

लेकिन अगर आप व्यावहारिक रूप से इसके नुक्स कुछ और बतावें तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो कुछ किया गया है अब तक वह आगे चलकर क्रियात्मक रूप में जब आवे तो सफल प्रयोग साबित हो। तो इस दृष्टि से हमें मिलकर इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए।

आगे पाँच हजार से नीचे की जागीरें समाप्त करने के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं गई हैं। इस बारे में मैं निवेदन कर दूं कि इस बिल में इस चीज की सारी की सारी गुंजाइश है कि जिससे समय पर इन सबका रिहेबिलिटेशन कर पावें। पर इस बारे में यह कहना कि आज की स्थिति से बद-तर स्थिति इनकी हो जावेगी, यह सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए और सही स्थिति को समझना चाहिये। यह जो अमेंडमेंट विधेयक सरकार की ओर से पेश किया गया है सारे देश की और राजस्थान की इस सम्बन्धी सारी परिस्थितियों को देखकर बनाया गया है और बाद में हम इसे यहाँ लाए हैं। आज इसको लेकर काल्पनिक भावी अशान्ति की चर्चा आप करते हैं। मैं इसके बारे में आपसे अर्ज करता हूँ कि हमें आज भी तोरावाटी, उदयपुरवाटी, शेखावाटी के किसानों से लगान भोमियों को दिलवाने के लिए काफी इन्तजाम करना पड़ रहा है। लगान वसूली में ये दोनों आपस में कहीं टकरा न जावें, इनमें आपस में कहीं खून-खराबी न हो जावे, जैसा कि वहाँ एक परम्परा सी इसकी पड़ गई है, हर साल वहाँ यही किस्से होते हैं, तो इस कारण से सरकार को वहां लगान वसूल करवाना पड़ता है। एक दूसरे से मिलकर, समझा-बुझाकर हम काम चालू रख रहे हैं और इसकी पूरी सावधानी बरत रहे हैं कि कहीं इनमें आपस में झगड़ा न हो जावे। बाकी आपने और हमने देखा है कि क्या आज जिस अशान्ति के हो जाने की आशंका की बात आप कहते हैं तो आज तक पहले भी अशान्ति नहीं रही थी? क्या आपस में झगड़े नहीं हुए? तो यह साफ बात है कि ये झगड़े और अशान्ति तो शासन की व्यवस्था की कमी की वजह से थीं। व्यवस्था ठीक नहीं थी इसलिए इस व्यवस्था में परिवर्तन करने की बात आती है और इस सदन के जो जिम्मेदार सदस्य हैं उनके लिए तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि वे इस बात में प्रयत्नशील हों कि जो कुछ तय किया गया है उसको कार्यान्वित करने के लिए यहाँ पर भी

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

भाषा के संयम के द्वारा इसमें सहयोग दें और बाहर अपने-अपने क्षेत्रों में भी ऐसा ही वातावरण बनाये रखने में सहयोग दें। बाहर भी और यहाँ भी अच्छा यह है कि हम इस और ऐसी ही बातों को कहें जिससे वातावरण के सुधरने में सहायता मिले, बजाय इसके कि हम यह कहें कि इससे अशान्ति और अव्यवस्था और झगड़े पैदा होंगे और बहुत हद तक सरकार को धमकी देने का भी प्रयत्न किया जावे। मैं समझता हूँ कि सभी माननीय सदस्य अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अपनी-अपनी कॉन्स्टीटयुएन्सीज़ में ऐसी ही बातें कहें और स्वस्थ वातावरण कायम रखने में सहायता दें। पर अगर आप यहाँ सदन में इस तरह की बातें इस इरादे से कहें कि अपनी-अपनी कॉन्स्टीटयुएन्सीज़ में जाकर इन्हें पहुँचाएं तो यह कोई शुभ लक्ष्य नहीं है। इस दृष्टि से अगर कोई बात कही जाती है तो मैं निवेदन कर दूँ कि इसके कहने से लाभ के बदले हानि की अधिक सम्भावना है, यह आप निश्चित मान कर चलिये। आप यह बिलकुल निश्चित मानकर चलें कि अगर आप उभाड़ने का प्रयत्न करेंगे उनको तो एक रोज वे स्वयं इसके लिए पछतावेंगे और जिनको उभाड़ेंगे उनको तो हानि होगी ही, उभाड़ने वाले भी स्वयं अन्त में पछतावेंगे, जैसे बहुत से आज कहते हैं। कई छोटे जागीरदार मुझसे भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमें उभाड़ा गया है कुछ व्यक्तियों के उपयोग के लिए, उनके स्वयं के स्वार्थ-साधन के लिए, यह बात हमने पहले नहीं समझी थी, उन्होंने हमें गलत उभाड़ा और जो कुछ ठीक तौर से मिल रहा था उसमें भी नुकसान पैदा किया। इसलिए आप यह मानकर चलिये कि इस उभाड़ने से किसी का हित सम्पादन नहीं होने वाला है, छोटों का हित हमारे ध्यान में है और वही आज हम करने जा रहे हैं। इस बिल में इन छोटों का सबसे ज्यादा हित है और समय इतनी तेज चाल से चल रहा है कि हम इसका अन्दाज नहीं लगा सकते। टीनेन्सी बिल को ही लीजिये, एक साल पहले उसकी और शक्ल थी, दुबारा जब उसे पेश किया गया तो उसकी शक्ल कुछ और थी और उसी को बाद में जब सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया तो उसकी शक्ल फिर कुछ से कुछ हो गई और अब सदन में जब पेश होगा तो न जाने क्या शक्ल उसकी रहने वाली है। तो समय की तेज गति ने तेजी से हालतों को बदला है और आज भी समय की यही गति है और वह हालतों को तेजी से बदलता जा रहा है। यह हालत इस तरह से तेजी से बदल रही है कि इस तेजी का आपको और हमको मुकाबिला करना होगा और इसके अनुसार आपको और हमको पूरी तरह से तैयार रहना होगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई समाज, दल या सरकार हो, कोई भी हो इस समय की परिवर्तित गति से छुटकारा नहीं पा सकता और अगर हमने समय के इस परिवर्तन को नहीं समझा तो स्टेग्नेन्ट वाटर (stagnant water) की तौर पर हम एक जगह पड़े रह जावेंगे और सड़ कर समाप्त हो जावेंगे और प्रगतिशील पानी, धारा के प्रवाह में उसी वेग के साथ बहता जावेगा। इसलिए समय की आवश्यकता के साथ सारी बातों पर हमें विचार करना होगा और इसी के साथ हमें आगे चलना होगा।

मैं हमारे विरोधी दल के नेता ने जो बातें कहीं, उनसे सहमत हूँ कि एक जागीरदार जो स्वयं काश्त करता है और खास तौर से एक छोटा जागीरदार जो हाथ से काश्त करता है, यह मैं और जोड़ दूँ, तो ज्यादा उपयुक्त होगा। काश्त करने में भी भेद है। जो भेद आगे जाकर दो तरह के काश्तकार बना देता है; एक तो वह काश्त करने वाला जो खुद अपने हाथों से मेहनत करके काश्त करता है-

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

और दूसरा वह जो ऊपर बैठकर दूसरों से काश्त करवाना चाहता है। तो मैं यह निश्चित तौर से कहना चाहता हूँ कि जो हाथ से काश्त करने वाला है वह निश्चित तौर से, समान रूप से समझा जाना चाहिये।

हमने जो यह रक्खा है; इसे बेदखली के बारे में कि एक शिकमी काश्तकार को बेदखल नहीं किया जा सकता। टीनेन्सी बिल को देखिये कि जो खेतीधर हैं, बड़े जागीरदार हैं वे तो बेदखल कर सकें और जागीरदार छोटा जो है वह बेदखल नहीं कर सके। वह भी बेदखल नहीं कर सकता और जागीरदार भी बेदखल नहीं कर सकता। मुझे कभी-कभी इससे राहत मिलती है कि जागीरदार काश्तकार को, खेतीधर को बेदखल करने का हक नहीं पर जागीरदार को हक होना चाहिये कि वह अपने किसान को बेदखल कर पावे; तो इस तरह की कल्पना करना भी अनुपयुक्त होगा।

अगर हम यह कहें कि एक अधिकार एक को तो देना चाहते हैं और वही अधिकार हम, खुदकाश्त जिसके नाम पर है उसको देना नहीं चाहते तब तो कह सकते हैं कि हम वर्ग-वर्ग के बीच भेद कर सकते हैं लेकिन जब एक ही आधार है हमारा और वह आधार यह है कि जो जमीन पर काबिज है वह बेदखल न हो तो मैं समझता हूँ कि वह चाहे जागीरदार हो, खेतीधर हो या काश्तकार हो या जमीन्दार हो, कोई हो, बनिया हो, चाहे वह बैठा हुआ व्यापार के तौर पर खेती चलवाता हो, यह सिद्धान्त समान रूप से सब पर लागू होता है।

आपको तो यह मानना चाहिये कि हम जितना ऑपोजीशन इसका करते हैं उसका उतना ओपोजीशन जागीरदारों की तरफ से भी हो सकता है, बनियों की तरफ से भी हो सकता है, बड़े-बड़े किसानों की तरफ से भी हो सकता है। उनके बहुत से हक पूरे पड़ सकते हैं। इसलिए यही ठीक है कि उसूल पर कायम रहा जाय तो मैं समझता हूँ कि हमारी नीति को स्पष्ट तौर से समझा जावेगा तो बहुत से मामलों में इस भ्रम की गुंजाइश नहीं रहेगी। छोटा हो या बड़ा हो, इस मामले में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बड़े जागीरदारों को कम्पेन्सेशन हमने छोटों के मुकाबले में कम दिया, छोटों को ज्यादा दिया और मैंने जैसे अर्ज किया कम्पेन्सेशन देने में हमने इस बात का पूरा-पूरा ख्याल रखा है कि हम किसी तरह से उनको इतनी गुंजाइस दे दें कि आने वाले वर्षों में वे अपने आपको ठीक तरह से रिहेबिलिटेट कर सकें। तो इन बातों को और हमारी इन भावनाओं को समझने की मैं आपसे आशा करता हूँ। हमारी ऐसी कोई दुर्भावना किसी के प्रति नहीं कि कोई रिहेबिलिटेट होने से रह जावे। इन शब्दों को कहते हुए मैं माननीय सदस्यों से यह चाहूँगा कि वे हमारी यह भावना उन तक पहुँचाएं और हमें हमारे काम को आसान करने में मदद पहुँचाएं। वे हमें सही-सही समझने की कोशिश करें और जो कुछ हम सही तौर से करें या कर रहे हैं उसका लाभ उठाने के लिए उनके सामने जो अवसर प्रस्तुत किया गया है उसका पूरा-पूरा फायदा उठावें। वे ऐसा कुछ न करें कि जिससे जो अवसर आज उनके सामने उपस्थित हुआ है वह उनके हाथ से निकल जावे और जो बाद में पहचाने वाले हैं उनको भी, और अवसर हाथ से खोने वालों को भी पश्चात्ताप करना पड़े और आज जो स्थिति है उससे बदतर स्थिति दूसरी तरफ से हो जावे। तो इन सारे प्रश्नों पर अच्छी तरह

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

से सोचकर हमें चलना चाहिये। केवल मात्र इन बातों की बुनियाद पर चलना ठीक नहीं होगा। इसको तो छूओ मत, इसके आगे क्या होगा वैसे होगा; यह सोचकर मत चलो। इसके पीछे रहे हुए मकसद और इसकी भावनाओं को देखकर आप चलें।

माफीदार छोटे-छोटे हैं। पच्चीस,पचास कहिये और साथ ही यह भी कह देना चाहता हूँ कि यह कहना भी सही नहीं है कि कइयों के पास जमीनें नहीं हैं लेकिन मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि लाखों के पास जमीनें हैं, कुछ के पास नहीं हैं और जिन कुछ के पास नहीं हैं उनके लिए जमीनों की व्यवस्था की गई है इसमें। उन्हें इसमें से दी जावेगी, ५०० बीघा से ऊपर जिनके पास होंगी उसमें से भी ली जावेंगी- और जैसा सुझाव दिया गया है सीलिंग जागीरदारों पर लगाकर भी जमीनें अगर दी जा सकेंगी तो सरकार इसका भी स्वागत करेगी।

तो यह बात मानकर चलिये कि सदन की जो भावना है उसको सरकार भुलाकर नहीं चलती है और खास तौर से विरोधी दल की तरह से जब बहुत से व्यक्तियों द्वारा इस बारे में जोर दिया गया तो हमारे हाथ मजबूत होते हैं इस तरह की कार्यवाही करने में। इससे बहुत से झंझटों से बच सकते हैं बचने की गुंजाइश हो सकती है। सरकार उस कार्यवाही में आने से बचकर कुछ मूलभूत नीति का अमल देखना चाहती है। सदन के वातावरण में उसका मेल देखती है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इन चीजों पर जल्दी से जल्दी अमल करने का प्रयत्न करेंगे और लोगों को बसाने के लिये ज्यादा से ज्यादा जमीन उपलब्ध होगी। उस प्रकार तो उनको बसाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि पाँच हजार के अन्दर की जागीरों को नहीं लेने के बारे में संशोधन शायद इस वजह से पेश किया था कि उनको अधिकृत रूप से पंतजी की राय नहीं मालूम थी। तो, मैंने अधिकृत रूप से राय सुनाई है और वह सुनने के बाद में वे अपना संशोधन विथड्रा कर लेंगे, ऐसी आशा है।

श्री जसवानसिंह—मैं इसके उत्तर में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जो अधिकृत रूप से माननीय राजस्व मन्त्री ने बतलाया कि पंत जी की रिपोर्ट में पांच हजार से कम आमदनी वालों के लिए था, मैं सदन की जानकारी के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सामने यह विधेयक १८ मई, सन् १९५४ को प्रस्तुत हुआ था और उसमें यह धारा जैसी कि आज है वैसी ही मौजूद थी। उसके पश्चात् तारीख २७ को राजस्थान सरकार और दूसरे कुछ, प्रतिनिधि नैनीताल जाते हैं और उसके बाद में जैसा कि अधिकृत रूप से माननीय राजस्व मन्त्री ने अभी उनकी रिपोर्ट पढ़कर सुनाई है उनकी रिपोर्ट ता० २७ मई, सन १९५४ के बाद हासिल होती है। मैंने, जैसा कि निवेदन किया था कि हमको यह मालूम नहीं था। राजस्थान सरकार ने बताने की कोशिश नहीं की कि पंतजी के साथ में क्या बातचीत हुई, क्या समझौता हुआ और इसके विपरीत में आज वह बिल इन्ट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि कौन सी चीज इनको मिलनी चाहिए। मैंने इसलिए पहले भी निवेदन किया था कि जो कुछ भी इस संशोधन विधेयक में आ गया और अन्य चीजें जो पंतजी से बातचीत की गई हैं वे उनको मिलनी चाहिए और वह उसमें मिला

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

दें इसलिए सिलेक्ट कमेटी के लिए निवेदन किया था। खैर, उस चीज को जाने दीजिये। मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि जो यह कहा जा रहा है कि अधिकृत रूप से पंतजी ने रिपोर्ट में पांच हजार की आमदनी वालों से नीचे के आदमियों की जागीरों को खत्म करने के लिए सुझाव दिया है, हमारी सरकार ने उनकी रिपोर्ट आने से पहले ही, जान पड़ा रहा है कि उस चीज को मान लिया था, इसलिए यह जो कह रहे हैं कि पंतजी ने पहले ही फैसला कर लिया था, पहले सुझाव दिया था, वह गलत चीज है और बेबुनियाद चीज है।

इससे पहले एक चीज और कही थी और वह इस डिटर्मिनेशन से कही गई थी कि शायद मेरी इस चीज को, कि पांच हजार से कम आमदनी वाली जागीरों को कायम रखने के लिए मैं विशेष तौर से उस चीज को दोहराना चाहता हूँ। आपकी सफाई के लिए मैंने इतना निवेदन किया था कि यह जो कुछ पांच हजार से कम की जागीरों को कायम रखने के लिए मैंने उसको एक इकोनोमिक प्रोब्लेम मानकर इस चीज को सदन के सामने प्रस्तुत किया। इसकी असलियत को देखियेगा, केवल इलेक्शन के नारे से काम नहीं चलेगा। जनरल इलेक्शन को जीतने के लिए नारा लगाया था कि जल्दी से जल्दी जागीरदारों को खत्म करेंगे। यह मैं मानता हूँ कि उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कहा हो लेकिन इलेक्शन के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। वस्तुस्थिति को सामने रखकर उसका हल निकालना चाहिए, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक चीज पेश की थी। मैंने यह निवेदन किया था कि उस स्थिति को मानते हुए यह वह समय नहीं था। जिन लोगों को खत्म करना है तो धीरे-धीरे आपके सामने समस्याएं आयेंगी तो उनका हल निकालते हुए धीरे-धीरे जागीरी प्रथा को खत्म कीजिये। एक माननीय सदस्य तो भावावेश में इतने बढ़ गये कि मानों वे आमेर कॉन्स्टीटुएन्सी के इलेक्शन में भाषण दे रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि ऐसी कोई चीज नहीं थी। इसके बावजूद वह भाषण दे रहे थे। यह भाषण का कोई तरीका नहीं। भावावेश में मैं जो कुछ बातें उन्होंने कहीं, वे नाराज थे। चाहे इसलिये कहा हो कि वे और लोगों को सुनाना चाहते हों। मैं अपने दिल में महसूस करता हूँ इस बात को। सबके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ कि आखिर कोई बात रही हो। मैं यह निवेदन करता हूँ कि इस स्थिति को मानते हैं तो इसकी स्थिति को मानते हुए इकोनोमिक प्रोब्लेम की तरफ देखते हुए, सदन के सामने यह निवेदन कर रहा हूँ कि इस चीज को सुलझाना है तो इस समस्या को सुलझाने के लिए इनकी वस्तुस्थिति को सामने रखना है और तत्पश्चात इसका सही हल निकालना है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधन जो श्री जवानसिंहजी ने क्लॉज़ १५ के बारे में रखा है, वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १५ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १५ विधेयक में अंग रूप से स्वीकृत हुआ।

(राज्य-पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

(विराम)

क्या खण्ड १६ लें ?

अनेक माननीय सदस्य—समय काफी हो गया है इसलिये अब कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—But our progress is very slow.

(विराम)

We adjourn for day-after tomorrow at 7.30 A.M.

(सदन की कार्यवाही रात्रि के ७ बज कर ५६ मिनट पर दिनांक ७ मई, १९५४, के साढ़े सात बजे प्रातः तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—५ जून, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।